अंक - 62
जनवरी - दिसम्बर 2021

ISSN. 0972-5881

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ग्रामीण विकास समीक्षा
कोविड़ -19 विशेषांक

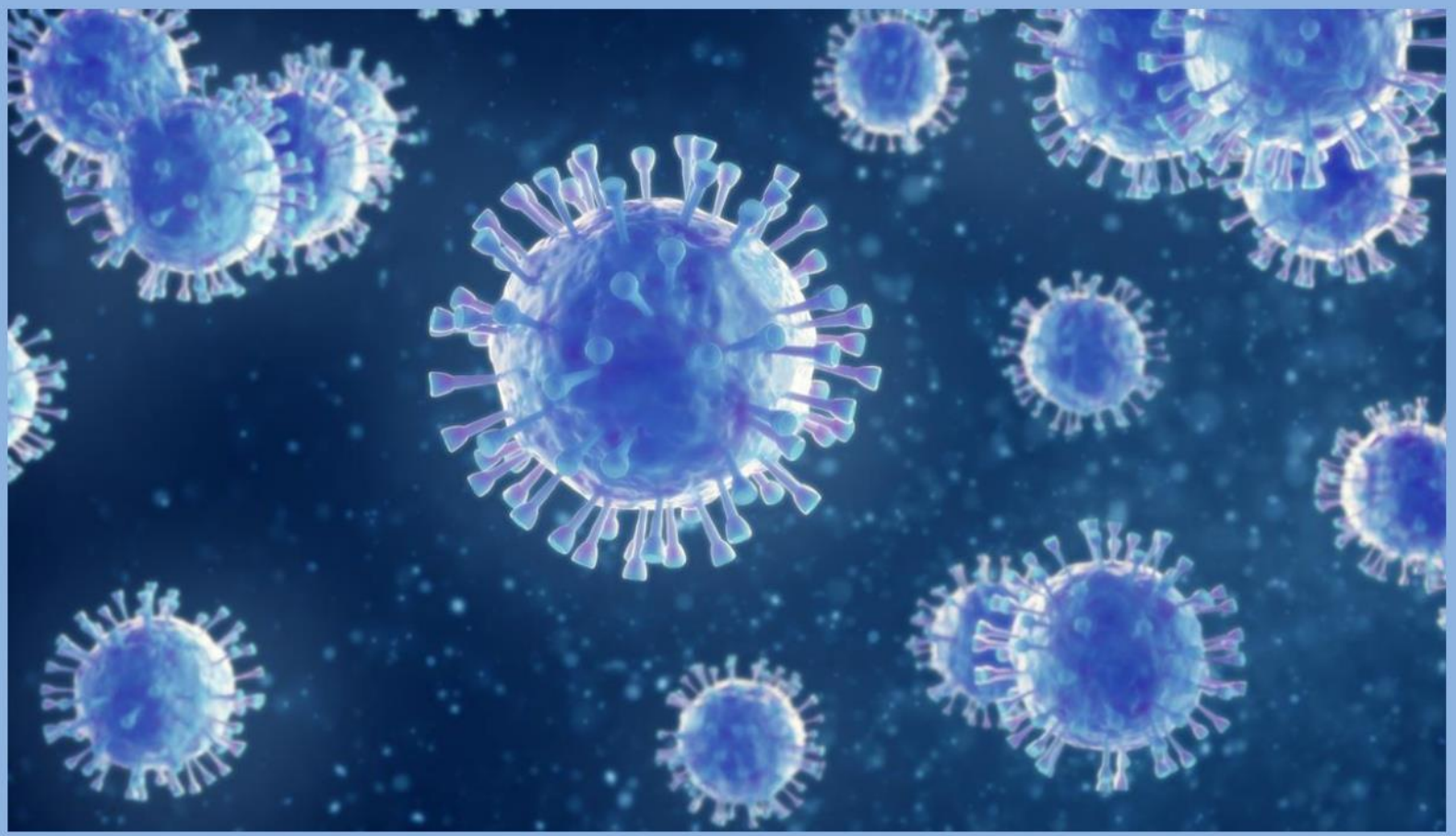

राग्रावि पं रासं
NIRDPR

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500030

"ग्रामीण विकास समीक्षा" राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद - 30 (तेलंगाना) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक पत्रिका है ।

पत्रिका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में अध्ययन और अनुसंधान को बढावा देना है । यह सामाजिक विज्ञान और ग्रामीण विकास के बीच एक सुदृढ संयोजन स्थापित करता है तथा ग्रामीण विकास से जुडे नीति निर्माताओं, कार्यपालकों तथा विभिन्न समाजविज्ञान आयामों के बीच विचार विनिमय का एक मंच उपलब्ध कराता है ।

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार है और इनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (हैदराबाद) किसी भी प्रकार जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं है ।

संपादकीय मंडल

अध्यक्ष
डॉ. जी नरेन्द्र कुमार
महानिदेशक

उपाध्यक्ष
डॉ. राधिका रस्तोगी
उप महानिदेशक

सदस्य
डॉ. आकॉक्षा शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडीसी)

सदस्य
डॉ. आर. एम. पंत
निदेशक, एनईआरसी, गुवाहाटी

संपादक
श्रीमती अनिता पांडे
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सहायक संपादक
श्री ई. रमेश
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

ग्रामीण विकास समीक्षा सहयोगी लेखकों के लिए

प्रकाशन की निरंतरता को बनाये रखने के लिए लेखकों से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मौलिक, अनुसंधानात्मक तथा विश्लेषणात्मक लेख मूल रूप से हिन्दी में ही लिखें तथा हमें यथाशीघ्र प्रेषित करने की कृपा करें ताकि इस ज्ञान गांगा को जन साधारण तक ले जाया जा सके । फलत: ऐसे लेखों की भाषा सरल एवम् बोधगम्य हो तथा आंकडो एवं सारणियों का कम से कम प्रयोग हो । लेख टंकित होना चाहिए, हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किये जायेंगे । इस संबंध में यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो संपादक से संपर्क कर सकते है ।

ग्रामीण विकास समीक्षा
कोविड़ -19 विशेषांक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. (भारत)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	कोविड-19 काल में प्रवासी मजदूरों की दशा-दिशा एवं संपोषीय समाधान *डॉ. लोकेश जैन*	6
2.	कोविड-19 प्रेरित आर्थिक आघात और भारत में लोगों की आय पर इसका प्रभाव *पी आजाद, एम अब्दुल जमाल और मोहम्मद रफीख*	15
3.	हैदराबाद में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर कोविड-19 लॉकडाउन का प्रभाव *रमण मूर्ति वी रूपकुला और धनंजय कुमार*	30
4.	ओडिशा की ग्रामीण स्थानीय स्व-सरकारों द्वारा कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया *सुब्रत कुमार मिश्रा और अमिता पात्रा*	48
5.	कोविड-19 से ग्रस्त अर्थव्यवस्था का मजदूर वर्ग पर प्रभाव *डॉ. जीतेन्द्र कुमार डेहरिया*[1]	69
6.	भारत में कोरोना महामारी का ग्रामीण-शहरी प्रवासन पर प्रभाव : एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन *डॉ. देवेन्द्र प्रताप तिवारी और डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय*	84
7.	कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों की चुनौतियां और समाधान *रणबीर सिंह बतान*	93

1. कोविड-19 काल में प्रवासी मजदूरों की दशा-दिशा एवं संपोषीय समाधान

डॉ. लोकेश जैन *

कोविड-19 महामारी ने जब देश में दस्तक दी तब राष्ट्रीय शासन - प्रशासन द्वारा जान है तो जहान है के नारे के साथ कई एतिहाती कदम उठाए गए। जिसमें व्यापार उद्योग धंधे बंद करने पड़े, सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं प्रत्यक्ष जनसंपर्क को रोकने हेतु कर्फ्यु जैसे कई अन्य उपाय किए गए। आरोग्य की दृष्टि से कोरोना ने अमीर - गरीब किसी को भी नहीं बख्शा, कोई भेदभाव नहीं किया लेकिन आर्थिक दष्टिकोण से देखें तो इसकी मार उस मजदूर वर्ग पर सबसे अधिक देखने को मिली जो दूसरे प्रांतो से मजदूरी हेतु अन्य राज्यों तथा बड़े शहरों में रह रहा था। दुर्भाग्य से इस वर्ग को अपने ही देश में प्रवासी मजदूर के रूप में चिन्हित किया गया।

एक देश एक राष्ट्रवाली संस्कृति वाले देश में इस प्रवासी मजदूर वर्ग के साथ कमोवेश परायों जैसा वर्ताव देखने को मिला जिसमें अमानवीयता मिश्रित थी। कोरोना काल के आरंभिक दौर में तथाकथित प्रवासी मजदूर वर्ग के रोजगार व आय के साधन छूटे, उनके परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमण में घिरने लगे, अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे थे, इन्हें परदेश में अपना कोई नहीं दिख रहा था तब अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए एवं इस संकट काल में अपनों के बीच रहने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना यह प्रवासी मजदूर वर्ग येनकेन प्रकारेण जो साधन मिला उससे अपने राज्य व गांवों की ओर लौटने की संभव-असंभव कोशिश में जुट गया।

रेलवे स्टेशन व बस स्टेशनों का मंजर भीड़भरा था। पैसा देने के बाद भी साधन सुलभता नहीं थी। तब कुछ कंधों पर बच्चों को उठाए कुछ पैदल ही तेज धूप में चले जा रहे थे, तो कुछ गर्भवती महिलाएं भी अपने जरूरी सामान की गठरी सिर पर रखकर अपने गांव की ओर लौटने लगी थीं। आगामी सरकारी कदम क्या होगा?, अनिश्चितता के इस दौर में कोई कुछ भी मुकम्मल निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। मानवीय नियंत्रण से परे इस माहमारी का कोई इलाज भी नहीं था। शासन-प्रशासन हो या आम जनता किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा

---

* प्रोफेसर-ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केन्द्र, गूजरात विद्यापीठ,

था बस सावधान रहते हुए किसी तरह जान बच जाए, यही आलम सब ओर था। लेकिन गरीब मजदूर को तो दोनों ओर से मरना था कोरोना की चपेट से भी और रोजी रोटी का जुगाड़ समाप्त होने से भी।

थोड़ा समय बीतने पर कोविड के नियंत्रण में लगी शासकीय व्यवस्था ने नवीन कार्यनीति- "जान भी जहान भी" को अमली जामा पहनाया तथा आवश्यक सावधानी और कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार-उद्योगों को पुनः शुरु कराया गया जहाँ इस प्रवासी मजदूर समुदाय ने फिर से शहरों की राह पकड़ी। काफी लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी लेकिन कोविड कालीन लंबी समयावधि के ये परिवर्तन कई सवाल जेहन में छोड़ गए जिनका जबाव संपोषित विकास की दृष्टि से खोजने की प्राथमिक कोशिश यहाँ की गई है। इस क्रम में प्रवासी मजदूर अभिगम को जानना जरूरी है।

प्रवासी मजदूर.....

प्रवासी मजदूर की संज्ञा उस व्यक्ति को दी गई है जो वहाँ का नहीं माना जाता जहाँ वह अपनी सेवाएं देकर अपना गुजरान कर रहा है। वह अपने ही देश के दूसरे प्रदेश में बसा हुआ ऐसा परेदशी व्यक्ति है जिसके वास्तविक अस्तित्व की जड़ें उसके मादरे वतन में हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में अकेले, परिवार के कुछ सदस्यों के साथ या फिर समग्र परिवार के साथ शहरों में आ बसे तथा कुशल - अकुशल श्रमसाध्य कामों से जुड़े। इनमें से काफी लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपने गांव में जीवन निर्वाह के पोषणक्षम साधन शेष नहीं रह गए थे और वे लाचारीवश शहर की ओर पलायन करते गए।

इस दृष्टि से प्रवासी मजदूर वह व्यक्ति या परिवार है जो रोजगार के चलते अपने वतन से दूर शहरों में जीवन यापन कर रहा है। व्यक्ति अपना गांव अपना गांव दो स्थितियों में छोड़ता है- एक तो वह जो जीवन यापन हेतु गांव से बाहर साधन शोधने की लाचारी (अर्थात् मरता तो क्या न करता) में गांव से दूर आता है तथा दूसरा वह जो अपने गांव में सुखी सम्पन्न हैं किन्तु शिक्षा, बेहतर रोजगार तथा औद्योगिक विकास एवं अन्य भौतिक सुख सुख सविधाओं के उपभोग की मंशा से शहरों की ओर पलायन करता है और वहाँ अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। समस्या पहले वाले वर्ग के साथ गंभीर होती है जो साधन-संसाधनों की विपन्नता और अभाव के कारण मजदूर बनकर रह गया है तथा पैसा कमाने के लिए हर

परिस्थिति में रहने को तैयार है। वहीं प्रवासी मजदूर के रूप में उसकी पहचान उसे उस स्थानीय अपनेपन दूर रखती है जिसका वह मानवीय दृष्टि से वास्तविक हकदार है।

प्रवासी मजदूर का चरित्र पलायनवादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक समय था जब हमारे बुजुर्गों को यह कहते हमने सुना करते थे कि कौरा (रोटी का टुकड़ा) मिलेगा, तब तक खायेगें, गांव छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे। ग्रामीण युवा सामान्यतया फौज में जाने के लिए गांव छोड़ता था अन्यथा खेती या स्थानीय मजदूरी में मस्त रहता था। जीवनशैली सादगी से भरी हुई थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी जिंदगी में अभाव नहीं थे अपितु वह ऋणग्रस्तता से घिरा हुआ था, संतुलित पोषक आहार से भी वंचित था, रोजगार के पूरे साधन नहीं थे, नवीन कौशल्यों का विकास नहीं था फिर भी वह अपना जीवन बसर कर लेता था। लेकिन अब गांव बदलने लगे, जीवनशैली में मशीनी व तैयार वस्तुएं स्थान लेने लगीं फलस्वरूप स्थानीय हुनर व मजदूरी की मांग कम होने लगी और इसके साथ ही गांव से शहर की ओर विस्थापन का दौर शुरु हुआ।

प्रवासी मजदूर पहले दैनिक मजदूरी की खोज में गांव से शहर, ब्लॉक, तहसील व जिले की सीमाओं में आने लगे, उनमें से कुछ औद्योगिक जगत में अकुशल श्रम के चलते साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक रूप से शहरो में आश्रय पाने लगे। पहले पुरुष समुदाय अकेला ही मजदूरी के लिए गांव से बाहर निकलता था फिर वह अधिक कमाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शहर में स्थापित होने लगा जहाँ उसे अपने बच्चों के लिए गांव से बेहतर शिक्षा के अवसर, परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अपने व बच्चों के भावी अच्छे रोजगार की आशा दिखनेने लगीं। ऐसे में सुरक्षित स्वस्थ आवास की कमी को भी नजर अंदाज करते हुए वह शहर में रहने लगा तथा साथ ही साथ अपने गांव की थोड़ी बहुत खेती को भी संभालने के लिए समय समय पर गांव आने-जाने लगा। स्थिति सुधरी तो जमीन को आधे बटाई पर देकर अथवा अन्य प्रथाओं के जरिए खेतीबाड़ी का काम कराने लगा जहाँ गांव में घर में बच गए बुजुर्ग और कुछ महिलाएं उस पर देखरेख करने लगे।

कोरोना महामारी काल में जब रोजगार के साधन अचानक बंद हो गए,जीवन की असुरक्षा चहुँओर दिखाई देने लगी, खर्चे ज्यों के त्यों थे, रसद आदि की उपलब्धता की अनिश्चितता फैली हुई थी तब उन्हें अपना गांव, वतन याद आया और वे हर हाल में अपनों तक पहुँचने की कोशिश में जुट गए जहाँ वे अपनों का साथ पा सकें तथा अपनों का सहारा बन सकें और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कम से कम दो जून की रोटी का जुगाड़ इस कोराना

महामारी के संकट काल में सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए वे जान जोखिम में डालकर सड़कों पर निकल पड़े।

लंबी कतारों में घंटों महिलाओं और बच्चों के साथ भूखे-प्यासे खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार इन प्रवासी मजदूरों की करुण कथा को व्यक्त कर रहा था। इनमें से कइयों को उनके मालिकों से उनकी मजदूरी का पैसा भी नहीं मिल पाया और काम से निकल जाने का नोटिस भी मिल गया ऐसी स्थिति में शहर में रुककर अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया। कोविड काल में प्रवासी मजदूरों ढएर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनमें से कुछ मुश्किलों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है-

कोविड काल दरम्यान प्रवासी मजदूरों की आरोग्यलक्षी मुश्किलें-

कोविड-19 संक्रमण जिस तेजी से फैला उसने गरीब-अमीर सभी को अपनी चपेट में ले लिया उससे सभी सकते में आ गए। गरीब मजदूरों के परिवारों में कामकाजी सदस्य जब कोरोना से घिरे तो उनमें से बहुतों के पास अस्पताल तक पहुँचने हेतु पर्याप्त साधन सुविधाएं नहीं थी, असपताल में बेड नहीं मिल रहे थे, दवा आदि ट्रीटमेन्ट खर्चीला होने के कारण उनकी पहुँच से बाहर हो गया, कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने के कारण घर के सदस्य मरीज से मिल नहीं पा रहे थे, मृत्यु की केवल सूचना मिल रही थी, मृत देह का निस्तारण तो अस्पताल प्रशासन द्वारा सामूहिक रूप से ही कराया जा रहा था। आइशोलेशन में भी रहने की सुरक्षित जगह

इन प्रवासी मजदूरों के पास नहीं थी। दवा के साथ जो भोजन जरूरी था वह भी इन्हें मुहैया नहीं था। नारियल पानी जो कोरोना में राहत दे सकता था उसकी कीमत 20 रूपये प्रति नग से बढ़कर 80-90 प्रति नग पहुँच गई, फल आदि की कीमतें भी बहुत बढ़ गईं। उस मर्यादित बचत वाले प्रवासी मजदूर के लिए कोरोना का इलाज इस शहर में बहुत मुश्किल हो रहा था।

प्रवासी मजदूरों में कोरोना प्रतिरक्षी सुरक्षात्मक उपयों के प्रति उदासीनता-

देश के प्रधानमंत्री व अन्य शासन वर्ग की मार्मिक अपील के बाबजूद प्रवासी मजदूरों के परिवारों में करोना के विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों- सामाजिक दूरी बनाना, मास्क पहनना, हाथों को सेनेटाइज करना आदि के प्रति जागृति एवं संवेदना का प्रवाह कम देखने को मिला। संभवतः इसके पीछे उनकी अज्ञानता तथा पैसे की कमी को एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। किन्तु इस उदासीनता ने कोरोना संक्रमण की संभावना को बढ़ाया। इस वर्ग के एक बड़े भाग में नकारात्मक मनोवृत्ति भी घर कर रही कि इस तरह उपायों से कुछ होने वाला नहीं है और वे जरूरी उपायों को अपनाने में उदासीनता बरतने लगे परिणातः समाज के अन्य भागों से कटते चले गए।

प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव-

कोरोना काल में प्रथम पड़ाव में शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह ठप्प पड़ चुकी थी। कुछ समय पश्चात देश में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के जरिए शिक्षण कार्य को जारी रखा गया किन्तु इस व्यवस्था से वे बच्चे ही लाभान्वित हो सकते थे जिनके परिवार में स्मार्ट फोन तथा इंटरनेट डेटा रिचार्ज की पोषणक्षम आर्थिक क्षमता विद्यमान थी, परिवार के रहने का स्थायित्व था, गांव में इंटरनेट की पहुँच थी। प्रवासी मजदूरों के बच्चों में स्थायित्व नहीं था इसलिए इनकी शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई हांलाकि सरकारी नीतियों के चलते इन साल नहीं बिगड़ा इन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया किन्तु सीखने की प्रक्रिया निः संदेह अपेक्षाकृत अधिक बाधित हुई।

कोरोना पीड़ित व उसके परिवार के साथ अछूत जैसा अमानवीय व्यवहार-

यह भी समझने वाली एक बड़ी बात है कि कोरोना से व्यक्ति ही संक्रमित और पीड़ित नहीं होता अपितु उसका असर पूरे परिवार पर होता है। हालांकि कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी अनिवार्य थी लेकिन कोरोना पीड़ित व्यक्ति के पास इतना आवासीय स्थान

नहीं था वह अलग अलग रहल सके। आसपास व कार्यस्थलीय सहकर्मियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति के साथ ही नहीं अपितु उसके परिवार के अन्य स्वस्थ सदस्यों के साथ भी अछूत जैसा मानवीय व्यवहार किया जाता था। यह मानसिक पीड़ा अकल्पनीय थी जो उसे निरी अमानवीयता के साथ हर पल यह अहसास कराती थी कि कोरोना संक्रमण के कारण वह समाज का एक सड़ा हुआ हिस्सा बन चुका है जिसका काटा जाना (अलग होना) ही एक मात्र उपाय है। जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है वह ही इस अदृश्य पीड़ा को महसूस कर सकता है क्योंकि इसकी व्याख्या शब्दों से परे हो चली है। जहाँ उसे अपनापन व ढाढस की आवश्यकता व अपेक्षा थी वहाँ उसे अपने आसपास के लोगों से उसके बदले में जब यह परायापन व अछूत जैसा व्यवहार मिले तो क्यों न वो अपने वतन की ओर चले...।

मनोसामाजिक एवं भावनात्मक पक्ष-

कोरोना पीड़ित प्रवासी मजदूर परदेश में मानसिक रूप से टूट चुके थे कुछ सूझ नहीं रहा था कि उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं। साधन संसाधनों के अभावों में एक बार जिंदगी काटी जा सकती है किन्तु भावनात्मक सहयोग के अभाव में नहीं विशेषकर संकट की घड़ी में जब कोई दुःख बांटने आगे आता है जो दुःख का अहसास कम होता है। कोरोना काल में इसकी कमी सभी जगह देखने को मिली। प्रवासी मजदूरों के लिए तो यह फिर भी परदेश था। वह जितना बीमारी से नहीं टूटा उससे कहीं अधिक बार बार अपनेपन के अहसास की कमी के कारण टूटने को विवश हुआ।

करोना काल में प्रवासी मजदूरों की परिवहन संबंधी मुश्किलें-

कोरोना काल में परिवहन का जुगाड़ प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। साधन मर्यादित, मनमाना किराया फिर भी उन्हें जगह की मारामारी से दो-चार होना पड़ रहा था । परिवहन को लेकर राज्य व केन्द्र सरकारों के बीच राजनीति चल रही थी उसका खामियाजा भी इन प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ रहा था। कोई गाड़िया चलाने के सब्जबाग दिखा रहा था तो कोई पार्टी उन बसों को रोककर राजनीतिक हसरतों को पूरा करने में लगी हुई थी। बहुत ही दयनीय दशा में इन प्रवासी मजदूरों ने कार्य स्थल से अपने वतन तक का यह सफर किसी तरह से पूरा किया। इस सफर में कितनों ने अपनों को खोया इसका अंदाजा लगाते हुए दिल कांपने लगता है।

कोरोना काल में प्रवासी मजदूर का रोजगार व आर्थिक पक्ष

कोरोना काल के आरंभ में अचानक आर्थिक प्रवृत्तियों को रोक देने से रोजगार तुरंत छूट गया वे पल भर में घर से बेघर हो गए। रोज कुंआ खोद कर पानी पीने वाले मजदूर काम न मिलने से पेट बांधकर बैठने को मजबूर हो गए। गांव पहुँच कर खर्च कम होगा यह सोचकर गाँव की ओर चले तो बहुत सारी मुश्किलियों के बीच वे सफर तय कर रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि गांव से यहाँ आकर उन्होंने वास्तव में बड़ी भूल की और कई आर्थिक विश्लेषकों का मानना था कि लोगों को अपनी जान ज्यादा प्यारी है अब गाँव पहुँचने के बाद ये प्रवासी मजदूर शहर में वापस नहीं आयेंगे। लेकिन यह धारणा दूसरी लहर समाप्त होने तक मिथ्या साबित होने लगी। आय के साधनों का अनिश्चितता दंश साथ वे गांव की ओर गए तो सही लेकिन टिक नहीं सके इसीलिए जब तो फैक्टरी मालिकों ने इन्हें टिकट भेजकर वापस शहर बुलाया तो ये सहर्ष तैयार होकर ट्रेन में सवार हो गए, गाड़ी वही पुराने ढर्रे पर चल पड़ी। लेकिन कई प्रश्न आर्थिक चिंतकों के जेहन में छोड़कर चली गई जिसकी चर्चा इस लेख के अंत में संपोषीय समाधन के रूप में रखकर करने की गई है।

कोरोना काल में प्रवासी मजदूर की सामाजिक सरोकारों की स्थिति

चार पैसे कमाने के लिए व्यक्ति ने गांव छोड़ा, मजदूर बना और प्रवासी भी कहलाया उसके पीछे की एक अहम् वजह सामाजिक सरोकारों में बदलाव रहा है। समाज में शादी विवाहों को लेकर गांव से बाहर रहने वाले लड़के व परिवार की जो प्रतिष्ठा है वह स्थानीय व्यक्ति की नहीं। आय एक पैमाना है लेकिन कई बार चयन को उसे भी दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन कोरोना काल में देखा गया कि कोरोना संक्रमण का असर गांव की अपेक्षा शहर में अधिक हुआ क्योंकि वहाँ सामाजिक दूरी बनाए रख पाना मुश्किल हो रहा था। उस समय ग्रामीण समुदाय में प्रवासी समुदाय के साथ सामाजिक सरोकारों का स्थिति के प्रति राय अवश्य बदली किन्तु उसमें स्थायित्व व दृढ़ता नहीं दिखी। कहने का मतलब यही है कि लोगों में शहर के प्रति जो लगाव व लालच था कोरोना महामारी उस पर लगाम नहीं लगा सकी। अपनेपन को लेकर लोगों ने समाजिक सरोकारों के मायनों में परिवर्तन को आत्मसात अवश्य किया। वे संक्रमित के साथ रहने की बजाय दूर रहने में भलाई समझने लगे। यहाँ तक देखा गया कि लोग मरण जैसे प्रसंग में एक दूसरे के परिवार के साथ नहीं दिखे। समाजिक वैवाहिक समारोह मर्यादित संख्या में सिमिट कर रह गए, खुशियां सिमट सी गईं।

प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों का स्थायी संपोषीय समाधानः प्रधानमंत्रीजी का आत्म निर्भर भारत अभियान

कोरोना महामारी का दौर लगभग साल भर के बाद कुछ थमा लेकिन जो स्थितियां आज भी बन रही हैं अथवा विश्व स्तर पर फिर से कोरोना की तीसरी - चौथी लहर की जो हलचल हो रही है, उसने फिर से समाजिक-आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं आरोग्य की दृष्टि से सावधान रहने हेतु सचेत किया है और यह सोचने को विवश किया है कि हम एक बार स्थायी समाधान की दिशा में विचार करें, कार्यनीतियां बनाएं और उन्हें अमलीजामा पहनाएं।

हमारे देश के प्रधानमंत्रीजी ने वैश्विक संपोषित विकास ध्येय की सिद्धि हेतु 2020 से आत्मनिर्भर भारत का महाअभियान शुरु किया जिसे प्रवासी मजदूरों के पुनः अपने गांव में विस्थापन की दिशा में आशा की एक बड़ी किरण माना जा सकता है। इससे देश स्वाबलंबन के पथ के पर आगे बढ़ेगा और प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर पोषणक्षम रोजगार सुनिश्चित हो सकेगा, श्रम और स्थानीय हुनर को एक पहचान तथा हुनरधारकों को यथोचित सम्मान के साथ उनकी माली स्थिति में गुणात्मक - मात्रात्मक सुधार लाने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसके चलते विकेन्द्रित आधार पर देश का हर गांव पुनः सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकेगा और इन प्रवासी मजदूरों को प्रवासी बनने के मजबूर नहीं होना पड़ेगा। वे अपने ही मादरे वतन में अपने अस्तित्व को सम्मान के साथ सहेज कर रख सकेंगे तथा संकट की जिस घड़ी में उन्हें अपनेपन की आवश्यकता होगी वह उन्हें निर्बाध रूप से मिल सकेगा। इस पथ का अनुसरण करते हुए विकास के मायने बदलेंगे, कोरोना महामारी की प्रबंधन व्यवस्था में तृणमूलस्तरीय बदलाव आयेंगे जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नये आयामों को स्थापित करने में मददरूप होंगे।

निःसंदेह सभी यह कामना कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी कभी भी और कहीं भी न आए, सभी सुखी व स्वस्थ रहें, सभी को जीवन जीने के साधन संसाधन मिलते रहें लेकिन आपदा का आना और न आना तय नहीं होता किन्तु इन विपदाओं का सामना कर सकें इसके लिए संपोषीय कार्यकारी व्यूहरचना का निर्माण वर्तमान की महती आवश्यकता है और इसका रास्ता स्वाबलंबन के दर से होकर जाता है जिसकी वकालत राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने शताब्दी पूर्व ही कर दी थी और उसे उन्होंने सच्चा स्वाराज कहा था। दुर्भाग्यवश हमारे देश के कर्णधारों का ध्यान एक लंबे समय के पश्चात गया। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत

लौटने पर एक वर्ष तक निरंतर भारत के गांवों की यात्रा करने के पश्चात विकासलक्षी परिकल्पना को सामने रखते हुए सन 1917 में अपने भाषण में कहा कि कि जीने के लिए तीन चीजें अनिवार्य हैं- शुद्ध हावा पानी, शुद्ध पानी और शुद्ध अन्न। हम इहें आज तथाकथित विकास की रेस में खो चुके हैं और इनकी आवश्यकता को हम सभी ने कोरोना महामारी काल में काफी नजदीक से महसूस किया है और इसकी विभीषिका को आर्थिक परिस्थिति के कारण प्रवासी मजदूरों ने बहुत बड़ी मात्रा में झेला है।

इन अनुभवों और गांधीजी के सत्य के प्रयोगों के सीख लेकर यदि हम इस संपोषीय पथ पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो इन विषम परिस्थितियों जूझने की ताकत पैदा कर सकते हैं और उसके दुष्प्रभावों से एक सीमा तक स्वयं को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित व सुरक्षित रख सकते हैं था इससे भी कहीं आगे हम प्रवासी मजदूर वाली वर्तमान परिस्थिति से निजात पा सकते हैं।

2. कोविड-19 प्रेरित आर्थिक आघात और भारत में लोगों की आय पर इसका प्रभाव

पी आजाद, एम अब्दुल जमाल** और मोहम्मद रफीख****

सार

यह पेपर अनुभवजन्य रूप से लोगों की आय पर कोविड-19 और उसके बाद के आर्थिक संकटों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन ने कोविड-19 के दौरान आय में बदलाव को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल किया। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि लोगों की सभी श्रेणियां महामारी से प्रभावित हैं और इसका खामियाजा समाज के कमजोर तबकों को भुगतना पड़ रहा है। . क्षेत्रीय विश्लेषण अनौपचारिक क्षेत्र पर कोविड प्रेरित झटकों के प्रभाव की सीमा को प्रदर्शित करता है। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा एक स्थिर कारक बनी हुई है जो आय में गिरावट के साथ नकारात्मक संबंध के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करती है। लोगों को महामारी के बहुमुखी मुद्दों से बाहर निकालने में मदद करने के लिए अधिकारियों को एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

महत्वपूर्ण शब्द कोविड-19, आर्थिक झटके, श्रम बाजार, आय हानि, भारत

परिचय

महामारी का प्रकोप अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। दुनिया आज एक ऐसी महामारी यानी कोविड 19 की चपेट में है जो स्तरों को उथल-पुथल कर एक बड़े सद्मे का कार्य करती है । इससे जो सद्मा हुआ है वह अभूतपूर्व और विचित्र है और शायद ही कोई

---

* सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग एमईएस कल्लाडी कॉलेज, मन्नारक्कड़, केरल

** सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग द न्यू कॉलेज, चेन्नई

*** डीन ऑफ रिसर्च, नीलगिरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, थलूर, तमिलनाडु

क्षेत्र इस बीमारी से अप्रभावित हो। शिक्षा से लेकर पर्यटन तक और कृषि से लेकर विलासिता तक की आर्थिक गतिविधियाँ किसी न किसी तरह से प्रभावित होती हैं; और दुनिया जोखिम को साझा करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वायरस को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करने में कोई बाधा नहीं है । जैसा कि मलिस्ज़ेवस्का एट अल ने ठीक ही कहा है। (2020), जिसे चीन में एक स्थानीय झटके के रूप में शुरू किया गया था, अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, जिससे दुनिया एक "चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा" में चली गई है (लेमीक्स एट अल।, 2020)। आम तौर पर, वस्तु और श्रम बाजारों में आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर एक आर्थिक सद्मों का विश्लेषण किया जाता है। कोविड 19 के समय इस तरह का विश्लेषण हमें सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष ठहराव और विशेष रूप से व्यक्तियों की इस बीमारी से प्रभावित होने से खुद को बचाने की प्रवृत्ति के कारण सुस्त उद्योगों और सिकुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का एक गंभीर परिदृश्य प्रदान करेगा। संयुक्त मांग और आपूर्ति के आघात (फर्नांडीस, 2020) की ऐसी स्थिति में, जहां अर्थव्यवस्था उत्पादों, सेवाओं और यहां तक कि श्रम की कम मांग और आपूर्ति से प्रभावित होती है, उचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए इसकी गहराई को समझना बहुत महत्वपूर्ण है (जोन्स एट अल। , 2016)। कोविड-19, जिसके परिणामस्वरूप एक अभूतपूर्व श्रम बाजार का आघात और बेरोजगारी का संकट आया है, का अनुमान है कि 2008 के वित्तीय संकट की तुलना में उद्योगों और व्यवसायों में व्यवधान पैदा हो सकता है (पुलियाकस और ब्रांका, 2020)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2020) से पता चलता है कि 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक कामकाजी घंटों में 4.5% (जो 130 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है) की गिरावट आई थी और दूसरी तिमाही में काम के घंटों में 10.5% की और गिरावट आई थी। नौकरी छूटने और बंद उद्योगों के परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक नतीजों का विश्लेषण दुनिया भर के शोधकर्ताओं द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इस क्षेत्र में अग्रणी शोध द्वारा किया गया था। (2020) कनाडा के श्रम बाजार पर कोविड 19 के प्रभाव का विश्लेषण। अध्ययन में नौकरियों में 32 प्रतिशत की गिरावट की गंभीर वास्तविकता का पता चलता है, जो निम्न आय वर्ग में श्रमिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। इसी तरह के निष्कर्ष कुछ अन्य शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए थे जिन्होंने इस महामारी के आर्थिक प्रभाव को मापा (फर्नांडीस, 2020; मैककिबिन, 2020; मैकलारेन एट अल।, 2020; विलियम्स और कायाओग्लू, 2020; बेकर एट अल।, 2020)। तदनुसार, इसका तत्काल प्रभाव श्रम बाजार पर लोगों की आय आय में प्रवेश कर रहा है जिसका उनकी समग्र आर्थिक स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

2. अनुसंधान समस्या

इसलिए, कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था पर अपने हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत भी उन देशों में से एक है जो इस महामारी की मार झेल रहा है। अचानक घोषित किए गए राष्ट्रीय लॉक डाउन ने लाखों भारतीयों की सामान्य स्थिति को प्रभावित किया है, और इस प्रकार यह मानवीय और आर्थिक संकट बन गया है। उद्योगों और उत्पादन इकाइयों के बंद होने के बाद लॉक डाउन के परिणामस्वरूप छंटनी हुई है और लाखों लोगों की क्रय शक्ति में बाद में कमी आई है। उपभोग की कम प्रवृत्ति के साथ, बाजार अब मांग में कमी का सामना कर रहा है जिससे रोजगार, खपत और उत्पादन के पूरे समीकरण बाधित हो रहे हैं। इस प्रकार यह शोध लोगों की आय आय पर कोविड 19 के प्रभाव का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। विशेष रूप से, एक भारतीय संदर्भ में आयोजित यह अध्ययन, नौकरी छूटने के परिणामस्वरूप आय के प्रवाह पर महामारी के प्रभाव की जांच करता है, और विश्लेषण करता है कि जेंडर, स्थान, आयु, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और रोजगार के क्षेत्र जैसे कारक कैसे हैं। उत्तरदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये कारक भारत में विभिन्न श्रेणियों के लोगों की आय पर कैसे प्रभाव डालते हैं। इसलिए, यह अध्ययन निश्चित रूप से कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों पर भारतीय साहित्य में पहले के योगदानों में से एक होगा। यह अध्ययन इस तथ्य के कारण और प्रासंगिकता रखता है कि, भारत, कई अन्य यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देशों के विपरीत, कोई नहीं है। स्वास्थ्य संकट और बाद में देशव्यापी लॉकडाउन से प्रेरित आर्थिक मंदी से निपटने का पूर्व अनुभव।

3. साहित्य की समीक्षा

आर्थिक संकट और उसके बाद के व्यापक आर्थिक परिवर्तन हमेशा दुनिया में व्यापक शैक्षणिक प्रवचनों का विषय रहे हैं। वस्तुतः, मैक्रोइकॉनॉमिक्स का जन्म ग्रेट डिप्रेशन (लुकास, 2003) के बाद इस तरह के बौद्धिक अभ्यास के हिस्से के रूप में हुआ था। तथ्य की बात के रूप में, विभिन्न बहिर्जात आघात व्यापार चक्र (कुर्ज़, 2006) में चक्रीय पैटर्न का कारण बनते हैं और अर्थव्यवस्था को पीछे या आगे ले जाते हैं। विशेष रूप से, मानव निर्मित आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं, या व्यापक प्रसार वाली बीमारियों द्वारा लाए गए बाहय आघात अर्थव्यवस्था को कई तरह से बाधित करते हैं और अक्सर आर्थिक गतिविधियों का एक नीचे की ओर झुका हुआ ग्राफ प्रस्तुत करते हैं। इसलिए, आर्थिक आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और उपयुक्त संस्थागत परिवर्तनों के साथ उनके प्रभावों को कम करने के लिए ऐसे व्यापक

आर्थिक आघातों का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है (लुकास, 1977)। इस प्रकार, लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर झटकों के बड़े पैमाने पर अस्थायी और अंतर-कालिक प्रभावों के परिणामस्वरूप व्यापक और व्यापक शोध होता है। इसी के अनुरूप, दुनिया आज कोविड-19 से निपटने वाले साहित्य और अर्थव्यवस्था पर इसके बहुआयामी प्रभावों से निपटने में तेजी देख रही है। हालांकि दुनिया ने पहले स्पेनिश फ्लू (जॉनसन और म्यूएलर, 2002; कार्लसन एट अल, 2014), एसएआरएस (सीयू और वोंग, 2004; केओग-ब्राउन और स्मिथ, 2008), एमईआरएस (जंग एट) जैसी विभिन्न बीमारियों के व्यापक आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की थी। अल।, 2016; स्टीफेंस, 2017), एड्स (1992 से अधिक; कडिंगटन, 1993; कडिंगटन और हैनकॉक, 1994) और इसी तरह, पूरी दुनिया पर इसके हमले और आर्थिक मंदी और मंदी के कारण कोविद -19 से संबंधित चर्चा अभी भी गति प्राप्त करती है। इसके द्वारा ट्रिगर किया गया। जैसा कि हॉल (1977) द्वारा परिभाषित किया गया है, मंदी एक ऐसा समय है जहां लोग काम करने में कम समय और अन्य गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करते हैं, और कम उपभोग करते हैं और घर पर अधिक समय बिताते हैं। जाहिर तौर पर दुनिया इस वक्त ऐसी ही स्थिति से गुजर रही है। आर्थिक गतिविधियां अधर में हैं और श्रम बाजार की भागीदारी ने या तो नौकरी छूटने के कारण या महामारी से बचाव के लिए श्रम बाजार से लोगों की स्वैच्छिक अनुपस्थिति के कारण काफी हद तक पीछे ले ली है। यह कम मांग, बढ़ती बेरोजगारी, बाधित क्रय शक्ति, उपभोग करने की प्रवृत्ति को कम करने और असुरक्षा की भावना की विशेषता वाली एक उदास अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अब तक किए गए कई अध्ययन इस तथ्य पर जोर देते हैं कि इस वायरस ने दुनिया को बुरी तरह से हिला दिया है (फर्नांडीस, 2020; मैककिबिन, 2020; मैकलारेन एट अल।, 2020; विलियम्स और कायाग्लू, 2020; बेकर एट) अल।, 2020; पौलियाकस और ब्रांका, 2020)। वास्तविकता और भी भयावह लगती है क्योंकि हमें पता चलता है कि इसका खामियाजा समाज के कमजोर वर्गों पर अधिक है जो गरीबों और सबसे अधिक भूखे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं (लेबॉर्डे एट अल।, 2020)। इस प्रकार, इस विश्व स्तर पर बढ़ी हुई महामारी ने बढ़ती मृत्यु दर और रुग्णता से परे अत्यधिक एकीकृत दुनिया को प्रभावित किया है। बाधित उत्पादन कार्य, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, बंद उद्योग, प्रतिबंधित गतिशीलता, उपभोक्ता व्यवहार आदि ने वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए, संबंधित अधिकारियों के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4. डेटा और कार्यप्रणाली

भारत पहले से ही दुनिया में सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक बन गया है क्योंकि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहरों में कई लोग हताहत हुए हैं। केरल, वह राज्य जिसने इस बीमारी का पहला मामला दर्ज किया है, कई मामलों को देखा है और वायरस के प्रसार को रोकने और महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए लोगों का समर्थन करने के सरकार के प्रयास हमेशा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं में चर्चा का विषय रहे हैं। इस प्रकार, मौजूदा अध्ययन का उद्देश्य कोविड-19 के परिणामस्वरूप लोगों के बीच आय हानि की सीमा का विश्लेषण करना है। अध्ययन यह भी पता लगाने का प्रयास करता है कि आय हानि विभिन्न स्वतंत्र आयाम जैसे स्थान, आयु, जेंडर, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और रोजगार प्रभाव का क्षेत्र कैसे है। यह अध्ययन केरल के मालाबार क्षेत्र के मलप्पुरम, वायनाड और कोझीकोड के यादृच्छिक रूप से चयनित जिलों से यादृच्छिक नमूनाकरण विधियों का उपयोग करके एकत्र किए गए 354 नमूनों पर आधारित है। मालाबार क्षेत्र, केरल में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों का घर होने के नाते (इरुदयाराजन, 2020), अधिकारियों और जनता द्वारा ध्यान का केंद्र रहा है क्योंकि कोविड-19 के शुरुआती मामलों में वापसी प्रवास के साथ एक सकारात्मक जुड़ाव दिखा।

इसके अलावा, केरल सरकार के कोविड-19 जागृत पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में केरल में बड़ी संख्या में कोविद मामलों की रिपोर्ट करते हुए पाया गया। इसके अलावा, मालाबार क्षेत्र के लोगों की आय हानि पर कोविद के प्रभाव के बारे में एक अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए विदेशी प्रेषण और कृषि पर निर्भर हैं। इस प्रकार, यह माना जाता है कि दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए गतिशीलता प्रतिबंधों और लॉक डाउन उपायों ने इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है क्योंकि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं।

नमूना क्षेत्र और उत्तरदाताओं की पहचान करने के लिए बहुस्तरीय यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग किया गया था। पहले चरण में, मालाबार क्षेत्र के छह जिलों में से, तीन जिलों को बेतरतीब ढंग से चुना गया था जैसे मलप्पुरम, कोझीकोड और वायनाड। दूसरे चरण में, प्रत्येक जिले से एक तालुक का चयन किया गया था। इसके बाद प्रत्येक तालुक से एक पंचायत और फिर प्रत्येक पंचायत से एक वार्ड का यादृच्छिक चयन किया गया। इस प्रकार, वार्ड संख्या 16, 7 और 1 को क्रमशः मलप्पुरम, कोझीकोड और वायनाड जिलों के पुलपट्टा,

वनिमेल और पदिनजरथरा के चुने हुए पंचायतों में से चुना गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तीनों वार्डों में कुल मतदाताओं का आकार 4484 है जिसे अध्ययन आबादी माना जाता है। इस आकार की आबादी के लिए, नमूना आकार गणना सूत्र के आधार पर, 530 के एक नमूने के लिए 95 प्रतिशत का विश्वास स्तर होना आवश्यक है कि वास्तविक मूल्य माप मूल्य के ± 5 प्रतिशत के भीतर है। दी गई जनसंख्या के अनुरूप नमूना आकार की त्रुटि का मार्जिन 4 प्रतिशत है। मतदाता सूची से नमूनों की पहचान करने के लिए, 8 के नमूना अंतराल के आधार पर एक व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग किया गया था, जिसकी गणना कुल जनसंख्या को 530 के नमूना आकार से विभाजित करके की जाती है। अंतिम चरण में, चयनित उत्तरदाताओं का एक टेलीफोनिक साक्षात्कार जुलाई 2020 के महीने में प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वार्ड सदस्य की सहायता से आयोजित किया गया। उत्तरदाताओं को उनके रोजगार के क्षेत्र, जनवरी 2020 (पूर्व-कोविड अवधि) और जून 2020 (कोविड अवधि) के दौरान आय के बारे में विवरण साझा करने के लिए कहा गया था यथा, शिक्षा और अन्य सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताएं। कुल नमूना आकार में से, चयनात्मकता की समस्या से बचने के लिए, 84 व्यक्तियों को छूट दी गई थी, जो या तो बेरोजगार पाए गए थे या उनके व्यवसाय की रिपोर्ट नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, विषम डेटा के मुद्दे को हल करने, चयनित नमूनों तक पहुंचने में असमर्थता और अपूर्ण प्रतिक्रियाओं के हिस्से के रूप में 92 बहिष्कृत मामले थे। अनुभवजन्य विश्लेषण के पहले भाग में उत्तरदाताओं की सामान्य विशेषताएं दी गई हैं।

लोगों की आय पर कोविड.19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए, उत्तरदाताओं को पूर्व-कोविड अवधि (जनवरी 2020) और कोविड अवधि (जून 2020) में अपनी आय की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। यहां, एक प्रतिवादी द्वारा एक महीने में सभी स्रोतों से अर्जित आय को मासिक आय के रूप में माना जाता है। इसके आधार पर, 'मासिक आय में कमी की दर' की गणना सूत्र का उपयोग करके की गई थी:

जे-जे/जे .....(1)

जहां जेई = जून 2020 में मासिक आय

जेवाई = जनवरी 2020 में मासिक आय।

लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि स्थान, लिंग, आयु, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और रोजगार की प्रकृति जैसे व्याख्यात्मक पर निर्भर

आयाम 'मासिक आय में कमी की दर' को कैसे प्रभावित करते हैं। मॉडल का विनिर्देश समीकरण 2 में दिया गया है।

जहां, मासिक आय में कमी की दर का लघुगणक है, जिसकी गणना प्रत्येक प्रतिवादी के लिए समीकरण (1) का उपयोग करके की जाती है, L स्थान है, जेंडर है, आयु है, वर्षों में मापी गई शैक्षिक योग्यता है, राशन कार्ड के प्रकार के आधार पर निर्धारित आर्थिक स्थिति और ईएमपी रोजगार का क्षेत्र है। रोजगार के क्षेत्र को औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जहां यह अध्ययन दिहाड़ी मजदूर, स्वरोजगार और प्रवासियों के रूप में काम करने वाले लोगों को औपचारिक क्षेत्र से संबंधित मानता है और जो लोग सरकारी क्षेत्र और निजी कंपनियों में कार्यरत हैं, उन्हें वर्गीकृत किया गया है। औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी। अन्य सभी छोड़े गए आयाम और माप की त्रुटियों के प्रभाव को कैप्चर करने वाला स्टोकेस्टिक त्रुटि शब्द है। सामान्य न्यूनतम वर्ग प्रक्रिया का उपयोग करके मॉडल का अनुमान लगाया जाता है।

परिणाम और चर्चा

उत्तरदाताओं के सामान्य लक्षण

यह अध्ययन केरल के मालाबार क्षेत्र से संबंधित मलप्पुरम, कोझीकोड और वायनाड के चयनित जिलों में आयोजित किया जाता है। इन जिलों से चयनित नमूनों का प्रतिशत क्रमश: 41.2%, 35.3%, 23.5% है। केरल के उत्तरी हिस्से में स्थित यह क्षेत्र मुख्य रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों सहित अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बसा हुआ है। 354 नमूना इकाइयों में से 88% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और शेष 12% शहरी क्षेत्र से हैं। ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व मूल रूप से राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में मालाबार क्षेत्र में शहरीकरण के कम प्रतिशत के कारण है। कुल उत्तरदाताओं में से 84.4% पुरुष और 15.6% महिलाएं हैं। उत्तरदाताओं की औसत आयु 48.4 है और परिवार में औसत सदस्य 5.48 हैं। परिवार में औसतन कार्यरत सदस्यों की संख्या 1.54 है। अधिकांश प्रतिभागियों के पास हाई स्कूल (36.7%) से नीचे की शैक्षिक योग्यता है। 30.7% लोगों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है और 21.2% लोगों के पास डिग्री या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता है। प्रतिभागियों की शिक्षा का औसत वर्ष 10.48 वर्ष है। उत्तरदाताओं की सापेक्ष आर्थिक स्थिति की समझ विकसित करने के लिए सर्वेक्षण में राशन कार्ड के प्रकारों की आवश्यकता थी। अधिकांश उत्तरदाताओं के पास नीले कार्ड (39.6%) के बाद सफेद

(31%) और लाल (26.3%) हैं। यह उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति के मध्यम स्तर का संकेत है। इस प्रकार, अधिकांश उत्तरदाता गरीबी रेखा (एपीएल) से ऊपर हैं क्योंकि पीले राशन कार्ड वाले लोगों का प्रतिशत बहुत मामूली (3.1%) है।

आय पर कोविड 19 का प्रभाव : महामारी के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर दिया और परिणामस्वरूप लोगों की आय के स्तर में गिरावट आई। लोगों की आय प्रभावित हुई क्योंकि कंपनियों ने या तो छंटनी का सहारा लिया या गतिविधियों की छंटनी की जिसके कारण वेतन में कटौती और अन्य मितव्ययिता के उपाय हुए। तालिका 1 जनवरी 2020 से जून 2020 के दौरान उत्तरदाताओं की आय पर कोविद 19 के प्रभाव का वर्णन करती है, और यह महामारी के प्रकोप से पहले और उसके दौरान मासिक आय में परिवर्तन को दर्शाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी की शुरुआत के बाद से लोगों की औसत मासिक आय में भारी गिरावट आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि आय की औसत दर जनवरी 2020 में 20335 रुपये से कम होकर जून 2020 में 8853 रुपये हो गई। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि कोविड-19 के परिणामस्वरूप आय में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। औसत मासिक आय में कमी की दर 58.2% है।

तालिका 1: जनवरी 2020 और जून 2020 के दौरान उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय

	साधन	एसटीडी विचलन	मानक अंतर	टी मूल्य	पी- मूल्य
मासिक आय जनवरी 2020	20335.907	13890.77	11481.050	15.050***	0.000
मासिक आय जून 2020	8853.856	7415.144			
कमी की दर	58.2 %	0.407			
परीक्षण	354				

स्रोत: प्राथमिक डेटा

नोट: *** महत्व के 1 प्रतिशत स्तर को दर्शाता है ।

तालिका 2 पूर्व और कोविड -19 अवधि के दौरान विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों में औसत मासिक आय आय की तुलना करती है। यह व्यवसाय श्रेणियों में आय में कमी की दर को भी सामने लाता है। गैर-प्रतिभागियों जैसे सेवानिवृत्त और बेरोजगार लोगों को छोड़कर, डेटा से

संकेत मिलता है कि दैनिक वेतन भोगी और प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी मासिक आय में कमी की दर क्रमशः 67.7% और 60.1% है। इसके बाद स्व-रोजगार श्रेणी (59%) और निजी कंपनियों (47.9%) में कार्यरत हैं। जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी उपरोक्त अनौपचारिक श्रेणियों के विपरीत आय में तुलनात्मक रूप से कम दर से कम प्रभावित होते हैं। आय में परिवर्तन की दर के आंकड़ों को देखते हुए, यह देखा जा सकता है कि, जनवरी 2020 की पूर्व-कोविड अवधि के दौरान, पांच श्रेणियों के लोगों के बीच मासिक आय में बहुत अधिक असमानता नहीं थी, जिसका प्रमाण एफ मूल्य से है। 1.7. हालांकि, कोविड-19 के दौर में स्थिति और विकट हो गई है। मासिक आय में असमानता अधिक स्पष्ट हो गई क्योंकि यह मान 7.6 होने का प्रमाण है। यह जम्हाई का अंतर दैनिक वेतन भोगियों और प्रवासियों के बाद स्व-नियोजित श्रमिकों के मामले में अधिक विशिष्ट है। इस प्रकार, यह इस तथ्य पर जोर देता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों में कोविद - 19 का खामियाजा गंभीर रहा है क्योंकि यह चक्रवर्ती (2020) द्वारा भी प्रमाणित हुआ था।

तालिका 2: जनवरी 2020 और जून 2020 के दौरान विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों में औसत मासिक आय की तुलना

	दिहाड़ी मजदूर	स्व - रोजगार	प्रवासी	निजी कंपनी	सरकारी क्षेत्र	कुल	एफ-मूल्य
एन	130	64	37	87	36	354	1.783 (0.131)
जनवरी 2020	18853.99 (1664.74)	19169.52 (3708.963)	18892.41 (3715.022)	23459.3 (26510.026)	21805.56 (12274.990)	20334.91 (13890.770)	
जून 2020	6896.192 (5522.525)	8230.923 (6161.084)	7608.108 (6008.252)	11316.86 (8707.453)	12444.44 (10330.107)	8853.856 (7415.144)	7.661*** (0.000)
कमी की दर	67.7% (.570)	59% (.254)	60.1% (.258)	47.9% (.252)	44.7% (.230)	58.2% (.407)	4.314*** (0.000)

स्रोत: प्राथमिक डेटा

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक विचलन हैं

*** महत्व के 1 प्रतिशत स्तर को दर्शाता है

मासिक आय में कमी की दर के निर्धारक: लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल से परिणाम: कोविड-19 के दौरान मासिक आय में कमी की दर के निर्धारकों के अनुभवजन्य परिणाम तालिका 4 में दिखाए गए हैं। प्रतिगमन के आकलन में उपयोग किए जाने वाले आयाम के वर्णनात्मक आंकड़े तालिका 3 में दिए गए है। स्वतंत्र चर के संबंध में मापदंडों का गुणांक ओएलएस अनुमान से लिया गया है। अध्ययन में उपयोग किए गए स्वतंत्र आयाम स्थान, जेंडर, आयु, शिक्षा, श्रमिकों की वर्तमान आर्थिक स्थिति और रोजगार के क्षेत्र हैं।

जैसा कि तालिका 4 से देखा जा सकता है, उत्तरदाताओं का स्थान कोविड-19 अवधि के दौरान आय में कमी की दर में महत्वपूर्ण अंतर नहीं लाता है। इसलिए, यह घर चलाता है कि ग्रामीण और शहरी मतभेदों के बावजूद कोविड से प्रेरित तबाही हर जगह दिखाई दे रही है। कोविड-19 के 'जेंडर' वार प्रभाव से पता चलता है कि, महिलाओं की तुलना में, पुरुष कोविड-19 के दौरान मासिक आय में कमी की दर से अधिक प्रभावित होते हैं। पुरुषों की आय में कमी की औसत दर की तुलना में 15.6% कम है। यह इस तथ्य के कारण रहा होगा कि यह मुख्य रूप से पुरुष है जो महिला समकक्षों के बजाय काम पर जाता है जो मुख्य रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था में बंद हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जैसे ही कोविद ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, पुरुषों की आय में काफी गिरावट आई।

'आयु' का मासिक आय में कमी की दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसका अर्थ है कि कोविड-19 के दौरान मासिक आय में कमी उम्र में वृद्धि के साथ गिरती है। आयु जितनी अधिक होगी, उत्तरदाताओं की आय में कमी की दर उतनी ही कम होगी।

परिवर्तनीय 'शिक्षा' मासिक आय में कमी की दर पर एक विशिष्ट प्रभाव डालती है। मानव पूंजी संचय की भूमिका, विशेष रूप से आर्थिक आघात के संदर्भ में, एक स्थिर भूमिका निभाती है और इसका प्रभाव आय आय की स्थिरता पर महसूस किया जाता है (कैलरसन और मैकचेसनी, 2015)। अर्थात्, आय के संचय में निरंतरता मानव पूंजी के अधिग्रहण से बहुत प्रभावित होती है। जैसा कि तालिका 4 में बताया गया है, 'शिक्षा' का कोविड-19 के दौरान मासिक आय में कमी की दर पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह का निष्कर्ष कियान और फैन (2020) द्वारा निकाला गया, जिन्होंने पाया कि शिक्षा ने चीन के लोगों की मदद की है। लोगों की आय के नुकसान पर कोविद 19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

यह पता लगाना वांछनीय समझा जाता है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड से प्रेरित आर्थिक आघात कैसे वितरित किया जाता है। मूल्यांकन राशन कार्ड के रंग के आधार पर किया जाता है जहां सबसे कमजोर वर्ग पीला कार्ड धारक होता है। हमारे अध्ययन में पाया गया कि कोविड-19 अवधि के दौरान आय में कमी की औसत दर मुख्य रूप से अन्य की तुलना में पीले कार्ड धारकों (गरीबी रेखा से नीचे के परिवार) में 23% अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आय की हानि ने समाज के कमजोर वर्गों पर भारी प्रभाव डाला है, जैसा कि लैबोर्डे एट अल।, (2020) द्वारा भी प्रमाणित किया गया था।

व्यवसाय श्रेणियों को औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में विभाजित करके ज्यादातर महामारी से तबाह हुए रोजगार के क्षेत्र की पहचान करने के लिए एक और विश्लेषण किया जाता है। मौजूदा अध्ययन में, औपचारिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र और निजी कंपनियों के श्रमिक शामिल हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर, स्वरोजगार करने वाले श्रमिक और प्रवासी मजदूर शामिल हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि आय में कमी की दर औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में अधिक है। इसे विस्मय के साथ देखा जाना चाहिए क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में लोगों की आय में गिरावट उनकी पहले से ही कमजोर पड़ने वाली स्थितियों को और खराब कर देगी। इसलिए, अनौपचारिक क्षेत्र का आघात अवशोषित प्रभाव औपचारिक क्षेत्र की तुलना में कमजोर है जो श्रम अवशोषण में अपेक्षाकृत अधिक सुसंगत और आवधिक है।

तालिका 3: आयाम के सारांश आँकड़े

क्रम सं.	विवरणात्मक आयाम	साधन	मानक विकास	न्यूनतम	ज्यादा से ज्यादा
1	स्थान (ग्रामीण = 1; शहरी = 0)	.8672	.339	0	1
2	लिंग (पुरुष = 1; महिला = 0)	.8446	.3627	0	1
3	आयु वर्ग	2386.992	1154.576	529	6889
4	शिक्षा (वर्षों में)	10.480	3.275	6	16
5	आर्थिक स्थिति (यदि HH के पास पीला	.073	.2612	0	1

	कार्ड = 1; अन्य = 0)				
6	रोजगार का क्षेत्र(अनौपचारिक=1; औपचारिक = 0)	.6525	.4768366	0	1
	निरीक्षण	354			

स्त्रोत: प्राथमिक डेटा

तालिका 4: मासिक आय में कमी की दर के लॉग लीनियर रिग्रेशन अनुमान के परिणाम

क्रम सं.	विवरणात्मक आयाम	ओएलएस	महत्व मूल्य
1	स्थान (ग्रामीण = 1; शहरी = 0)	.098*	.750
2	जेंडर (पुरुष = 1; महिला = 0)	-.156***	.006
3	आयु	-.007***	.000
4	शिक्षा (वर्षों में)	-.013*	.063
5	आर्थिक स्थिति (यदि HH के पास पीला कार्ड = 1; अन्य = 0)	.236***	.000
6	रोजगार का क्षेत्र(अनौपचारिक=1;	.097**	.035
7	औपचारिक	.981***	.000
8	अवलोकन	354	
9	R2 छद्म आर-वर्ग	0.40	
	एफ आँकड़ा	10.715	0.000

स्रोत: अतर अनुभाग सर्वेक्षण से लेखकों की अपनी गणना

नोट: ***, ***, * महत्व के क्रमशः 1%, 5% और 10% स्तरों को इंगित करें

निष्कर्ष

यह प्रपत्र लोगों की आय में कमी के संदर्भ में कोविड प्रेरित आर्थिक संकट के आर्थिक प्रभाव की सीमा का पता लगाने के लिए एक अनुभवजन्य विश्लेषण है। इस अध्ययन में विभिन्न कारकों जैसे कि उम्र, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लोगों की आघातो को झेलने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करने का प्रयास किया गया । सर्वेक्षण-आधारित साक्ष्य से पता चलता है कि कोविड- 19 ने एक गंभीर कहर ढाहा और सभी वर्गों के लोगों का अध्ययन किया, इसी तरह, निम्न आय की स्थिति वाले लोग महामारी के प्रकोप से और अधिक बर्बाद हो गए हैं। जेंडर विश्लेषण से पता चलता है कि पुरुषों की आय में कमी की

औसत दर महिलाओं की तुलना में 15.6% कम है। इस अवलोकन पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि पुरुष परिवार के प्रमुख रोटी विजेता हैं। आय में गिरावट के साथ आयु और शिक्षा नकारात्मक रूप से संबंधित प्रतीत होती है। यह, मानव पूंजी के सिद्धांतों के आधार पर, संकट की स्थिति के दौरान भी आय आय में स्थिरता सुनिश्चित करने में मानव पूंजी संचय की प्रभावशीलता के रूप में व्याख्या की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा तक पहुंच का विस्तार कमाई के स्रोतों तक पहुंचने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, और यह कि आर्थिक आघात और श्रम बाजार की खामियों से लड़ने के लिए शिक्षा एक सक्रिय उपकरण है। इसलिए सरकारों को उन कार्यक्रमों और योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो कौशल अधिग्रहण, कौशल उन्नयन और ज्ञान जागरूकता की गारंटी देते हैं। अध्ययन, संक्षेप में, इस बात पर जोर देता है कि नई महामारी के कारण गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जो मुख्य रूप से लोगों की आय को प्रभावित कर रहा है। यह लोगों को उनकी दुर्बल स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए सरकारी अधिकारियों के तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान करता है।

संदर्भ

बेकर, एस.आर., ब्लूम, एन., डेविस, एस.जे., कोस्ट, के.जे., सैमन, एम.सी., और विराटोसिन, टी. (2020) कोविड -19 (नंबर w26945) का अभूतपूर्व शेयर बाजार प्रभाव। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो।

कार्लसन, आर, और मैकचेसनी, सी (2015)। शैक्षिक प्राप्ति के माध्यम से आय स्थिरता एक्सचेंज, 4(1)

चक्रवर्ती, एस (2020)। भारत में कोविड-19 और अनौपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिक आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55(35), 17

कडिंगटन, जे.टी. (1993) एड्स के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर आगे के परिणाम: द्विपक्षीय, श्रम-अधिशेष अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक आर्थिक समीक्षा, 7(3), 403-417

कडिंगटन, जे.टी., और हैनकॉक, जे.डी. (1994) मालवीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर एड्स के प्रभाव का आकलन। विकास अर्थशास्त्र जर्नल, 43 (2), 363-368

फर्नांडीस, एन (2020) विश्व अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस प्रकोप (COVID-19) के आर्थिक प्रभाव। 3557504 पर उपलब्ध है।

हॉल, आर.ई. (1997)। मैक्रोइकॉनॉमिक उतार-चढ़ाव और समय का आवंटन। जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स, 15(1, भाग 2), S223-S250

इरुदयाराजन, एस., और जकारिया (2020)। केरल प्रवासन सर्वेक्षण 2018 से नया साक्ष्य। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 5(4), 41-49

जॉनसन, एन.पी., और म्यूएलर, जे. (2002)। अद्यतन खाते: 1918-1920 "स्पेनिश" इन्फ्लूएंजा महामारी की वैश्विक मृत्यु दर। चिकित्सा के इतिहास का बुलेटिन, 105-115

जोन्स, ए.एम., राइस, एन, और ज़ैंटोमियो, एफ (2016) तीव्र स्वास्थ्य आघात और श्रम बाजार के परिणाम यूनिवर्सिटी वेनिस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च पेपर सीरीज, (9)।

जंग, एच, पार्क, एम, होंग, के, और ह्यून, ई (2016) उपभोक्ता व्यय पर महामारी के प्रकोप का प्रभाव: एमईआरएस कोरिया के लिए एक अनुभवजन्य मूल्यांकन सस्टेनेबिलिटी, 8(5), 454.

कार्लसन, एम, निल्सन, टी, और पिचलर, एस (2014) स्वीडन में आर्थिक प्रदर्शन पर 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी का प्रभाव: एक असाधारण मृत्यु दर के आघात के परिणामों की जांच। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के जर्नल, 36, 1-19

केओघ-ब्राउन, एम.आर., और स्मिथ, आर.डी. (2008) सार्स का आर्थिक प्रभाव: वास्तविकता भविष्यवाणियों से कैसे मेल खाती है? स्वास्थ्य नीति, 88(1), 110-120.

कुर्ज़, एच.डी. (2006) आर्थिक विचार का इतिहास कहाँ है? धीरे-धीरे कहीं नहीं जा रहे हैं?. द यूरोपियन जर्नल ऑफ़ द हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक थॉट, 13(4), 463-488

लेबोर्डे, डी, मार्टिन, डब्ल्यू, स्विनन, जे।, और वोस, आर (2020) वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए कोविड-19 जोखिम। विज्ञान, 369 (6503), 500-502

लेमिएक्स, टी।, मिलिगन, के, शिरले, टी, और स्कुटेरुड, एम। (2020) कनाडा के श्रम बाजार पर कोविड-19 महामारी के प्रारंभिक प्रभाव। कनाडा की सार्वजनिक नीति, 46(S1), S55-S65

लुकास जूनियर, आर.ई. (1977, जनवरी) व्यापार चक्रों को समझना, सार्वजनिक नीति पर कार्नेगी-रोचेस्टर सम्मेलन श्रृंखला में (वॉल्यूम 5, पीपी 7-29) उत्तर-हॉलैंड।

लुकास जूनियर, आर.ई. (2003) मैक्रोइकॉनॉमिक प्राथमिकताएं अमेरिकी आर्थिक समीक्षा, 93(1), 1-14.

मालिस्ज़ेवस्का, एम, मट्टू, ए, और वैन डेर मेन्सब्रुघे, डी (2020) जीडीपी और व्यापार पर कोविड -19 का संभावित प्रभाव: एक प्रारंभिक आकलन। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र, (9211)

मैककिबिन, डब्ल्यू, और फर्नांडो, आर (2020) कोविड -19 का आर्थिक प्रभाव, कोविड -19 के समय में अर्थशास्त्र, 45

मैकलारेन, एच.जे., वोंग, के.आर., गुयेन, के.एन., और महामदाची, के.एन.डी. (2020), कोविड-19 और महिला ट्रिपल बर्डन: श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया से विगनेट्स। सामाजिक विज्ञान, 9(5), 87.

ओवर, ए.एम., और स्वास्थ्य विश्व बैंक, अफ्रीका तकनीकी विभाग जनसंख्या (और पोषण प्रभाग)। (1992)। उप-सहारा अफ्रीका में एड्स का व्यापक आर्थिक प्रभाव। विश्व बैंक, अफ्रीका तकनीकी विभाग, जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग

पौलियाकस, के., और ब्रांका, जे. (2020) कोविड- 19 सोशल डिस्टेंसिंग के उच्चतम जोखिम में यूरोपीय संघ की नौकरियां: क्या महामारी श्रम बाजार को विभाजित करेगी? इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स

कियान, वाई, और फैन, डब्ल्यू (2020)। कोविड- 19 के प्रकोप के दौरान कौन आय खो देता है? चीन से सबूत सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता में अनुसंधान, 68, 100522

सिउ, ए., और वोंग, वाई.आर. (2004)। सार्स का आर्थिक प्रभाव: हांगकांग का मामला। एशियन इकोनॉमिक पेपर्स, 3(1), 62-83.

स्टीफंस, ए.आर. (2017) महामारी के आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए आपातकालीन आर्थिक नीति विकल्पों की आवश्यकता: पश्चिम अफ्रीका में इबोला और दक्षिण कोरिया में एमईआरएस क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं और नीतियां, 2(2), 1-11.

विलियम्स, सी.सी., और कायाओग्लू, ए. (2020) कोविड- 19 और अघोषित कार्य: यूरोप में प्रभाव और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ सेवा उद्योग जर्नल, 1-18

3. हैदराबाद में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर कोविड-19 लॉकडाउन का प्रभाव

रमण मूर्ति वी रूपकुला और धनंजय कुमार***

सार

भारत के उत्तरी राज्यों से दक्षिण भारतीय राज्यों में श्रमिकों का प्रवास पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में अधिक हो गया। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडीशा और झारखंड के श्रमिक पूरे तेलंगाना में विनिर्माण, निर्माण, चावल मिलों, चीनी मिलों, जिनिंग मिलों और डेयरी उद्योग में कार्यरत हैं, जो स्पष्ट रूप से हैदराबाद शहर में हैं। इनमें से ज्यादातर स्वेटशॉप के कर्मचारी हैं, जो अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन की अचानक घोषणा ने न केवल उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया है, बल्कि बेरोजगार और गंतव्य में भय का माहौल बना दिया है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद घर पहुंचने की हताशा की यह घबराहट प्रतिक्रिया पैदा कर दी। वापस जाने के लिए परिवहन की कमी और कर्फ्यू ने लोगों पर अनकही परेशानी पैदा कर दी है। सरकार प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचने के लिए डेटा, तंत्र की कमी के कारण एक सुरक्षात्मक सामाजिक सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं थी। यह नागरिक समाज है जिसने वापसी की व्यवस्था करने का मानवीय कार्य किया है। यह पेपर बिहार के प्रवासी कामगारों से लॉकडाउन के बाद रोजगार की स्थिति और वापसी की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मांगता है।

महत्वपूर्ण शब्द: कोविड -19, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर, महामारी, आजीविका

परिचय

दिसंबर 2019 से चीन में कोविड-19 महामारी का एक अभूतपूर्व प्रकोप वर्ष 2020 से दुनिया भर के सभी देशों को हाल के इतिहास (हसन, सौलम, कांडा, और हीराव, 2020) में अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित कर रहा है। प्रारंभ में, महामारी ने विशेष रूप से यूरोप में विकसित देशों के बीच एक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल पैदा कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

---

* प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हैदराबाद विश्वविद्यालय, गच्चीबौली, हैदराबाद, तेलंगाना, 500046, भारत

** शोधार्थी, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हैदराबाद विश्वविद्यालय, गच्चीबौली, हैदराबाद, तेलंगाना, 500046, भारत

ने मार्च 2020 में सभी देशों को तत्काल उपाय के रूप में लॉकडाउन लागू करने, प्रसार, घातक घटनाओं को रोकने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण के साथ महामारी से निपटने के लिए समय निकालने के लिए कहा। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (यूएसए) जैसे देश अनिच्छुक थे, सभी यूरोपीय देशों ने तत्काल अनुपालन प्रदर्शित किया (बीबीसी, 2020) ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने कथित तौर पर केवल वुहान शहर को बंद कर दिया, जहां से वायरस निकला था; प्रत्येक प्रभावित रोगी के जोरदार परीक्षण और अलगाव के साथ और इसने कथित तौर पर बिना किसी राष्ट्रव्यापी तालाबंदी (द गार्जियन, 2020) को लागू किए, घातक और प्रभावी रूप से प्रसार को नियंत्रित किया। लॉकडाउन की रणनीति के साथ तात्कालिक चिंता लोगों की आजीविका और रोजगार को होने वाले नुकसान को लेकर है। कुछ देशों ने प्रवासी कामगारों को काम के शहरों से अपने मूल घरों तक पहुंचने के लिए प्रतिक्रिया समय दिया, उदाहरण के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए लॉकडाउन की पद्धति महत्वपूर्ण साबित हुई।

भारत में केंद्र सरकार के नेतृत्व में 24 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से एक महीने का तालाबंदी लागू कर दी गई, जिससे सभी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं निलंबित हो गईं। तत्काल संशोधन के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003 और महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू करते हुए पूरे देश में अठारह घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। सख्त लॉकडाउन का तत्काल प्रभाव यह है कि इसने देश में लोगों की आवाजाही पर कब्जा कर लिया है। लाखों प्रवासी श्रमिक अल्प बचत और निलंबित रोजगार के साथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फंस गए थे। स्थानीय सरकारों के पास प्रवासियों पर डेटा की कमी थी, जिससे किसी भी सामाजिक सुरक्षा का विस्तार नहीं हो सका, जो कि मूल आबादी के लिए व्यवस्था कर सके। मई 2020 के पहले सप्ताह तक, लाखों प्रवासी देश के अन्य राज्यों में दूर-दराज के अपने पैतृक गांवों को जाने के लिए बेताब होकर बाहर निकलने लगे। कोई परिवहन न मिलने पर, वे रेल की पटरियों और सड़कों पर चलने लगे। मानव जीवन की हानि को रोकने के उद्देश्य से किया गया लॉकडाउन बहुत कठोर साबित हुआ था। कई गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने मानवीय सहायता का आयोजन शुरू किया और मीडिया रिपोर्टों ने गंभीर जनता का ध्यान आकर्षित किया। कई त्वरित अध्ययनों ने आंतरिक और साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के पलायन और प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है (क्रेसन और लाइट 2020; मोंटेरियो और रेनुगा 2020; फोले और पाइपर 2020)।

महामारी ने भारत में गरीबों पर अत्यधिक कठिनाई ला दी है, जहां प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा वस्तुतः अनुपस्थित है (सुरेश एट अल 2020)। भारत में अधिकांश आंतरिक प्रवासी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और स्वरोजगार श्रम में एक छोटा हिस्सा (श्रीवास्तव, 2011)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुगमता जैसे न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए प्रवासियों पर डेटा बेस की कमी गंतव्य पर उनकी पहचान को असंभव बना देती है (बंसल, 2020)। श्रीवास्तव (2020) ने देखा कि भारत में आंतरिक प्रवासियों को गंतव्य पर पहचान, पात्रता, सामाजिक नेटवर्क और समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 लॉकडाउन के अचानक प्रकोप ने इस भेद्यता को पहले की तरह उजागर कर दिया।

जहां तक लॉकडाउन की पद्धति की बात है, दुनिया के लिए सामान्य प्रोटोकॉल चीन से आया है, जिन्होंने देश के बाकी हिस्सों को लागू किए बिना वुहान शहर में सीमित लॉकडाउन लगाया था। हालाँकि, भारत, जिसकी एक बड़ी आबादी संभावित रूप से कमजोर है, ने पूरे देश को अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे पूरे देश में ठहराव आ गया। जबकि मीडिया रिपोर्टों से जागरूकता पैदा करने की उम्मीद है, सोशल मीडिया और फोन संदेश एहतियाती उपायों की तुलना में लोगों में दहशत पैदा करने में सफल रहे। बाजार में सभी के लिए कोई मास्क, दस्ताने या सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं थे। मौत की घंटी की तरह एम्बुलेंस के सायरन बज रहे थे। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने केवल कोविड-19 की मौत और रोगियों के लिए बिस्तरों की कमी की सूचना दी। निजी अस्पतालों ने सर्दी के लक्षण वाले किसी को भी मना करना शुरू कर दिया। कर्फ्यू के कारण आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में हड़कंप मच गया। प्रवासी मजदूरों को दरकिनार करते हुए स्थानीय सरकारें उस अधिवास के श्रम तक ही पहुंच सकीं। दो महीने के बाद, अधिकांश प्रवासी श्रमिकों ने पैसे की कोई संभावना नहीं होने के कारण अपनी बचत को खाली कर दिया, क्योंकि नियोक्ता भुगतान पर एक तरफ देखने लगे। कुछ सर्वेक्षणों में बताया गया है कि 50% प्रवासी मजदूरों की जेब में 300 रुपये से भी कम बचा है [स्वान रिपोर्ट 2020]। भूख ने सामाजिक व्यवस्था को खतरा देना शुरू कर दिया। इसने जल्द ही प्रवासियों को न केवल भविष्य के बारे में, बल्कि वर्तमान के बारे में भी हताश कर दिया, जिससे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के बीच भविष्य का सामना करने के लिए घर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सरकारों ने परिवहन के किसी भी साधन को खोलने से इनकार कर दिया, हजारों लोगों ने राजमार्गों और रेलवे पटरियों के साथ सभी प्रमुख शहरों से पैदल घर चलना शुरू कर दिया। भारत का प्रवासी

नक्शा जल्द ही वापसी प्रवासियों के पलायन के साथ सामने आया। इनमें से वॉकथॉन के दिल दहला देने वाले दृश्य, कभी किसी जगह ट्रेन के ऊपर दौड़े जा रहे हैं, या कोई सड़क पर निर्जलीकरण से मर रहा है।

कई शहरों में नागरिक समाज ने श्रम और राज्य तक पहुँचने में मदद करके एक असाधारण भूमिका निभाई है। उनकी पहल पर, अदालतों ने राज्य को आपातकालीन ट्रेन सेवाएं शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि लाखों लोग कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ घरों तक पहुंच सकें। गंतव्य राज्य के संगरोध मानदंडों ने आइसोलेशन केंद्रों पर बीमारी, सहरुग्णता और दुर्व्यवहार की समस्याओं के साथ और चुनौती पैदा कर दी (कुमार, 2020; मोहंती, 2020; मडैक, 2020)। विश्व बैंक (2020) ने गरीबी में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका जताई। सरकार द्वारा नवंबर 2020 तक घोषित मुफ्त राशन असहायों के लिए एकमात्र सांत्वना रहा।

श्रमिक विद्वानों के लिए प्रवासियों पर विश्वसनीय डेटा, गंतव्य और घर पर उनकी स्थिति, आतंक वापसी प्रवास के कारण आदि हैं। कोविड-19 स्थितियों ने प्राथमिक शोध की संभावना को रोक दिया, जबकि माध्यमिक डेटा किसी भी मामले में अनुपस्थित है, केवल रिपोर्ट है कि फ्री लांसर्स और एनजीओ के उपाख्यानात्मक अंशों से आया है। यह लेख देश में श्रम कल्याण पर कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों को उजागर करने के लिए, हैदराबाद शहर के 350 बिहारी प्रवासियों के प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है, जो कोविड-19 संकट के दौरान बिहार के विभिन्न गांवों में वापस चले गए थे।

डेटा और तरीके

विभिन्न शहरों में प्रवासी श्रमिकों का डेटा बेस तैयार करने वाली एकमात्र एजेंसियां सिविल सोसाइटी संगठन थीं, जिन्होंने प्रवासियों को भोजन, आवास, वित्तीय सहायता और परिवहन में मदद की है। गैर सरकारी संगठनों ने सरकारों को उन ट्रेनों और बसों में चढ़ने में मदद की जो उन्हें मूल स्थान पर ले जाने के लिए नियत की गई थीं। डेटा बेस बनने की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रवासी के आधार और फोन संपर्क एकत्र किए गए। हैदराबाद शहर में, हैदराबाद कोविड -19 हेल्प लाइन ने डेटा बेस बनाया और वर्तमान शोधकर्ता ने अक्टूबर 2020 के महीने में एक्सेस करना शुरू किया। हमने 350 बिहारी प्रवासियों के संपर्क विवरण एकत्र किए हैं, जो बिहार वापस चले गए थे और फोन पर उनका साक्षात्कार करने के लिए चुना था, कोई भौतिक सर्वेक्षण संभव नहीं लग रहा था।

हैदराबाद में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के प्रभाव, प्रतिक्रिया और उत्तरजीविता रणनीति के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं पर एक मिश्रित विधि अनुसंधान डिजाइन को अपनाया गया था और एक अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई थी। अध्ययन के उद्देश्य से, हमने निर्धारित साक्षात्कार के लिए 350 मोबाइल नंबरों में से 100 नंबरों को यादृच्छिक रूप से कॉल करना चुना। उत्तरदाताओं का सत्यापन डेटा बेस में उपलब्ध उनके आधार नंबरों की सहायता से किया जाता है।

गुणात्मक जानकारी के लिए, 22 का नमूना आकार अर्थ संतृप्ति 2 (हेनिंक एट अल।, 2017; क्रेसवेल, 1998) द्वारा निर्धारित किया गया था और आगे के साक्षात्कार सरकारी समर्थन, परिवार के आकार और रोजगार और मजदूरी क्षेत्र के संदर्भ में कुछ मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए किए गए थे। अध्ययन के दायरे के अनुसार उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए 100 का नमूना आकार शक्ति विश्लेषण सूत्रों 3 (कोचरन, 2007) का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। साक्षात्कार हिन्दी/बिहारी भाषा में आयोजित किए गए और औसतन प्रत्येक टेलीफोनिक साक्षात्कार 25-30 मिनट के बीच चला।

वापसी प्रवासियों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा : सभी उत्तरदाता पुरुष थे, जिनमें लगभग 66 प्रतिशत विवाहित हैं और 34 प्रतिशत अविवाहित हैं। लगभग 90 प्रतिशत नमूना हिंदू धर्म का है और शेष 10 प्रतिशत मुस्लिम धर्म का है। सामाजिक समूहों के संदर्भ में, सर्वेक्षण किए गए प्रवासियों में 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) से हैं, 43 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) से हैं और केवल 12 प्रतिशत प्रवासी उच्च जाति के हैं। आयु वर्गीकरण के संदर्भ में प्रवासी बहुत विषम हैं। प्रवासी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और साक्षात्कार में लिए गए प्रवासी की अधिकतम आयु 62 वर्ष थी। जबकि प्रवासियों की औसत आयु 29 वर्ष के आसपास पाई गई।

अप्रत्याशित रूप से, जैसा कि हम बिहार से प्रवासन की सीमा को जानते हैं, (हन, 2020), हमने उन प्रवासियों को पाया, जो बिहार राज्य के लगभग हर जिले से हैदराबाद से बिहार लौटे थे, जितना कि वे कहीं और गए प्रतीत होते हैं। रोजगार की तलाश में भारत हालाँकि, प्रवासियों के पास विशिष्ट पैटर्न था जिसमें राज्यों को प्रवास करने का विकल्प था। दत्ता (2020) के पहले के अध्ययन में पाया गया कि पंजाब, दिल्ली और हरियाणा उत्तर भारत में प्रवासियों के लिए सत्तर से नब्बे के दशक में सबसे पसंदीदा राज्य थे, इसके बाद नब्बे के दशक के मध्य में पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र थे। लेकिन हाल के दशकों में, प्रवासी अपने रोजगार स्थलों में दक्षिण भारतीय राज्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सर्वेक्षण में,

हमने पाया है कि बिहार के 38 जिलों में, तेलंगाना राज्य में कार्यरत प्रवासी बिहार के 24 जिलों से थे। हालांकि, हमने पाया कि समस्तीपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सारण और अररिया जिले बिहार के शीर्ष पांच प्रवासियों को भेजने वाले जिले हैं (चित्र 1)।

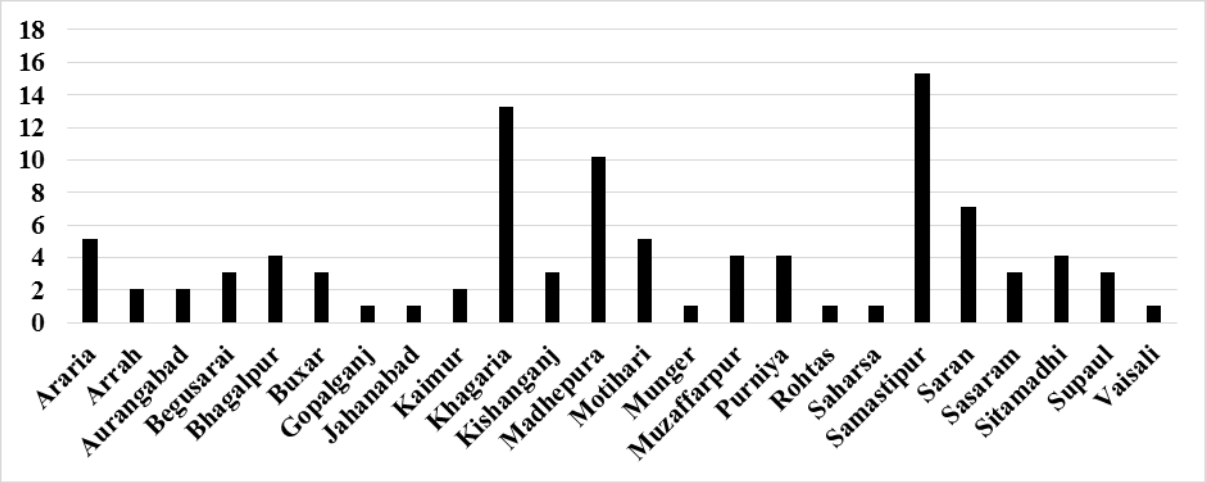

चित्र 1: बिहार के जिलों के बीच वापसी प्रवासियों का वितरण।

स्रोत: टेलीफोनिक सर्वेक्षण

स्रोत से पलायन करने वाले पुरुष प्रवासियों का महत्वपूर्ण कारण रोजगार है। एक दशक से भी अधिक समय से, उत्तरी और पूर्वी राज्यों से दक्षिणी राज्यों की ओर जबरदस्त श्रम प्रवास हुआ है, जिसकी परिमाण कुछ करोड़ में बताई जाती है (तुम्बे, 2018)। यह व्यापक रूप से प्रलेखित है कि 1993 से, 1991 में आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के कुछ वर्षों बाद, कई दक्षिणी राज्यों ने विकास करना शुरू किया। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की वृद्धि तेजी से प्रवासी श्रम पर आधारित थी। हैदराबाद शहर, 2002 से विकास के इंजनों में से एक बन गया है, जिसमें अचल संपत्ति और आईटी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विस्तार के साथ, काफी आगे के संबंध हैं। निर्माण, हाईवे, उद्योग, होटल, पेटी वेंडिंग में आर्थिक गतिविधि प्रमुख रूप से बिहार से तेजी से प्रवासी श्रमिकों का उपयोग कर रही थी ।

इसके अलावा, प्रवासी ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करते हैं जैसे ईंट भट्टी, चावल मिलों, मुर्गी फार्मों, जिनिंग मिलों, चीनी मिलों, कताई मिलों और डेयरी उद्योग में। अकेले हैदराबाद शहर में प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब 20 लाख है, जबकि बाकी राज्यों में यह करीब 5 लाख और है। तेलंगाना में प्रवासी कई व्यवसायों में काम करते हैं। साक्षात्कार में आए प्रवासियों में लगभग 29 प्रतिशत राइस मिल में, 16 प्रतिशत निर्माण में, और 12 प्रतिशत आटा, बीज और इस्पात संयंत्रों में कार्यरत थे। इन मिलों और संयंत्रों में अधिकांश

प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं जिन्हें हमाली और पल्लेदार के नाम से जाना जाता है। हालांकि, मिलों में काम करने वाले प्रवासियों के पास निर्माण क्षेत्र के अकारण मजदूरों की तुलना में आय के लगातार स्रोत हैं। हमने पाया कि 58 प्रतिशत प्रवासी 15 दिनों के भीतर अपनी आय प्राप्त करते हैं, 23 प्रतिशत मासिक भुगतान प्राप्त करते हैं और केवल 18 प्रतिशत दैनिक वेतन भोगी थे। औसतन लगभग 40 प्रतिशत प्रवासी 1 वर्ष से कम समय में रह रहे थे और 22 प्रतिशत अपने गंतव्य स्थान पर रोजगार के लिए 5 वर्ष से अधिक समय से रह रहे थे।

सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में, केवल 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा थी और 93 प्रतिशत के पास कोई भी नहीं था। स्टील प्लांट में प्रवासी जिन्हें मासिक भुगतान मिलता है, उनके नियोक्ताओं द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रवासियों के साथ चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें गंतव्य में उपलब्ध किसी भी सामाजिक सुरक्षा उपायों के बारे में पता नहीं है, यहां तक कि राशन कार्ड के लिए पोर्टेबिलिटी विकल्प भी नहीं है। दूसरे, प्रवासियों ने कहा कि वे ऐसी किसी भी योजना में नहीं फंसना चाहते हैं जो मौजूदा योजनाओं को मूल रूप से अस्वीकार कर सकती है।

रोजगार

21 मार्च 2020 में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, चिकित्सा, पुलिस और मीडिया जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अधिकांश औद्योगिक इकाइयों, रोडवेज, ट्रेनों और हवाई परिवहन ने काम करना बंद कर दिया। चार महीने से सभी कारखाने, होटल और उद्योग बंद थे। इसका पहला कारण हर जगह रोजगार था, तेलंगाना कोई अपवाद नहीं था। प्रवासी मजदूर निर्माण, चावल मिलों, कृषि उद्योगों और डेयरी में प्रमुखता से काम करते पाए जाते हैं। तेलंगाना राज्य में प्रवासी व्यवसायों और अनुभव के प्रकार के आधार पर 14000 रुपये से 25000 रुपये प्रति माह की आय अर्जित कर रहे थे। हैदराबाद में प्रवासियों द्वारा अर्जित औसत आय ₹14,066 है। राइस मिल में काम करने वाले प्रवासियों ने काफी अधिक आय अर्जित की, जबकि सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वालों को सबसे कम वेतन मिलता है। निर्माण क्षेत्र में औसत मासिक कमाई ₹13,281 पाई गई, जबकि हैदराबाद में ड्राइविंग और इलेक्ट्रीशियन जैसे व्यवसाय सबसे अधिक वेतन पाने वाले काम थे, जहां वे प्रति माह औसतन 25,000 रुपये कमाते हैं। हमने पाया कि हैदराबाद में प्रवासियों की औसत कमाई दक्षिण भारतीय राज्यों के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी अधिक या बराबर है। दत्ता (2020) ने बिहार के प्रवासियों के लिए उनके गंतव्य पर 9000 रुपये की औसत आय पाई। मार्च 2020 से ये सभी आय ठप

हो गई है, पांच महीने की बेरोजगारी, प्रत्येक मजदूर को 75,000 रुपये से 1,25,000 रुपये तक की सकल आय का नुकसान, जो संभावित रूप से उन्हें ऋणग्रस्तता में ले जा सकता है।

इस नुकसान का प्रभाव भारत में पूरे सामाजिक दायरे में अलग-अलग होगा। हम जानते हैं कि दलित जाति-आधारित समाज में पिरामिड के अंत में हैं, जिसके भीतर वर्ग संरचना है। हमने चित्र 2 में सवर्ण, अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मजदूरों की औसत आय में अंतर दिखाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और उच्च जाति के प्रवासियों के बीच औसत आय का अंतर लगभग ₹5000 है, जो इससे लगभग 30% कम है। उच्च जाति की, और ओबीसी की पूर्व की तुलना में 15% कम। सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष आईएचडीएस डेटा सर्वेक्षण और पहले के सर्वेक्षणों (दत्ता, 2020: चंद्रशेखर और मित्रा, 2019) के निष्कर्षों के साथ मेल खाता है। सामाजिक समूहों के बीच आय में अंतर कौशल सेट और प्रवासी के लिए उपलब्ध रोजगार की प्रकृति के कारण स्पष्ट है। सामान्य तौर पर, निचले तबके के प्रवासियों को कम शिक्षा, सूचना अंतराल और नेटवर्किंग की कमी के कारण कम वेतन वाली नौकरियों में रोजगार मिलता है।

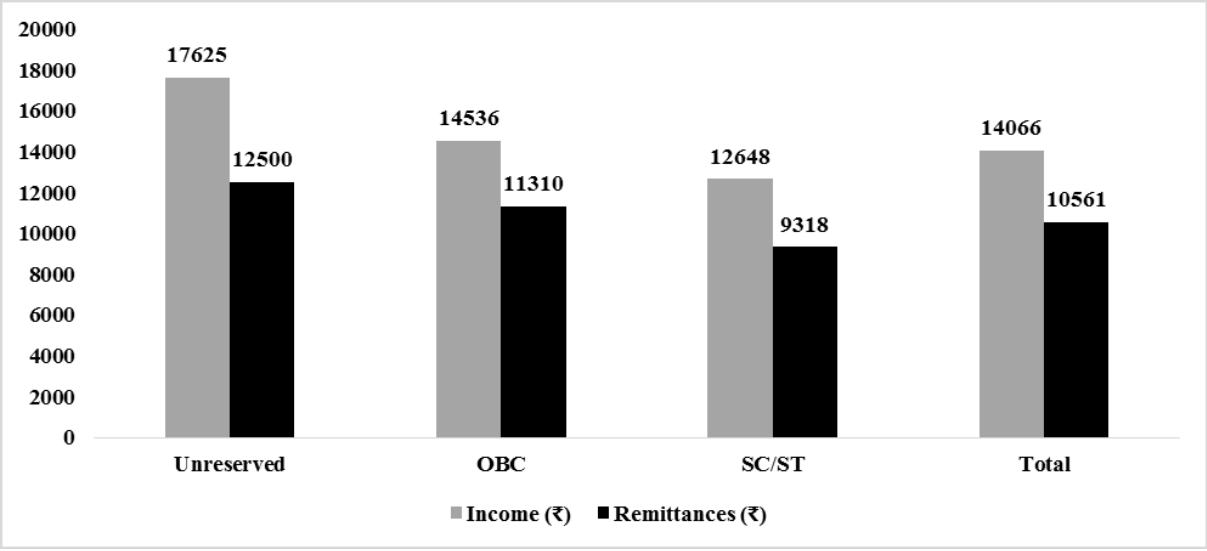

चित्र 2 : प्रवासियों की औसत आय और प्रेषण

स्रोत: टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम से अनुमानित

दिलचस्प बात यह है कि तालाबंदी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का नुकसान प्रभावित हुआ है। अन्य अध्ययनों में बताया गया है कि लॉकडाउन का तीव्र प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत में 92 प्रतिशत रोजगार का नुकसान हुआ (सहस, 2020)। हमारे नमूने में, 58 प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि कारखानों के बंद होने के कारण उनकी नौकरी चली गई। हालांकि, लगभग 37 प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि उन्होंने वास्तव में अपनी नौकरी नहीं खोई है, लेकिन उनके प्रतिष्ठानों में पर्याप्त काम नहीं होने के कारण उनकी कमाई में गिरावट आई है। बाकी 5 प्रतिशत ने कहा कि वे जीवन के डर से लौटे हैं। चावल और जिनिंग मिलों में अधिकांश दिहाड़ी मजदूरों के लिए कोई मांग नहीं थी।

रहने और काम करने की स्थिति

आमतौर पर यह देखा गया है कि बिहार और यूपी के मजदूर अविवाहित थे, जबकि छत्तीसगढ़ से आने वाले लोग अपने जीवनसाथी के साथ पलायन कर गए थे। अविवाहित के रूप में श्रमिक कुछ समय किराए के मकानों में रहते थे और कभी-कभी नियोक्ता द्वारा सहकर्मियों के साथ साझा करने के आधार पर प्रदान किया जाता था, जिसमें एकल कमरे के घरों में औसतन 5 से 6 की संख्या होती थी। एक ही प्रतिष्ठान में विभिन्न शिफ्टों में काम के घंटे एक दिन में 10 से 12 घंटे के बीच होने की सूचना है। लॉकडाउन के कारण, सभी कैदियों को हर समय एक ही कमरे में रहना पड़ता था, जिससे उनके लिए पूरे दिन घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता था। हाल के कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि शारीरिक समस्याएं ज्यादातर एकल, अकुशल, निरक्षर दैनिक वेतन भोगी दिहाड़ी मजदूरों के बीच बहुत सी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पाई गईं (फिरदौस, 2017)। स्थानीय निवासियों से कोई समर्थन नहीं मिलने के कारण गंतव्य पर प्रवासी श्रमिक अलग-थलग महसूस कर रहे थे। इस प्रकार, वे बेरोजगार, बचत से खाली, सामाजिक रूप से अलग-थलग और मनोवैज्ञानिक रूप से व्यथित थे (चौधरी, 2020; राजन एट अल।, 2020)। हमारा सर्वेक्षण सरासर भ्रम से बाहर, अचानक बेरोजगारी के आघात से उत्पन्न आर्थिक संकट की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया की पुष्टि करता है, ।

सिविल सोसाइटी और पब्लिक एक्शन

इस सामाजिक संकट का जवाब देने वाले पहले नागरिक समाज समूह थे। भले ही दिल्ली जैसे राज्यों ने हेल्पलाइन शुरू की हो, लेकिन यह नागरिक समाज ही था जो सबसे

पहले मदद के लिए पहुंचा, हो सकता है कि सूखे राशन, या पैसे या मास्क और सैनिटाइज़र की आपूर्ति कर रहा हो और अंत में वापसी प्रवास का समन्वय कर रहा हो। मनोवैज्ञानिक तनाव से निपटने के लिए कई शहरों में परामर्श केंद्र शुरू किए गए (काकर, 2020)। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (बीएसएचएस) ने प्रवासी मजदूरों के लिए उम्मीद नाम से एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया और मनोवैज्ञानिक आघातों (सोपम, 2020) से उबरने के लिए विभिन्न राज्यों से लगभग 14,000 प्रवासियों की काउंसलिंग की। अकेले कर्नाटक ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श (द हिंदू, 2020) के माध्यम से लगभग 21,000 प्रवासी कामगारों की काउंसलिंग की थी।

चावल मिल में काम करने वाले 29 वर्षीय राजेश कुमार ने कहा, "हमने सुना है कि लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ को यात्रा करने के लिए लॉरी मिल रही है। हमने अफवाहें सुनीं कि ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं। लेकिन कोई खास जानकारी नहीं है। मैं और मेरे दोस्त 8 मई को नलगोंडा जिले के मिरयालगुडा से हैदराबाद शहर तक 180 कि.मी. चलकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसमें 4 दिन लगे। लेकिन ट्रेन नहीं थी। पुलिस ने हमें मेडचल चलने के लिए कहा, जो एक और 40 कि.मी. है, एक बिंदु जहां से लॉरी उपलब्ध हैं। मेडचल पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम फिर से 40 किमी चलकर आए। मेरे दो दोस्त बेहोश हो गए। सौभाग्य से, कुछ स्वयंसेवकों ने भोजन और पानी की आपूर्ति की। हमारे पास केवल 1200 रुपये बचे थे और कोई निजी ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं था। श्रीमती वनजा, एक स्वयंसेवक ने हम जैसे 40 व्यक्तियों के लिए पटना के लिए एक बस की व्यवस्था की। हमने महसूस किया कि मानवता अभी भी है"। राजेश अकेले नहीं जिन्हें ट्रेन नहीं मिली, बल्कि लगभग 3 लाख लोगों को बसों और लॉरियों से जाना पड़ा। जबकि भाग्यशाली लोगों को ट्रेनों में चढ़ने का मौका मिला। लेकिन उन्हें भी दूसरे रेलवे स्टेशन पर ले जाना पड़ा जो 50 कि.मी. दूर था।

वे जून 2020 के महीने में मदद या परिवहन की तलाश में सड़कों पर भटकने लगे। जब लॉकडाउन 2.0 में कर्फ्यू हटा लिया गया, तो पलायन में उछाल आया, महिलाओं और बच्चों को साथ लेकर, कुछ नीचे चलने को भी तैयार थे। समाचार मीडिया और सोशल मीडिया में रिपोर्टों ने रातों-रात व्यक्तिगत चंदा इकट्ठा करने वाले कई नागरिक स्वयंसेवकों को बाहर किया, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष गैर-लाभकारी संगठनों (एनजीओ) ने कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रवासियों के लिए भोजन, पीने का पानी और निजी परिवहन की व्यवस्था की। यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी भीड़ जमा होने से निपटने से कतरा रहे थे। गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय पर कार्यकर्ता समूहों द्वारा दबाव डालने के बाद, राज्य सरकार राशन की आपूर्ति

करने, अस्थायी आश्रयों की अनुमति देने और निजी परिवहन की अनुमति देने पर सहमत हुई। लेकिन यह हैदराबाद शहर के नागरिकों की उदार मदद है, और युवा स्वयंसेवकों, सड़क पर हर गरीब व्यक्ति को समय के दौरान लगभग दो महीने तक खिलाया गया।

आखिरकार, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस लेने के लिए श्रमिक ट्रेनों की घोषणा की। मीडिया सूत्रों के अनुसार 24 जुलाई, 2020 तक 4496 श्रमिक (श्रमिक स्पेशल) ट्रेनों का संचालन किया गया, जिसमें 63.14 लाख प्रवासी शामिल थे, जिनमें फंसे हुए छात्र और अन्य भी शामिल थे। यह बताया गया है कि शीर्ष पांच राज्य जहां से सबसे अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई, वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। शीर्ष पांच राज्य जहां अधिकतम ट्रेनों को समाप्त किया गया है, वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं, जो देश में प्रवासन पैटर्न को मैप करते हैं (दत्त, 2020)।

लेकिन हैदराबाद में, ट्रेनों के समय, बुकिंग, रेलवे स्टेशन के लिए स्थानीय परिवहन, अस्थायी आश्रय और भोजन की व्यवस्था के बारे में पूर्ण अराजकता मौजूद थी। एक बार फिर सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन 24x7 हेल्पलाइन को बनाए रखने के लिए आगे आए, प्रवासियों को गंतव्य और व्यक्तिगत विवरण के साथ सूचीबद्ध किया क्योंकि रेलवे विभाग का राज्य एजेंसियों के साथ कोई समन्वय नहीं था। लेकिन स्वयंसेवकों ने स्थानीय परिवहन की व्यवस्था करके, उन रेलवे स्टेशनों से बहुत दूर, जहां से ये श्रमिक ट्रेनें शुरू होनी थीं, प्रवासियों को ट्रेनों में चढ़ने में मदद करने के लिए अथक प्रयास किया। अंतत: तेलंगाना से हजारों की संख्या में प्रवासी भूखे पेट के साथ बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचे। साक्षात्कार में आए लगभग हर प्रवासी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों और तेलंगाना सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

मूल और प्रेषण पर उत्तरजीविता रणनीति

कई बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के बाद, प्रवासी आखिरकार प्यासे और भूखे पेट अपने घर पहुंचे। बसों और हवाई जहाजों से यात्रा करने वाले प्रवासियों के पास भोजन की उचित व्यवस्था थी लेकिन ट्रेनों से यात्रा करने वाले कुछ प्रवासियों को स्टेशनों पर पर्याप्त भोजन के पैकेट की अनुपलब्धता या उचित व्यवस्था की कमी के कारण उचित भोजन और पानी नहीं मिल पा रहा था। बिहार पहुंचने के बाद प्रवासी सरकारी बसों या निजी वाहन से अपने गांव पहुंचे। अधिकांश प्रवासियों ने खुद को केवल 14 दिनों के लिए अपने घरों में बंद कर लिया। लगभग 29 प्रतिशत प्रवासी मानते हैं कि उन्होंने अपने घर पहुंचकर

काम किया या किसी प्रकार का अस्थायी रोजगार प्राप्त किया। जबकि 71 फीसदी प्रवासियों ने पैसे के लिए कोई काम नहीं किया था। हमने पाया कि 29 प्रतिशत प्रवासियों ने या तो निर्माण क्षेत्र में खेतिहर मजदूर, आकस्मिक मजदूर के रूप में और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (एमजीएनआरईए) के तहत काम किया। केवल 39 प्रतिशत प्रवासियों के पास मनरेगा कार्ड था और कुछ प्रवासियों के पास जिनके पास मनरेगा कार्ड नहीं था, उन्होंने उसके लिए आवेदन किया था। ये प्रवासी ज्यादातर समाज के कमजोर वर्ग यानी एससी/एसटी, ओबीसी और भूमिहीन प्रवासियों से थे।

उत्तरदाताओं ने बताया कि उनमें से कई के पास कृषि भूमि के कुछ हिस्से हैं, इसलिए जब वे वापस आए, तो अपनी भूमि पर काम किया। COVID-19 के कारण लगभग 78 प्रतिशत प्रवासियों को प्रत्येक माह राशन के नियमित वितरण के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन प्राप्त हो रहा है। आर्थिक मदद के मामले में केवल 55 प्रतिशत प्रवासियों को सरकार की ओर से दो महीने के लिए प्रति परिवार 500 रुपये नकद हस्तांतरण प्राप्त हुआ। शेष 45 प्रतिशत कथित तौर पर अपनी बैंक राशियों के साथ आधार लिंक नहीं होने के कारण प्राप्त नहीं होते हैं। यह अवलोकन अन्य शोधकर्ताओं जैसे सपकाल एट अल।, 2020 द्वारा भी किया गया है। लगभग 58 प्रतिशत प्रवासियों ने अपने अस्तित्व के लिए अपनी बचत का उपयोग किया, जबकि 42 प्रतिशत को किसी भी रिश्तेदार, नियोक्ता या गांव के महाजन से ऋण नहीं लेना पड़ा। घर पहुंचने के बाद कोई कमाई करना। इस प्रकार या तो वे कंगाल हैं या घर पर वैकल्पिक आजीविका की कमी के कारण ऋणी हैं।

कहा जाता है कि तेलंगाना में अपने रोजगार के दौरान प्रवासियों द्वारा भेजे गए प्रेषण ने घर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जितना हो सके घर भेजने के लिए अविवाहित प्रवासियों का सहारा लिया जाता है। औसतन, एक प्रवासी ने लगभग ₹ 10,516 प्रति माह प्रेषित किया। प्रेषण या तो आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा बचाया जाता है और आंशिक रूप से परिवार की खपत को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें से अधिकांश भोजन और बुनियादी घरेलू खर्चों और बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया गया था।

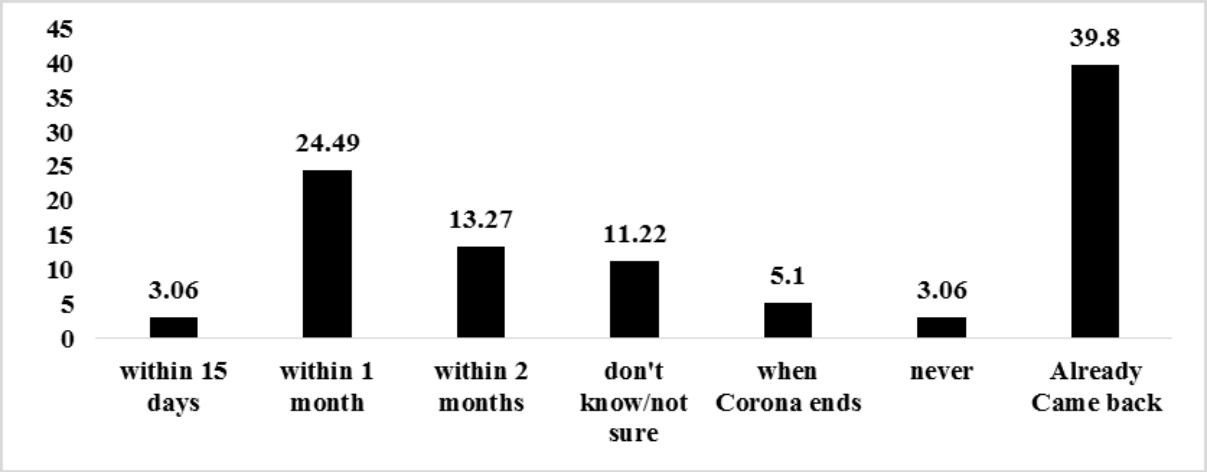

चित्र 3: बिहार से प्रवासियों की वापसी की स्थिति (%)

स्रोत: टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम से संकलित।

हमारे साक्षात्कार के समय के अंत तक, अक्टूबर 2020 में, हमें पता चला कि लगभग 40 प्रतिशत उत्तरदाता पहले ही तेलंगाना में काम पर लौट चुके थे। जबकि, 27 और 13 प्रतिशत क्रमश: एक और दो महीने के भीतर वापस आ जाएंगे। केवल 3 प्रतिशत ने कहा कि वे अपने काम पर कभी नहीं लौटेंगे और 11 प्रतिशत अपनी वापसी के बारे में सुनिश्चित नहीं थे (चित्र 3)। अपने कार्यस्थल पर लौटने की तात्कालिकता का मतलब है कि या तो प्रवासियों को उनकी बचत का उपयोग किया गया था या उनके पास अपने अस्तित्व के लिए कार्यस्थल पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

निष्कर्ष और नीति सुझाव

अध्ययन का उद्देश्य महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण हुई विषम स्थिति के दौरान प्रवासी श्रमिकों के प्रभाव, प्रतिक्रिया और रणनीति को समझना है। सबसे पहले, हमने पाया कि लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिक सबसे अधिक असुरक्षित और गंभीर रूप से प्रभावित थे। प्रवासी श्रमिक बिना किसी सामाजिक सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा के काम करते हैं। वे ठेका मजदूर हैं जिन्हें कमीशन के तौर पर महीने में एक दिन का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को करना होता है। वे पांच से अधिक कैदियों के साथ एक कमरा साझा करते हुए उप-मानव रहने की स्थिति में रहते हैं और 12 घंटे की ब्रेकिंग वर्क शिफ्ट के साथ औसतन 14000 रुपये की मासिक आय अर्जित करते हैं। ये हताश गरीब हैं, जो अपनी कमाई का 70 प्रतिशत अपने परिवार को चलाने के लिए घर वापस भेज देते हैं। कोविद -19 नीले रंग से बोल्ट के रूप में आया।

प्रवासी श्रमिक नौकरी छूटने, या काम के निलंबन और कोविद -19 के डर के कारण गंतव्य को छोड़ गए। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन के निलंबन ने भय मनोविकृति पैदा कर दी थी और नौकरी छूटने के बाद, प्रवासियों को समर्थन की कमी और बेघर, भोजन की कमी और शारीरिक विकार का सामना करना पड़ा। इनमें प्रवासी मजदूर जो पिछड़ी जाति के हैं, दलित, मुसलमान और भूमिहीन मजदूर सबसे ज्यादा असुरक्षित थे। उनमें से अधिकांश व्यक्तिगत रूप से प्रवास करते हैं, क्योंकि अर्जित आय गंतव्य पर रहने की लागत को पूरा करने के लिए अधिक नहीं होती है या घर पर चीजों की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तीसरा, स्रोत पर, उनमें से केवल एक तिहाई ने या तो काम करना पसंद किया या कृषि में घर पर काम प्राप्त किया। उनमें से अधिकांश ने कथित तौर पर अपने स्वयं के खेतों को छोड़कर किसी भी मजदूरी रोजगार का लाभ नहीं उठाया। न ही उन्होंने मनरेगा के काम में भाग लिया है क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास कोई जॉब कार्ड नहीं है, यह केवल नागरिक समाज समूह और स्वयंसेवक हैं जो कोविड-19 लॉकडाउन द्वारा बनाए गए मानवीय संकट में असहाय प्रवासियों की मदद करने के लिए आगे आए हैं, जैसा कि राज्य ने साबित किया है। अपने नागरिकों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ है जो प्रवासी श्रमिकों को एक श्रेणी में पंजीकृत करता है, किसी भी डेटा बेस को बनाए रखता है, जबकि यह सबसे तेजी से बढ़ते भारत के निर्माण के लिए उद्योगों द्वारा उनका अत्यधिक शोषण कर रहा है। जिस तरह के लॉकडाउन ने लोगों के मन में अनिश्चितता पैदा कर दी है, कम से कम श्रमिकों के बड़े हिस्से में। इससे भविष्य में श्रम आपूर्ति की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। अंत में, सरकार ने वापसी प्रवासियों के लिए मूल स्थान पर भी कोई सुरक्षा उपाय नहीं बनाया। किसी देश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करना आंख खोलने वाला होना चाहिए।

नीति निर्माता 25 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान कोविड-19 संकट की पहली लहर के दौरान राष्ट्रीय लॉकडाउन से महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। सबसे पहले, प्रवासियों को वापस जाने का निर्णय लेने के लिए लॉकडाउन को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। दूसरा, प्रवासी आबादी की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि एक सामाजिक सुरक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तीसरा, राष्ट्रीय लॉकडाउन कम प्रभावी हो सकते हैं, अधिक क्षेत्रीय और कम अवधि के लॉकडाउन की कोशिश करने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए, यदि वे आवश्यक महसूस करते हैं।

अंत टिप्पणी

1. एक ट्रेन दुर्घटना में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि प्रवासी रेलवे ट्रैक (बीबीसी, 2020) में सो रहे थे और एक ट्रेन में 80 से अधिक प्रवासी यात्रियों की मौत एक श्रमिक ट्रेनों में यात्रा के दौरान हुई, जो विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए खुली थी (अवस्थी, 2020)।
2. गुणात्मक शोध में, संतृप्ति गुणात्मक शोध का एक ऐसा बिंदु है जिस पर अधिक नमूनों को देखने से अध्ययन के दायरे से संबंधित कोई नई या अधिक जानकारी नहीं मिलती है।
3. नमूना आकार की संख्या सूत्रों का उपयोग करके निर्धारित की गई थी:n=(z^2 p(1-p))/e^2 , यहां, यह माना जाता है कि प्रसार दर 7 प्रतिशत है आत्मविश्वास का स्तर और सटीकता का स्तर 95 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत है ।
4. नेटवर्किंग का मतलब है प्रवासी कामगारों का उच्च वेतन पाने वाले कामगारों से जुड़ाव।

संदर्भ

अल हसन एसएम, सौलम जे, कांडा के और हीराव टी। मुख्य भूमि चीन में नोवल कोरोनावायरस रोग (COVID-19) का प्रकोप रुझान: 10 जनवरी से 11 फरवरी, 2020 तक प्रकोप डेटा का एक संयुक्त बिंदु प्रतिगमन विश्लेषण। [प्रीप्रिंट]। बुल विश्व स्वास्थ्य संगठन। ई-पब: 17 फरवरी 2020 डीओआई: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.253153

अवस्थी, प्रशस्ति. (2020), श्रमिक ट्रेनों में जहाज पर 80 मौतें देखी गईं। द हिंदू बिजनेस लाइन। https://www.thehindubusinessline.com/news/shramik-trains-witnessed-80-deaths-onboard/article31708831.ece#

बंसल, राजेश. (2020)। "भारत में कोविड-19 जैसे संकटों में गरीबों के लिए सामाजिक योजनाएं हैं। लेकिन इसके लिए 'हू टू पे' डेटाबेस की जरूरत है।" छाप, 23 अप्रैल। https://theprint.in/opinion/india-needs-a-who-to-pay-database-COVID-crisis/406783/

बीबीसी. 2020 से पहले कोरोनावायरस लॉकडाउन '36,000 लोगों की जान बचा सकता था'। बीबीसी समाचार। https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52757150

चंद्रशेखर, एस., और ए. मित्रा, (2019), प्रवासन, जाति और आजीविका: भारतीय शहर-झुग्गी बस्तियों से साक्ष्य। शहरी अनुसंधान और अभ्यास 12(2): 156-172

चौधरी, आर, (2020), कोविड-19 महामारी: भारत के आंतरिक प्रवासी कामगारों की मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां। मनोरोग के एशियाई जर्नल।
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102254।

कोचरन, डब्ल्यू जी (2007), नमूना तकनीक। जॉन विले एंड संस

क्रेसन, आर।, और डंकन लाइट। (2020)। "रोमानिया में कोविड-19: ट्रांसनेशनल लेबर, जियोपॉलिटिक्स और रोमा 'आउटसाइडर्स'।" यूरेशियन भूगोल और अर्थशास्त्र 61 (4-5)।

https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1780929।

क्रेसवेल, जे.डब्ल्यू. (1998)। गुणात्मक पूछताछ और अनुसंधान डिजाइन: पांच परंपराओं में से चुनना। साधु प्रकाशन।

दत्ता, ए, (2020), परिपत्र प्रवास और अनिश्चितता: ग्रामीण बिहार से परिप्रेक्ष्य। द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 1-21।

दत्ता, अनीशा. (2020)। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए से रेलवे ने 430 करोड़ रुपये कमाए। https://www.hindustantimes.com/india-news/railways-earned-rs-430-crore-from-shramik-special-train-fares/story-duFiaV9EILYEkbF4NpLiDK.html।

फिरदौस, जी. (2017)। भारत के शहरी केंद्र में प्रवासियों का मानसिक कल्याण: सामाजिक वातावरण की भूमिका का विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 59(2): 164-169.

फोले, लौरा, और निकोला पाइपर, (2020), COVID-19 और महिला प्रवासी श्रमिक: प्रभाव, जिनेवा: प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
https://publications.iom.int/system/files/pdf/the-gender-dimensions-of-the-labour-migration.pdf

हान डे, अर्जन, (2002) माइग्रेशन एंड लाइवलीहुड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव: ए केस स्टडी ऑफ बिहार, इंडिया, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 38:5, 115-142, डीओआई: 10.1080/00220380412331322531

हेनिंक, एम.एम., कैसर, बी.एन., और मार्कोनी, वी.सी. (2017)। कोड संतृप्ति बनाम अर्थ संतृप्ति: कितने साक्षात्कार पर्याप्त हैं? गुणात्मक स्वास्थ्य अनुसंधान, 27(4), 591-608।

इरुदया राजन, एस., शिवकुमार, पी. और श्रीनिवासन, ए. (2020)। भारत में कोविड-19 महामारी और आंतरिक श्रम प्रवासन: एक 'गतिशीलता का संकट'। इंडस्ट्रीज़ जे. लेबर इकोन। https://doi.org/10.1007/s41027-020-00293-8

कक्कड़, वेदिका. (2020), विकलांग प्रवासी महिला कार्यकर्ता महामारी से जूझ रही हैं। पत्रक। https://www.theleaflet.in/differently-abled-migrant-women-worke%20rs-graapple-with-the-pandemic/।

कुमार, अभय. (2020), बिहार के कोरोनावायरस आइसोलेशन वार्ड में प्रवासी महिला का यौन शोषण, मौत। डेक्कन हेराल्ड। https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/migrant-woman-in-bihar-coronavirus-isolation-ward-sexually-abused-dies-822914.html।

मदिक, देवयानी, (2020), ओडिशा: कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर के पास महिला प्रवासी श्रमिक मृत पाई गई, राज्य में ऐसी 19वीं मौत। तार्किक भारतीय। https://thelogicindian.com/news/woman-migrant-worker-dies-of-suicide-21770।

मोहंती, देवव्रत (2020), ओडिशा में कोविड-19 संगरोध केंद्र के पास महिला प्रवासी श्रमिक मृत पाई गई। हिंदुस्तान टाइम्स। https://www.hindustantimes.com/india-news/woman-migrant-worker-found-dead-near-covid-19-quarantine-centre-in-odisha/story-Dr8KqAv5Wg0IOA9yx4nI3K.html।

मोंटेरो, सनम, और आर. रेणुगा (2020), "महामारी के दौरान अन्य खतरे का खतरा: सिंगापुर के उदाहरण से सीखना।" अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां। https://www.internationalhealthpolicies.org/blogs/the-danger-of-othering-during-pandemics-learning-from-the-example-of-singapore/।

सपकाल, राहुल सुरेश, दिविता शांडिल्य और के.टी. सुरेश. (2020)। लॉकडाउन के समय में जीवित रहना: बिहार में तेजी से आकलन से साक्ष्य, तार। https://thewire.in/rights/surviving-in-the-time-of-lockdown-evidence-from-a-rapid-assessment-in-bihar।

सहस, जनवरी (2020)। अदृश्य नागरिकों की आवाजें: आंतरिक प्रवासी कामगारों पर कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव पर एक त्वरित आकलन, नई दिल्ली: जन सहस। https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/voices-of-the-invisible-citizens/।

सोपम, रीना. (2020)। बिहार में, 14,000 प्रवासी लॉकडाउन ब्लूज़ को दूर करने के लिए परामर्श चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स। https://www.hindustantimes.com/india-news/in-bihar-14-000-migrants-seek-counselling-to-overcome-lockdown-blues/storyjxQmhahb6CU0gpqKN5jjkL.html।

सुरेश, रजनी, जस्टिन जेम्स और आरएसजे बलराजू। (2020)। "चौराहे पर प्रवासी श्रमिक- कोविड-19 महामारी और भारत में प्रवासी अनुभव। " सार्वजनिक स्वास्थ्य में सामाजिक कार्य 35 (7): 633-643। डोई:10.1080/19371918.2020.1808552।

श्रीवास्तव, आर. (2011) भारत में श्रम प्रवासन: हाल के रुझान, पैटर्न और नीतिगत मुद्दे। द इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स 54(3): 411-440।

श्रीवास्तव, आर (2020) भारत में कमजोर आंतरिक प्रवासी और सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की सुबोधता । दिल्ली: मानव विकास संस्थान।

हंस, 2020 32 दिन और गिनती से लिया गया - http://strandedworkers.in/mdocuments-library/

अभिभावक 2020 चीन की कोरोनावायरस लॉकडाउन रणनीति: क्रूर लेकिन प्रभावी। द गार्जियन न्यूज। https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/chinas-coronavirus-lockdown-strategy-brutal-but-प्रभावी।

हिन्दू. 2020-21 राज्यों में कोविड-19 मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने वाली हेल्पलाइन: एनआईएमएचएएनएस ने एचसी को बताया। हिन्दू। https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/helpline-providing-covid-19-mental-health-counselling-in-21-states-nimhans-tells-hc/article31466837.ece।

तुम्बे, चिन्मय (2018)। इंडिया मूविंग: ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन, पेंगुइन, नई दिल्ली

विश्व बैंक 2020 सार्वजनिक बैंकों का शापित आशीर्वाद वाशिंगटन, विश्व बैंक, डोई: 10.1596/978-1-4648-1566-9

4. ओडिशा की ग्रामीण स्थानीय स्व-सरकारों द्वारा कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया

*सुब्रत कुमार मिश्रा * और अमिता पात्रा ***

सार

प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने वाला राज्य ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। राज्य को कोविड-19 महामारी का भी अनुभव भी रहा है जिसने दुनिया के सभी हिस्सों को प्रभावित किया है। राज्य की खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को देखते हुए कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने के लिए राज्य के तंत्र का आकलन करने के लिए अध्ययन किया गया है। अध्ययन के दौरान महामारी की स्थिति के प्रबंधन में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन ओडिशा सरकार के कोविड-19 डैशबोर्ड से उपलब्ध माध्यमिक डेटा के विश्लेषण पर आधारित है, सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य द्वारा वेब होस्ट किए गए परिपत्र और कोविड-19 स्थिति के प्रबंधन से जुड़े कई हितधारकों के साथ आयोजित फोकस ग्रुप परिचर्चा के निष्कर्षों पर आधारित है। ओडिशा में कोविड-19 प्रबंधन पर विस्तृत शोध के बाद, अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि राज्य की बहुआयामी रणनीतियाँ जैसे प्रारंभिक तालाबंदी लागू करना, समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित करना, प्रवासियों की बड़ी संख्या की देखभाल के लिए अस्थायी चिकित्सा शिविर और ग्रामीण स्थानीय द्वारा महामारी के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में स्व सरकारें प्रमुख योगदान देती हैं। बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी, संदिग्ध कोविड-19 मामलों की निगरानी, संस्थागत अलगाव की अवधि के दौरान संगरोध और भोजन की व्यवस्था के कारण ओडिशा की ग्राम पंचायतों को भी महामारी की स्थिति से निपटने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अध्ययन में रोकथाम के उपायों, ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर महामारी के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर ध्यान देते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

महत्वपूर्ण शब्द: महामारी, संगरोध, शारीरिक दूरी

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, सीएनआरएम, सीसी और डीएम, एनआईआरडीपीआर

* * सहायक प्रोफेसर, एसआईआरडीपीआर - ओडिशा, भुवनेश्वर

परिचय

भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य ओडिशा कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील है। ओडिशा में अपनी भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण लगातार प्राकृतिक आपदाओं का अनुभव करने का इतिहास रहा है। चक्रवात और बाढ़ जैसी आवर्ती प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के अनुभव ने राज्य को किसी भी प्रकार के खतरों से शीघ्रता से निपटने के लिए तैयार किया है। ओडिशा कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने का अपवाद नहीं है जिसने दुनिया के सभी हिस्सों को प्रभावित किया है। ओडिशा ने 16 मार्च 2020 को कोविड-19 वायरस का पहला मामला दर्ज किया। ओडिशा सरकार के डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने 4 फरवरी 2021 तक 3,35,369 कोविड-19 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 3,32,499 मामले सामने आए हैं। बरामद कर लिया गया है जबकि शेष सक्रिय और मृत मामलों की श्रेणी के हैं।

ओडिशा में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर किए गए कार्यों की समीक्षा

साहू और कर (2020) ने ओडिशा की कोविड-19 प्रतिक्रिया के मूल्यांकन पर अपने काम में राज्य की स्पष्ट रणनीति पर प्रकाश डाला है, जो राज्य की आजीविका और अर्थव्यवस्था के अपने संभावित खतरे के बावजूद अपनी स्वास्थ्य प्रणाली और राज्य के सभी हिस्सों में तालाबंदी जैसी महामारी के प्रसार को धीमा करने के लिए है। वैलेरी बुज़ा एट अल (2020) ने ग्रामीण ओडिशा में कोविड-19 महामारी के अनुभव पर अपने अध्ययन में खुलासा किया है कि हालांकि राज्य में कोविड-19 निवारक उपायों का उच्च स्तर पर अनुपालन था, लेकिन महामारी से जुड़े लॉकडाउन के कारण दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ भी आईं। आम लोगों का जीवन जैसे बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, भोजन तक पहुंच की कमी, आवश्यक सेवाएं और भावनात्मक कल्याण कार्य उनके निष्कर्ष ग्रामीण ओडिशा में लोगों के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की महामारी की स्थिति और बड़े पैमाने पर झटके के लिए ग्रामीण आबादी के व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों की अत्यावश्यकता को भी रेखांकित करते हैं। स्वैन एट अल (2021) ने अपने पेपर में वायरस के खिलाफ "कोम्बट मोड" के नियोजित कार्यान्वयन के माध्यम से कोविड-19 महामारी के संभावित प्रसार को सीमित करने के लिए ओडिशा की आपातकालीन प्रतिक्रिया को दर्शाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020) ने अपने मूल्यांकन में ओडिशा की बहुआयामी रणनीतियों की बहुत सराहना की है जैसे कि जल्दी लॉकडाउन लागू करना, समर्पित कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना, देश के अन्य हिस्सों से राज्य में प्रवासियों की बड़ी आमद की देखभाल के लिए

अस्थायी चिकित्सा शिविर, बहु-क्षेत्रीय समन्वय और स्थिति का समुदाय आधारित प्रबंधन महामारी के प्रबंधन में ओडिशा की उपलब्धि के प्रमुख योगदान कारक हैं। विश्व निकाय ने स्थानीय नेतृत्व और लोगों के संस्थानों के बीच साझेदारी के माध्यम से प्रयासों को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

ओडिशा में कोविड-19 परिदृश्य

कोविड-19 महामारी का पहला मामला भारत में 30 जनवरी 2020 को पाया गया था। केरल के त्रिचुर जिले में एक छात्र के मामले की सूचना मिली थी, जो चीन में वुहान विश्वविद्यालय से छुट्टी पर लौटा था (एंड्रयू एट अल, 2020)। ओडिशा ने भारत में घटना के 46 दिनों के बाद 16 मार्च 2020 को कोविड-19 वायरस का पहला मामला देखा, जो 6 मार्च 2020 (द हिंदू, 8 अप्रैल 2020) को इटली से लौटा था। चित्र-1 में ओडिशा में 16 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत के बाद से कोविड-19 के संचयी मामलों की संख्या को दर्शाया गया है। यह आंकड़े से स्पष्ट है कि 26 जून 2020 तक, राज्य में कोविड-19 मामलों की धीमी प्रगति हुई है। राज्य जिसने 25 जुलाई 2020 से फिर से तेजी से वृद्धि का अनुभव किया। प्रवासियों से संक्रमण के कारण अगस्त से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान कोविड-19 पुष्ट मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जो ज्यादातर मामलों की अधिक संख्या वाले राज्यों से समूहों में ओडिशा लौटे थे।

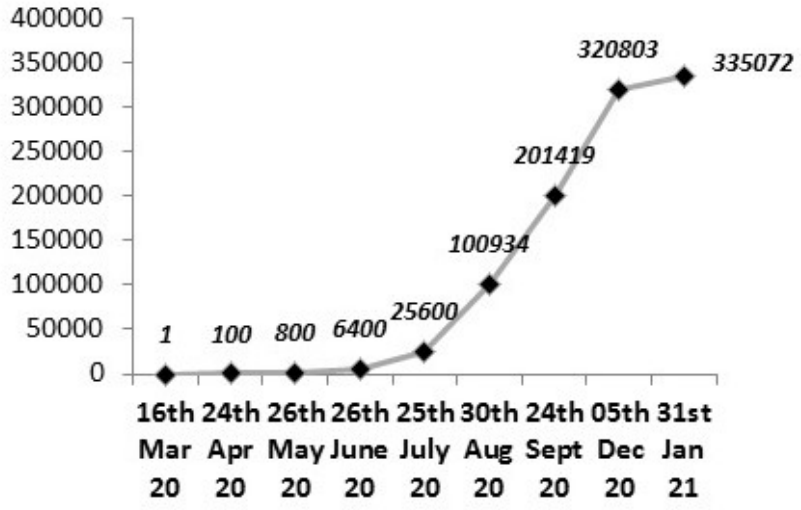

चित्र 1 : कोविड की पुष्टि की संख्या - ओडिशा में 19 मामले (संचयी)

स्रोत: कोविड-19 डैशबोर्ड, ओडिशा सरकार, 31 जनवरी 2021

ओडिशा सरकार के कोविड-19 डैशबोर्ड के आधार पर, आंकड़ा -2 इंगित करता है कि 4 फरवरी 2021 तक पूरे राज्य में कोविड-19 के 3,35,369 मामले थे, जिनमें से 3,32,499 ठीक हो चुके मामले (99.14) थे। प्रतिशत) जिसका अर्थ है कि राज्य में केवल 1 प्रतिशत से कम मामले सक्रिय थे या महामारी के कारण मृत प्राय थे। 16 मार्च 2020 को पहले मामले का पता चलने के बाद से 59 दिनों के लंबे अंतराल के बाद ओडिशा में कोविड-19 पुष्ट मामलों की संख्या 500 तक पहुंच गई है। राज्य में वायरस के दूसरे दौर के 500 मामलों की घटना के एक सप्ताह के भीतर देखा गया था। समान संख्या में मामलों का पहला दौर। फिर से, 6 दिनों के अंतराल के बाद 1 जून 2020 तक 500 और नए मामलों का पता चला। बढ़ती प्रवृत्ति 5 दिसंबर 2020 तक जारी रही और 5 दिसंबर 2020 से कोविड-19 संक्रमणों की संख्या धीरे-धीरे कम होने लगी और इस दौरान वक्र चपटा हुआ प्रतीत होता है। दिसंबर 2020 और जनवरी 2021।

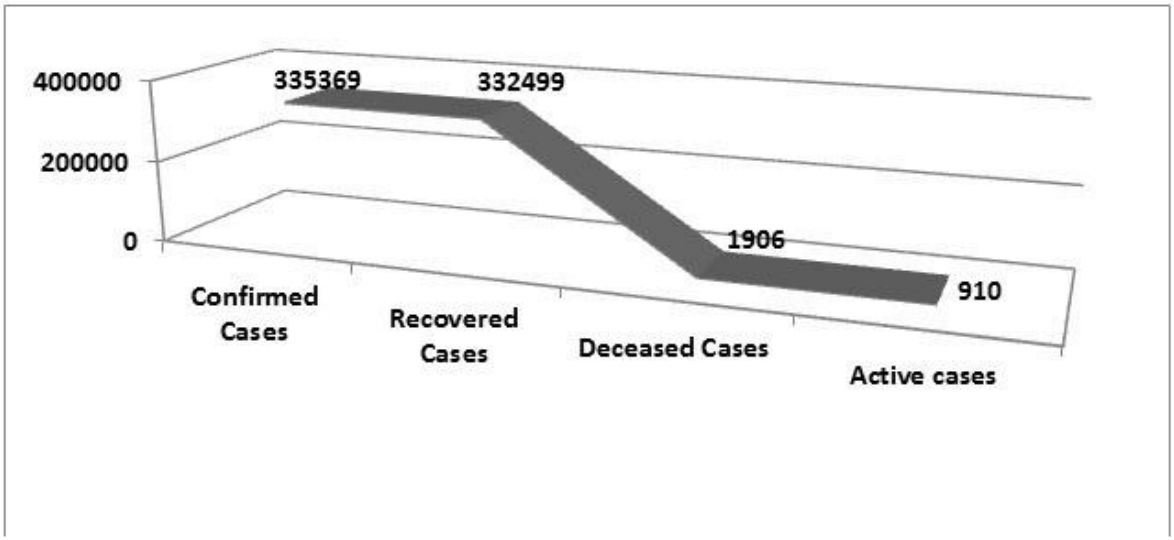

चित्र-2: ओडिशा में कोविड-19 के पुष्ट, ठीक होने, मृत और सक्रिय मामले

स्रोत: कोविड-19 डैशबोर्ड, ओडिशा सरकार (4 फरवरी 2021)

चित्र-3 13 फरवरी 2021 तक ओडिशा के कोविड-19 मामलों की जिलेवार संख्या को दर्शाता है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि सबसे अधिक मामलों (53137) के साथ खोरदा जिला राज्य में सबसे आगे है, इसके बाद कटक और गंजम जिले में क्रमशः मामले 29116 और 21891 हैं। देवगढ़ जिले में सबसे कम कोविड़-19 मामले (1326) दर्ज किए गए हैं, इसके बाद बौद्ध और गजपति जिलों में क्रमशः 2813 और 4072 मामले दर्ज किए गए हैं। ओडिशा के

घनी आबादी वाले जिलों में उच्च स्तर की सामाजिक गतिशीलता और प्रवासियों के आगमन ने कोविड-19 मामलों की अधिक संख्या को बढ़ा दिया, जबकि राज्य के छोटे जिलों में प्रवास की कम संख्या में कोविड-19 मामलों की अपेक्षाकृत कम संख्या देखी गई।

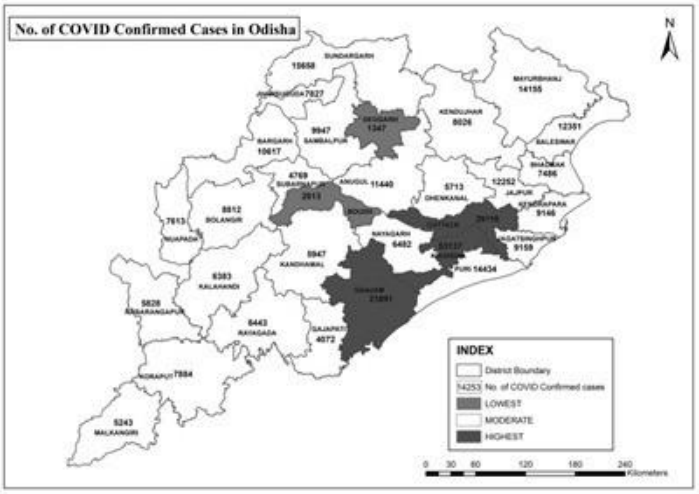

चित्र-3: ओडिशा में कोविड-19 के जिलेवार मामले

स्रोत: कोविड-19 डैशबोर्ड, ओडिशा सरकार (13 फरवरी 2021)

यह आंकड़ा -4 से आगे देखा जा सकता है कि ओडिशा 4 फरवरी 2021 को 79,19, 907 लोगों के लिए कोविड-19 सामूहिक परीक्षण के लिए गया था, जिसमें से 95.71 प्रतिशत परीक्षण नकारात्मक थे और शेष 4.29 प्रतिशत परीक्षण किए गए । मामलों की पुष्टि की गई।

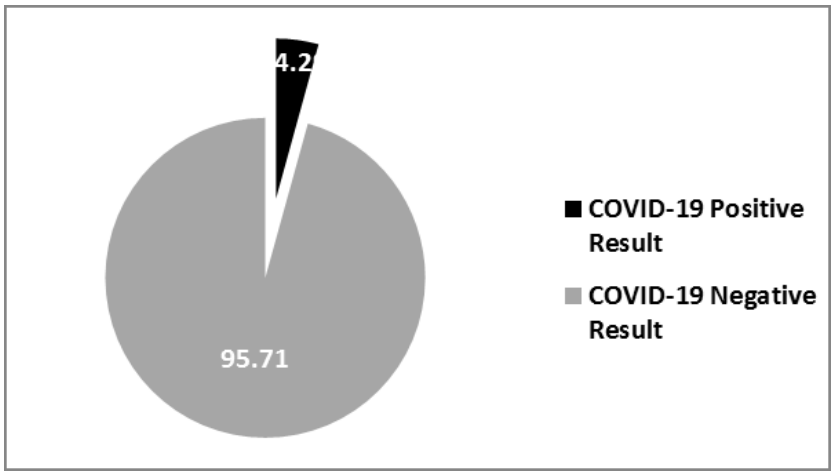

चित्र 4 : कोविड-19 ओडिशा में परीक्षा परिणाम (प्रतिशत में)

स्रोत: कोविड-19 डैशबोर्ड, ओडिशा सरकार (4 फरवरी 2021)

अनुसंधान के मुद्दे, उद्देश्य और कार्यप्रणाली

स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन और परिणामों के मामले में ओडिशा भारत के निम्न रैंक वाले राज्यों में से एक है। नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व बैंक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश 76.55, 65.21 63.38, 61.99 और 61.20 क्रमशः के समग्र स्वास्थ्य सूचकांक के साथ शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। जबकि स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र संकेतकों (भारत सरकार, 2019) के प्रदर्शन में सबसे नीचे हैं। ओडिशा ने भी अपने पहले मामले की घटना के 11 महीने से भी कम समय के भीतर 3,35,369 कोविड-19 मामलों का अनुभव किया है।

उपरोक्त संदर्भ में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निम्न रैंक वाले राज्य के कोविड-19 महामारी से निपटने के तंत्र का अध्ययन का उद्देश्य था। ओडिशा समग्र स्वास्थ्य सूचकांक पर सीढ़ी के नीचे राज्यों में से एक होने के कारण निम्नलिखित शोध उद्देश्यों के साथ अध्ययन के उद्देश्य के लिए यादृच्छिक रूप से चुना गया था।

i) कोविड-19 महामारी की स्थिति के प्रसार को रोकने के लिए ओडिशा द्वारा अपनाए गए निवारक उपायों का अध्ययन करना।

ii) महामारी की स्थिति से निपटने के लिए राज्य की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की तैयारियों का आकलन करना।

iii) महामारी की स्थिति के प्रबंधन में ओडिशा की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की भूमिका का विश्लेषण करना।

कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने के लिए ओडिशा की प्रतिक्रिया तंत्र का ओडिशा सरकार के आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभागों के सार्वजनिक क्षेत्र में वेब होस्ट किए गए परिपत्रों और निर्देशों से विस्तार से अध्ययन किया गया है। महामारी की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की तैयारियों पर राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं और विभिन्न जिलों में महामारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा महामारी की स्थिति के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के

निर्वाचित प्रतिनिधियों, अत्याधुनिक सरकारी पदाधिकारियों, प्रवासियों और कोविड-19 से प्रभावित लोगों के साथ फोकस समूह चर्चा आयोजित की गई।

कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए ओडिशा राज्य द्वारा निवारक उपाय

ओडिशा सरकार राजस्व और आपदा प्रबंधन, ओडिशा सरकार की अधिसूचना के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा -2 (डी) के प्रावधानों के अनुसरण में 13 मार्च 2020 को कोविड-19 को "राज्य आपदा" के रूप में अधिसूचित करने में अग्रणी रहा। भले ही राज्य में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया (मेहर और नंदा, 2020)।

राज्य आपदा की अधिसूचना के दिन ही, ओडिशा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों, सिनेमा हॉल, मनोरंजन थिएटर, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला और सामूहिक सभा के अन्य स्थानों को तत्काल बंद कर दिया। 22 मार्च 2020 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान के जवाब में "जनता कर्फ्यू" के राष्ट्रव्यापी पालन के तुरंत बाद, ओडिशा 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक "लॉकडाउन टू नॉक डाउन" की घोषणा करने वाले पहले राज्यों में से एक था (गरिकीपाटी, 2020)।

ओडिशा में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि के बाद, राज्य के अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों पर जिला स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के क्षमता निर्माण के बाद राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने में कोई समय नहीं लिया। संबंधित सरकारी विभागों को राज्य में कोविड-19 मामलों के और प्रसार को रोकने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों को लागू करके प्रतिबंध लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिया गया था। भारत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा से पहले ही ओडिशा सरकार एक समर्पित कोविड-19 हेल्पलाइन के साथ अपने दृष्टिकोण में नवीन थी।

ओडिशा भारत के अग्रणी राज्यों में से एक था, जिसने सार्वजनिक डोमेन (दत्त, 2020) में राष्ट्रीय पोर्टल के शुभारंभ से बहुत पहले 3 मार्च 2020 को एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अपना कोविड-19 राज्य डैशबोर्ड लॉन्च किया था। देश और विदेश से ओडिशा आने वाले सभी आगंतुकों के लिए पोर्टल में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था। ओडिशा सरकार ने देश के अन्य हिस्सों से लौटने वाले प्रवासियों के लिए प्रति व्यक्ति 2000 रुपये के नकद प्रोत्साहन की भी घोषणा की, जो राज्य द्वारा निर्धारित 14 दिनों के संगरोध मानदंड का पालन करते हैं।

प्रवासियों द्वारा राज्य के निर्धारित संगरोध मानदंडों का पालन करने में विफलता को अपराध माना जाता था। तदनुसार, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य पुलिस कर्मियों को ओडिशा में आने वाली प्रवासी आबादी के लिए कोविड-19 संगरोध मानदंडों के अनुपालन को देखने के लिए सतर्क किया गया था (टाइम्स नाउ डिजिटल, 2020)।

ओडिशा भी शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए मानदंड तैयार करके, कोरोना वायरस के मामलों की रोकथाम, अलगाव और उपचार के लिए मानदंड तैयार करके, महामारी के प्रबंधन से जुड़े कई हितधारकों की क्षमता निर्माण और जन जागरूकता अभियानों द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में अग्रणी धावकों में से एक रहा है। आम लोगों के लिए राज्य के प्रत्येक जिलों (ओडिशा सरकार, 2020) में कोविड-19 महामारी की स्थिति की तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों की निगरानी के लिए ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में ओडिशा सरकार के एक सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में समर्पित टीमों का गठन किया गया था।

मार्च 2020 से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ओडिशा सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटलों को बंद करने, पटाखे जलाने पर रोक, कोविड-19 के शवों के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश और निर्देश जारी किए गए थे। रोगियों, प्री-मानसून अवधि के दौरान जल जनित रोगों के प्रकोप को रोकना, सार्वजनिक भागीदारी के बिना सार्वजनिक त्योहारों का अवलोकन, बिना लक्षण वाले कोविड-19 मामलों के घर में अलगाव, कार्यों में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध, निर्माण स्थलों पर मानक संचालन प्रक्रिया, सभी प्रकार की सुचारू आवाजाही कोविड-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए माल, श्रमिकों, वाहन मरम्मत की दुकानों को खोलना आदि (ओडिशा सरकार, 2020) ।

महामारी के प्रबंधन के लिए ओडिशा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना

ओडिशा भारत के पिछड़े राज्यों में से एक होने के नाते अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए कई चुनौतियां हैं जैसे कम सार्वजनिक खर्च, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के साथ-साथ कर्मियों और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर सेवा वितरण में अन्य कठिनाइयाँ (स्वेन एट अल, 2021)) स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और पेशेवरों में राज्य की बाधाओं के बावजूद, ओडिशा ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य किया है। राज्य में पहले मामले का पता चलने से पहले ही, ओडिशा सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने और राज्य के सभी हिस्सों में आवश्यक उपचार

सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यक उपाय शुरू कर दिए थे। ओडिशा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केवल एक सप्ताह के भीतर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 1000 बिस्तरों वाले देश के दो सबसे बड़े अस्पताल स्थापित किए हैं। ऐसे दो अस्पताल राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किए गए थे। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एसयूएम अस्पताल ओडिशा सरकार (डब्ल्यूएचओ, 2020) द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से स्थापित दो मॉडल कोविड-19 अस्पताल थे।

ओडिशा सरकार के कोविड-19 डैशबोर्ड पर आधारित चित्र-5 से देखा जा सकता है कि 13 फरवरी 2021 तक कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 7328 बेड और 710 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड के प्रावधान के साथ राज्य में 48 अस्पताल स्थापित किए गए थे।

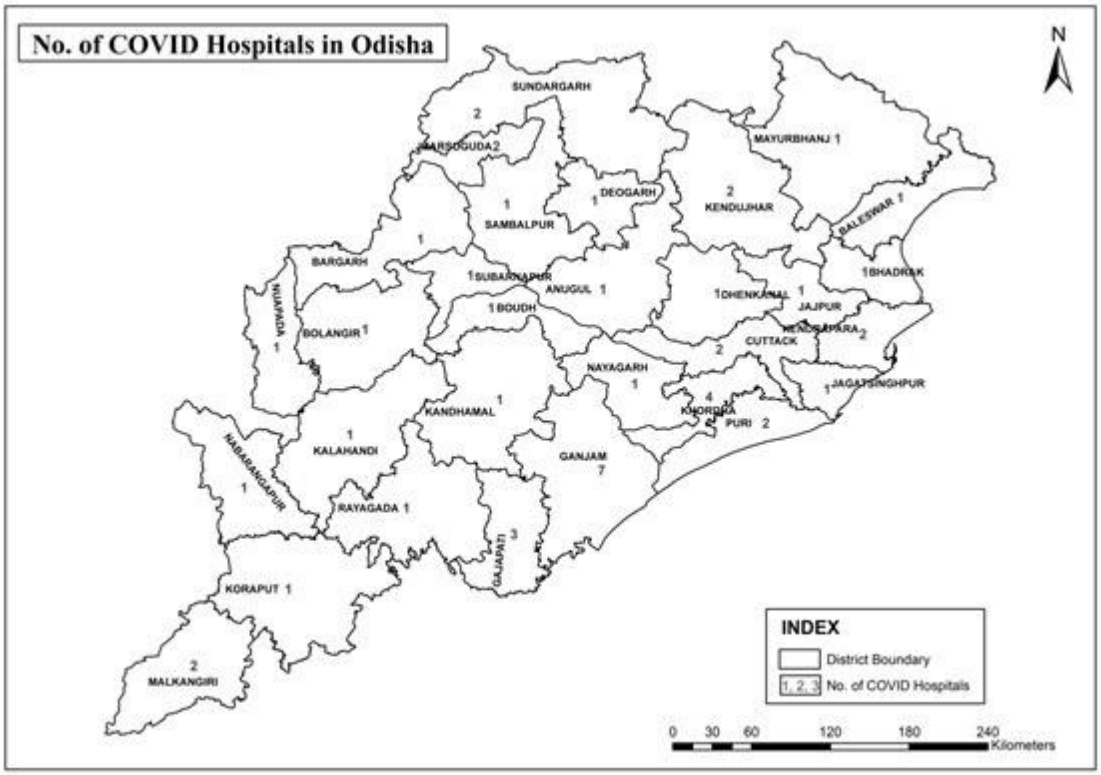

चित्र-5: 13 फरवरी 2021 को ओडिशा राज्य में कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाएं

स्रोत: कोविड--19 डैशबोर्ड, ओडिशा सरकार

गंजम जिले में 1115 बिस्तरों और 148 रोगियों के लिए आईसीयू क्षमता वाले राज्य में सबसे अधिक 7 कोविड देखभाल अस्पताल हैं। खोरदा जिले में 1180 बेड वाले 4 कोर्विड-19 अस्पताल हैं और 236 मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू की क्षमता है। राज्य के गजपति जिले में प्रभावित रोगियों के लिए आईसीयू में 10 मामलों के इलाज के लिए 234

बिस्तरों वाले तीन सीओवीआईडी -19 अस्पताल उपलब्ध कराए गए। सुंदरगढ़, कटक, पुरी, क्योंझर, केंद्रपाड़ा, झारसुगुडा और मलकानगिरी ऐसे जिले हैं जिनमें प्रत्येक में 2 कोर्विड-19 अस्पताल हैं जो कोर्विड-19 प्रभावित रोगियों का इलाज करते हैं। शेष 20 जिलों में अलग-अलग क्षमता वाले एक-एक कोर्विड-19 अस्पताल हैं। राज्य के सभी जिलों में कोर्विड-19 अस्पताल स्थापित किए गए थे, जिनमें से 17 अस्पताल ओडिशा सरकार, निजी क्षेत्र के अस्पतालों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय निगमों (ओडिशा सरकार, 10 फरवरी 2021) के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर काम कर रहे हैं।

कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में ओडिशा की ग्रामीण स्थानीय स्व सरकारें

ओडिशा ने 19 अप्रैल 2020 को राजस्व और आपदा प्रबंधन, ओडिशा सरकार की अधिसूचना के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आपदा प्रबंधन की धारा -22 (एच) के अनुसार कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने के लिए सशक्त बनाकर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अधिनियम, 2005 (ओडिशा सरकार, 19 अप्रैल 2020)। चूंकि लॉकडाउन अवधि के दौरान बड़ी संख्या में लोग जैसे छात्र, कामकाजी पेशेवर, फंसे हुए तीर्थयात्री, मरीज, प्रवासी मजदूर और अन्य लोग ओडिशा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में फैले देश के सभी हिस्सों से अपने गृह राज्य लौट आए, इसलिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना अनिवार्य था। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासियों को संभालने के लिए। राज्य द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, ओडिशा में सभी ग्राम पंचायतों के 6798 सरपंचों ने निम्नलिखित तरीकों से कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

i. अन्य राज्यों और विदेशों से लोगों की सुगम वापसी की सुविधा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंजीकरण की सुविधा थी। ऐसे लोगों के परिवार के सदस्य जो अपने गृह राज्य लौटने का इरादा रखते थे, उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकायों में अपना पंजीकरण कराना होता था। तदनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी कि बाहर से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति का पंजीकरण हो।

ii. राज्य के बाहर से पंचायत क्षेत्र में लौटे प्रत्येक व्यक्ति को ओडिशा सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 14 दिनों के लिए अनिवार्य पंचायत स्तर की संगरोध

सुविधा से गुजरना पड़ा। ग्राम पंचायतों ने संगरोध अवधि के दौरान प्रवासियों के भोजन, पानी, स्वच्छता और अस्थायी आवास के लिए आवश्यक प्रावधानों की भी व्यवस्था की।

iii. संगरोध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जांच की गई और स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों के लिए यादृच्छिक परीक्षण किए गए। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक पाया जाता है, तो उसे तुरंत आवश्यक उपचार के लिए नामित कोविड -19 अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

iv. यदि किसी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोविड -19 पुष्ट मामले का पता चला था, तो संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की देखरेख में क्षेत्र को साफ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे।

vi. ओडिशा की ग्राम पंचायतों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में ओडिशा सरकार के निर्देशों के अनुसार मुफ्त राहत देने के लिए अधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायतों ने भी ओडिशा सरकार के निर्णय के अनुसार 2000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि उन व्यक्तियों को देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने सभी संगरोध दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक अपनी संगरोध अवधि पूरी की।

vi. ओडिशा के ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 59 और 60 के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित मंच पर शिकायत और मुकदमा दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था।

vii. कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू होने के कारण, ओडिशा के सभी 6798 ग्राम पंचायतों में बीमार, गरीब और निराश्रित व्यक्तियों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा मुफ्त रसोई के माध्यम से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें भोजन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) की सेवाओं का उपयोग जरूरतमंद लोगों को किसी भी प्रकार की भुखमरी से बचने के लिए गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ओडिशा सरकार के निर्धारित सामाजिक

दूरियों के मानदंडों का पालन करते हुए खाद्य पदार्थों को पकाया और वितरित किया गया था।

viii. राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत विकलांगों, विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को चार महीने की अग्रिम पेंशन लाभ वितरित करके ग्राम पंचायतों ने भी ओडिशा में सक्रिय भूमिका निभाई।

ix. ग्राम पंचायतों ने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर राज्य के सभी हिस्सों में तालाबंदी की अवधि के दौरान गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों को शारीरिक दूरी, हाथ धोने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और पका हुआ भोजन के संदेश प्रसारित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। महिला स्वयं सहायता समूहों ने राज्य में मास्क की तीव्र कमी को दूर करने के लिए महामारी की स्थिति के दौरान 15 दिनों की समय अवधि के भीतर एक मिलियन मास्क की सिलाई करके सराहनीय कार्य किया है। इस पहल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपनी आजीविका में सुधार करने में भी मदद की।

कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा अपनाई गई विकेन्द्रीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण, ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों ने स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों की पहचान करने, उन्हें अलग करने और प्रबंधित करने में पूरे दिल से काम किया। महामारी की स्थिति के दौरान कोविड-19 संगरोध केंद्रों, प्रवासियों और कमजोर वर्गों को भोजन वितरण जैसी अन्य गतिविधियों में भी ग्राम पंचायतें काफी प्रभावी थीं।

ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा कोविड-19 महामारी के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन का आकलन

ओडिशा के तीन राजस्व प्रभागों में कोविड-19 महामारी के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक संरचित चेकलिस्ट के माध्यम से फोकस ग्रुप डिस्कशन आयोजित किया गया था। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्रमशः ओडिशा के मध्य, उत्तरी और दक्षिणी राजस्व डिवीजनों के खोरदा, सुंदरगढ़ और गंजम जिलों में आयोजित किया गया था, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में सीओवीआईडी -19 की पुष्टि की गई थी। ओडिशा की ग्राम पंचायतों द्वारा महामारी के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अत्याधुनिक पदाधिकारियों, प्रवासियों

और कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित लोगों को शामिल करके 235 उत्तरदाताओं के साथ तीन अध्ययन जिलों में एफजीडी आयोजित किए गए थे। इन जिलों के विभिन्न हिस्सों में 10 फोकस समूह चर्चाएं आयोजित की गईं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में ग्रामीण स्थानीय निकायों की भागीदारी प्रभावी थी या नहीं।

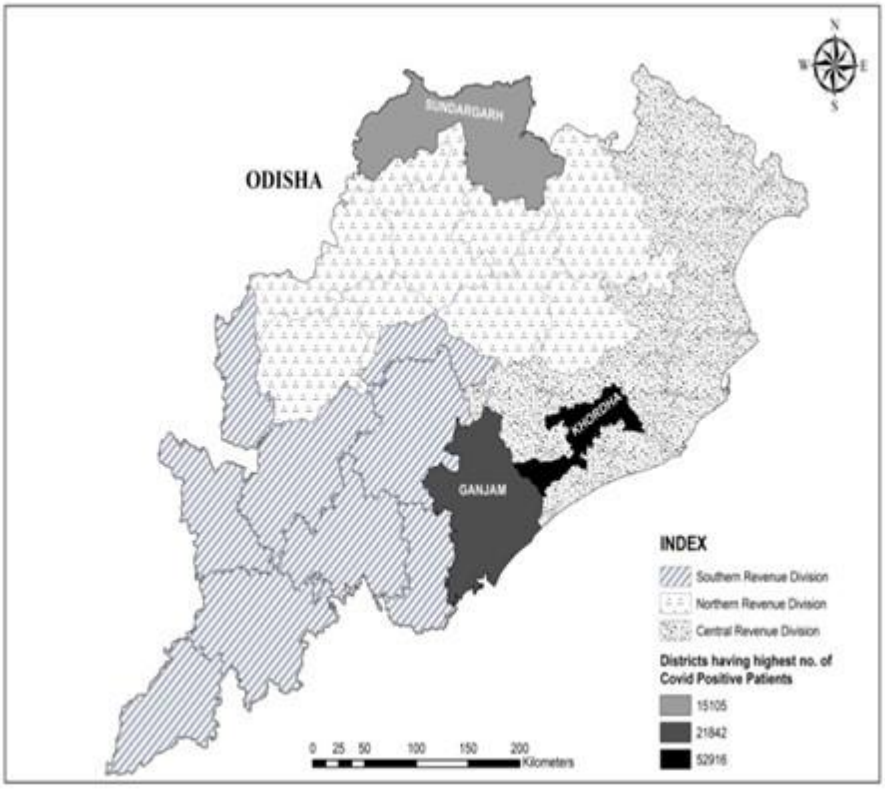

कोविड-19 महामारी के बीच मई 2020 के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात "अम्फान" ने राज्य को प्रभावित किया। प्रभावित चार जिलों की ग्राम पंचायतों ने शारीरिक दूरी के मानदंड (इंडिया टुडे, 24 मई 2020) का पालन करते हुए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओडिशा सरकार ने इन जिलों के अधिकारियों को कोविड-19 स्थिति के कारण शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए निकासी के लिए चक्रवात गृह स्थापित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, अम्फान से प्रभावित क्षेत्रों में 403 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए। महामारी की स्थिति को देखते हुए शारीरिक दूरी के दिशा-निर्देशों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक चक्रवात आश्रय अपनी क्षमता के एक तिहाई से भरा हुआ था। 403 चक्रवात आश्रयों में से, 105 ने कोविड-19 महामारी से जुड़े संगरोध के लिए अस्थायी चिकित्सा केंद्रों के रूप में कार्य किया। (उड़ीसा सरकार, 31 मई, 2020)। यहां यह उल्लेख

करना उचित है कि हालांकि ओडिशा में कोविड-19 महामारी और चक्रवात "अम्फान" की सह-घटना हुई थी, अध्ययन क्षेत्रों के लोग चक्रवात के कारण प्रभावित नहीं हुए थे। सुंदरगढ़ और गंजम ऐसे जिले हैं जो अध्ययन के दायरे में हैं जो चक्रवात की चपेट में नहीं आए थे। हालांकि खोरदा जिला चक्रवात के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुआ था लेकिन स्थानीय लोगों को वहां से नहीं निकाला गया जहां अध्ययन किया गया था। तार्किक प्रतिगमन विश्लेषण को लागू करके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) की प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता का सांख्यिकीय परीक्षण और विश्लेषण भी किया गया है।

तालिका -1 के प्रतिगमन विश्लेषण के अनुसार देखा जा सकता है कि कोविड-19 रोगियों के संदिग्ध मामलों की पहचान करने, प्रवासियों को अलग करने और ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संगरोध सुविधाओं के प्रबंधन जैसे कारकों ने ग्रामीण ओडिशा में महामारी । कोविड-19 के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

तालिका-1: ओडिशा की ग्राम पंचायतों द्वारा कोविड-19 के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन की प्रभावशीलता पर प्रतिगमन विश्लेषण

	मॉडल फिटिंग मानदंड			संभावना अनुपात परीक्षण		
प्रभाव	कम किए गए मॉडल का एआईसी	कम किए गए मॉडल का बीआईसी	-2 कम किए गए मॉडल की लॉग संभावना	ची-वर्ग	डी एफ	हस्ताक्षर
अवरोधन	30.302	50.676	22.302	7.707	1	0.005
कोविड-19 रोगियों की पहचान	31.456	51.830	23.456	8.861	1	0.003
प्रवासियों को अलग करना	31.093	51.467	23.093	8.499	1	0.004
संगरोध सुविधाओं का प्रबंधन	36.761	57.135	28.761	14.166	1	0.000

स्रोत: फील्ड अध्ययन

*चूंकि अध्ययन क्षेत्र चक्रवात के कारण प्रभावित नहीं हुए थे, इसलिए प्रतिगमन विश्लेषण ने चक्रवात आश्रयों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को नहीं पकड़ा।

प्रतिगमन विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विशेषता में महत्व का स्तर 0.05 से कम है जैसे कि कोविड-19 रोगियों की पहचान करना, प्रवासियों को अलग करना और ग्राम पंचायत स्तर पर संगरोध सुविधाओं का प्रबंधन करना, जिसका अर्थ है कि ग्रामीण स्थानीय स्व-सरकारें काफी प्रभावी थीं। ओडिशा में कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करना और उसका प्रबंधन करना।

ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामने चुनौतियां

अध्ययन के दौरान आयोजित फोकस ग्रुप परिचर्चा से यह पता चला कि ओडिशा की सभी 6798 ग्राम पंचायतों को प्रवासियों की हताश वापसी के कारण कोविड-19 महामारी की स्थिति के प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे कि उनके इलाके में संक्रमण को फैलने से रोकना , उनमें से संदिग्ध कोविड-19 मामलों की निगरानी, संस्थागत अलगाव की अवधि के दौरान संगरोध के लिए सुविधाओं के साथ स्क्रीनिंग और भोजन उपलब्ध कराना। चित्र-8 से स्पष्ट है कि ओडिशा सरकार के कोविड-19 डैशबोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान श्रमिक विशेष ट्रेनों से 3,58,401 प्रवासी ओडिशा लौटे हैं।

ओडिशा सरकार के पास राज्य के बाहर काम करने वाले राज्य की प्रवासी आबादी का कोई डेटा बेस नहीं है। मोटे अनुमान के अनुसार, ओडिशा के प्रवासी श्रमिक देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में 20 लाख की संख्या में हैं। अधिकांश प्रवासी देश के विभिन्न राज्यों में विनिर्माण, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में अकुशल और अर्ध-कुशल दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे (मेहर और नंदा, 2020)

आकृति -7 से यह स्पष्ट है कि कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान गुजरात राज्य के बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अन्य राज्यों से अधिकतम 130537 प्रवासियों की वापसी हुई।

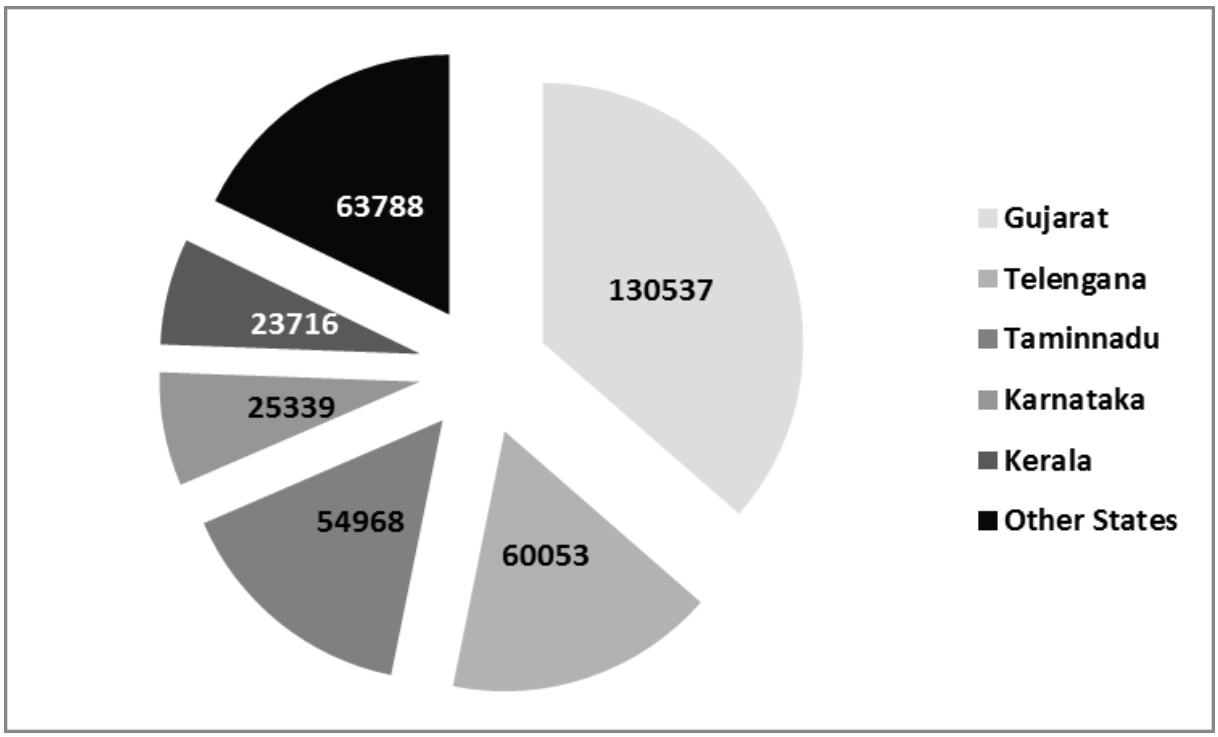

चित्र 7 : कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से ओडिशा लौटे प्रवासियों की संख्या

स्रोत: कोविड-19 डैशबोर्ड, ओडिशा सरकार (12 फरवरी 2021)

22 मार्च 2020 को अचानक तालाबंदी की घोषणा के बाद प्रवासी श्रमिकों को अपने घर लौटने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूरे देश में कारखानों और कार्यस्थलों के तत्काल बंद होने के कारण, लाखों प्रवासी श्रमिकों को आजीविका, आय, भोजन की कमी का सामना करना पड़ा और अपने भविष्य के बारे में असुरक्षित महसूस करना पड़ा। तत्काल तालाबंदी लागू होने के कारण हजारों प्रवासी श्रमिक बिना भोजन और बिना परिवहन के अपने घर वापस जाने लगे। तालाबंदी के पहले सप्ताह के दौरान, हजारों प्रवासी श्रमिकों को भूख और कठिनाई के साथ अपने मूल स्थानों पर आने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इन प्रवासियों के लिए शारीरिक दूरी संभव नहीं थी क्योंकि वे बड़े समूहों में यात्रा कर रहे थे। लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान लौटे इन प्रवासियों में से अधिकांश स्थानीय स्तर के अधिकारियों या ग्राम पंचायतों को सूचित किए बिना अपने पैतृक गांवों में लौट आए, जिससे स्थानीय निकायों के लिए उन्हें संस्थागत संगरोध केंद्रों में समायोजित करने में भारी कठिनाई हुई। हालांकि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी आपदा अधिनियम 1897, और ओडिशा कोविड-19 विनियमन, 2020 के प्रावधानों के अनुसार संगरोध शिविरों के प्रबंधन के माध्यम से अपने क्षेत्र में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने की शक्ति प्रदान की गई थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), सहायक नर्स मिडवाइफरी

(एएनएम), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों आदि जैसे अत्याधुनिक सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल करके वार्ड समितियाँ बनाना, लेकिन महामारी के शुरुआती चरणों में बड़ी संख्या में प्रवासियों की आमद एक वास्तविक चुनौती थी। महामारी की स्थिति से निपटने में ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकाय महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों को अस्थायी चिकित्सा केंद्रों (टीएमसी) के प्रबंधन और प्रवासियों को दो सप्ताह की अवधि के लिए संगरोध शिविरों में रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

कई जगहों पर, हालांकि ग्राम पंचायतों ने प्रवासियों के संगरोध की व्यवस्था की थी, लेकिन इन केंद्रों में उचित सुविधाओं की कमी के कारण वे रहने के लिए अनिच्छुक थे और ग्रामीण स्थानीय निकायों की अवहेलना करके अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते थे। यह महामारी के आगे प्रसार के लिए भी प्रेरक कारक बन गया क्योंकि उनमें से अधिकांश पहले ही संक्रमण के साथ लौट आए थे। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और कर्मियों के कारण, स्थानीय अधिकारियों के लिए पुष्टि की गई कोविड-19 मामलों की सही संख्या प्राप्त करना, उनके उपचार की व्यवस्था करना और संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करना एक चुनौती बन गया। महामारी की स्थिति से निपटने के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को संक्रमण ने समस्या को और बढ़ा दिया। लॉकडाउन अवधि के दौरान देश के सभी हिस्सों से ओडिशा के विभिन्न गांवों में प्रवासियों की अभूतपूर्व और भारी संख्या ने ग्राम पंचायतों के लिए भोजन, पोषण, स्वच्छता, अलगाव, सुरक्षा की व्यवस्था करने और उनके मूल निवास वापस आने के लिए आजीविका प्रदान करने के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कीं। तटीय ओडिशा के भीड़भाड़ वाले और भीड़-भाड़ वाले गांवों में, ग्राम पंचायतों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे शारीरिक दूरी, हाथ धोना आदि सुनिश्चित करने का समय था क्योंकि इन जगहों के लोग पीने के पानी और स्वच्छता जैसी साझा बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। प्रवासियों की भारी संख्या के कारण, ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी कोविड-19 निगरानी रणनीति के प्रबंधन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी की घातकता पर अत्यधिक मीडिया कवरेज के कारण, प्रवासियों को बीमारी के वाहक के रूप में माना जाता था, जिसके लिए स्थानीय समुदाय ने ग्राम पंचायतों को उनके इलाके के पास काम प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँचने के लिए सहयोग नहीं किया। संगरोध अवधि के बाद, ग्राम पंचायतों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य राज्य प्रायोजित योजनाओं जैसे उनके द्वारा कार्यान्वित मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों के

माध्यम से अपनी आजीविका के मुद्दों को संबोधित करना मुश्किल था। ग्राम पंचायतों द्वारा पेश किया गया रोजगार भी प्रवासी आबादी के कौशल स्तरों से मेल नहीं खाता था, जिसके लिए उनके लिए सुनिश्चित आय की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण, लॉकडाउन के विस्तार और अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन ने ग्राम पंचायतों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करके स्थानीय स्तर पर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करने का अत्यधिक दबाव डाला।

‘

भविष्य के लिए निष्कर्ष और भावी कार्य

ओडिशा के पंचायती राज संस्थानों द्वारा अनुभव की गई कई चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी। ग्रामीण स्थानीय स्व-सरकारें प्रवासी आबादी को संगरोध केंद्रों में प्रबंधित करने, उनके इलाके में कोविड-19 मामलों की पहचान करने, प्रभावित लोगों के संपर्क का पता लगाने, भोजन के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं को कोविड़-19 देखभाल केंद्रों में उपलब्ध कराने, लॉकडाउन लागू करने और प्रदान करने में सफल रहीं। ओडिशा सरकार के निर्देशानुसार मौजूदा फ्लैगशिप कार्यक्रमों से जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के द्वार भी खोल दिए हैं। योजनाकार और नीति निर्माता स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन की आवश्यकता को समझ सकते हैं और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के स्वीकार्य स्तर, नैदानिक सुविधाओं के प्रावधान और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों के पुनर्गठन के दायरे का विस्तार कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं ने महामारी निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर उचित ध्यान देने के साथ ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया है। अच्छी तरह से प्रबंधित और विकसित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लाभों ने राज्य द्वारा कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान ध्यान आकर्षित किया।

इसलिए, अध्ययन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर 65 प्रतिशत से अधिक खर्च के साथ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से एसजीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने की

सिफारिश की गई है। 2017 (भारत सरकार, 2017)। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सामान्य वार्डों में अधिक संख्या में बिस्तरों, वेंटिलेटर और अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों के प्रावधान के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य जांच में वृद्धि की सुविधाओं के साथ मजबूत करने की आवश्यकता है। इन उपायों के लिए आवश्यक संसाधनों को जिला खनिज निधि, वित्त आयोग अनुदानों से संसाधन जुटाकर और ग्राम पंचायतों के राजस्व के अपने स्रोत को बढ़ाकर पूरा किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों के लिए डेटाबेस बनाए रखने की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत दो प्रमुख प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रवासी श्रमिकों द्वारा प्राप्त कौशल और बाहर प्राप्त उनकी विशेषज्ञता को भी ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। अंतिम लेकिन कम से कम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना ग्राम पंचायत विकास योजना का एक हिस्सा होना चाहिए जिसमें वित्त आयोग अनुदान, राजस्व के स्वयं के स्रोत (ओएसआर) और अन्य संयुक्त अनुदानों में से ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध संसाधनों का समावेश होना चाहिए।

सन्दर्भ:

एंड्रयू एम ए, अरीकल बी, राजेश के आर, कृष्णन बी, मूली सी पी, संतोष पीवी (2020)। भारत में कोविड-19 संक्रमण का पहला मामला: एक केस रिपोर्ट, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, खंड-151, अंक-5, 490-492।

धरित्री स्वैन, विजय वी.आर., हृषिकेश दास, एल्विन इस्साक, शाइन स्टीफन और जैसन जैकब (2021), ओडिशा में कोविड-19 महामारी के प्रति प्रतिक्रिया: भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां और उपाय। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, वॉल्यूम -8 (2), 979-985।

दत्ता प्रबाश (2020), फाइटिंग कोरोनावायरस महामारी, ओडिशा वे, एक कहानी बताने के लिए, इंडिया टुडे, , https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak, वेब स्रोत 21 अप्रैल 2020 को एक्सेस किया गया।

गरीकिपति, नंदिनी (2020): "कोविड़ -19 महामारी पर युद्ध में ओडिशा की शांत सफलता," पॉलिसी सर्कल, https://www.policycircle.org, वेब स्रोत 27 मई 2020 को एक्सेस किया गया।

भारत सरकार (1017), राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017, क्रमांक-3.1, पृष्ठ संख्या-6, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय पर पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

भारत सरकार (2019), स्वास्थ्य राज्य, प्रगतिशील भारत- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रैंक पर रिपोर्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व बैंक और नीति आयोग, नई दिल्ली, 21-22।

ओडिशा सरकार (2020), राज्य में ग्राम पंचायतें कोविड-19 स्थिति से निपटती हैं, राजस्व और आपदा प्रबंधन द्वारा अपने पत्र संख्या -2232 / आर एवं डीएम (डीएम) दिनांक 19 अप्रैल 2020 को जारी निर्देश।

ओडिशा सरकार (2020), प्रशासन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार के मास्टर परिपत्र https://health.odisha.gov.in/pdf/Covid19_Master, वेब स्रोत 1 जून 2020 को एक्सेस किया गया

ओडिशा सरकार (2020), चक्रवाती तूफान "अम्फान" के मद्देनजर की जाने वाली तैयारी के उपाय, विशेष राहत आयुक्त, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश, अपने पत्र संख्या -2773, 17 मई 2020,

ओडिशा सरकार (2021), ओडिशा के सभी जिलों में कोविड अस्पताल, कोविड-19 डैशबोर्ड, ओडिशा सरकार, 2021, https://statedashboard.odisha.gov.in, वेब स्रोत 12 मार्च 2021 को एक्सेस किया गया

ओडिशा सरकार (2021), ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कोरोना-वायरस अपडेट, https://www.osdma.org/corona-virus-update, वेब स्रोत 31 मई 2021 को एक्सेस किया गया

इंडिया टुडे (24 मई 2020), कोविड-19 महामारी से जूझते हुए ओडिशा ने चक्रवात अम्फान से कैसे निपटा, https://www.indiatoday.in/india/story, वेब स्रोत 15 जून 20 को एक्सेस किया गया,

निरंजन साहू और मानस रंजन कर (2020), ओडिशा की कोविड-19 प्रतिक्रिया का मूल्यांकन: शांत आत्मविश्वास से फिसलन वाली सड़क तक, आर्थिक और सामाजिक विकास जर्नल, स्प्रिंगर, (https://doi.org/10.1007/s40847-020 -00126-डब्ल्यू), वेब स्रोत 30 दिसंबर 2020 को एक्सेस किया गया।

शिवलाल मेहर और जे नंदा, (2020), वर्किंग पेपर नंबर-79, कोविड-19 और प्रवासी श्रमिक, ओडिशा के लिए चुनौतियां और अवसर, नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, भुवनेश्वर, 01-30,

टाइम्स नाउ डिजिटल (19 अप्रैल 2020), 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए जाने वाले ओडिशा प्रवासियों को मुआवजे के रूप में 2000 रुपये दिए जाएंगे, https://www.timesnownews.com/india, वेब स्रोत 18 अप्रैल 2020 को एक्सेस किया गया।

द हिंदू (8 अप्रैल, 2020), भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली कोविड-19 मौत,

वैलेरी बाउजा, ग्लोरिया, डी स्क्लेयर, अलोकानंद बिसोई, अजिल ओवेन्स, अपूर्व घुगे और थॉमस क्लासेन (2020), ग्रामीण ओडिशा, भारत में कोविड-19 महामारी का अनुभव: ज्ञान, निवारक क्रियाएं, और दैनिक जीवन पर प्रभाव, मेड स्वास्थ्य विज्ञान के लिए प्री-प्रिंट सर्वर, बीएमजे येल (https://doi.org/10.1101/2020.11.20.20235630), वेब स्रोत 4 जनवरी 2021 को एक्सेस किया गया ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, (2020), गवर्नेंस से कम्युनिटी रेजिलिएशन तक: कोविड-19 के लिए ओडिशा की प्रतिक्रिया, https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/from-governance-to-community -रेसिलिएंस-ओडिशा-एस-रिस्पॉन्स-टू-कोविड-19, वेब स्रोत 23 जनवरी 21 को एक्सेस किया गया

5. कोविड-19 से ग्रस्त अर्थव्यवस्था का मजदूर वर्ग पर प्रभाव

डॉ. जीतेन्द्र कुमार डेहरिया[2]

सार

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल के दौरान हुई अर्थव्यवस्था और मजदूर वर्ग की दुर्दशा को उजागर करना है ताकि सरकार अर्थव्यवस्था और मजदूर वर्ग के विकास के लिए उचित नीति बना सके । वे कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से मजदूर वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुआ है? और सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में किस हद तक सफल रही है यदि? नही तो क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पर्याप्त और प्रमाणिक आंकड़ों के अभाव में स्थानीय, क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे न्यूज़ चेनलों, प्रकाशित हो रहे समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आ रही ख़बरों को गहराई से विश्लेषण कर इस शोध पत्र को लिखा गया है । इसी प्रकार स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई प्रकार की समस्या झेल रहे मजदूरों का अवलोकन, व्यक्तिगत और समूह चर्चाकर आंकड़े एकत्रित कर विशलेषण किया गया है । इसके अलावा सैद्धांतिक पक्ष हेतु विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन कर इस शोध पत्र को अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया गया है ताकि हम मजदूरों की निरंतर बढ़ती वास्तविक समस्याओं से अवगत हो सकें । विश्लेषण में यह पाया गया की बेशक कोविड काल में अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र चौपट हुआ है लेकिन इससे कहीं अधिक बेसिक सुविधाओं के अभाव में मजदूर वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुआ है।बढ़ती महंगाई और रोजगार के अभाव में उनकी आर्थिक दशा तो ख़राब हुई है साथ ही उनके जीवन का प्रत्येक पहलु भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

महत्वपूर्ण शब्द: कोविड-19, अर्थव्यवस्था, मजदूर वर्ग, पलायन, मंहगाई, निजीकरण, जातिवाद, पूंजीवाद और सरकारी नीतियां

* [2]सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ़ रीजनल प्लानिंग एन्ड इकॉनोमिक ग्रोथ, बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, ईमेल jittudehariya@gmail.comमो। नं। 7093202687

प्रस्तावना:

आज हम कोविड-19 के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है । जिसका सम्पूर्ण मानव जीवन पर कई रूपों में गंभीर असर पड़ा है और विशेष रूप से मजदूर वर्ग पर जिसे हम न आंकड़ों में और न शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं । आज जीवन की सभी आशाएं और आकांक्षायें धीरे-धीरे ख़त्म हो रहीं हैं । जीवन घर की चार दिवारी में सिमट कर रह गया है । विकास के सारे सपने टूटकर बिखर रहे हैं, जीवन की सभी योजनायें अनिश्चित हो चुकीं हैं । लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है, अब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनों और अपने आपको कोविड से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं (कुमार: सुबह सबेरे) ।

आज मजदूर वर्ग और अनिश्चित आय वालों के जीवन में जो बीत रहा है वह सिर्फ वही समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं । निरंतर बढ़ती मँहगाई ने उनको पूर्ण रूप से असहाय कर दिया है । क्योंकि जीवन जीने के लिए सिर्फ गेंहूँ और चावल से काम नहीं चलता बल्कि दाल, सब्जी, मिर्च-मसाला और खाद्य तेल और बीमार पड़ने पर दवाईयों की भी आवश्यकता पड़ती है । जिनकी कीमतें आसमान छू रहीं हैं और हम सभी जानते हैं की गरीबों की मसीहा सिर्फ सरकार ही होती है । यदि वही अपने कर्तव्य से मुकर जाये तो गरीब और मजदूर वर्ग समय से पहले ही मौंत के शिकार हो जाते हैं। कोरोनाकाल इसका एक स्पष्ट उदाहरण है जिसमें सैंकड़ों मजदूर और गरीब समय से पहले ही मौंत के शिकार हो गये हैं (कुमार:नवप्रदेश) ।

कोविड से निरंतर हो रही तबाही से आज जीवन इतना अनिश्चित हो चुका है की लोगों की आँखों से आंसू सूख चुके हैं । कोविड ने न जाने कितने परिवारों में तबाही मचाकर दुखभरी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है । शायद इसको समझना सत्ताधारियों और नीति निर्माण कर्ताओं के लिए इतना आसान नहीं है और यदि समझते तो शायद इतनी

तबाही नहीं हो पाती क्योंकि मौंतों के कम या ज्यादा आंकड़ों से न हम उनके परिवारों की दुःख की गहराई को समझ सकते हैं और न माप सकते हैं ।

आज हजारों लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि उसके द्वारा दी जा रही दवाइयों से भी उठ रहा है । लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं । आखिर ऐसी स्थिति पैदा हुई कैसे? और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इन प्रश्नों पर गौर करने की जरुरत है । आज हम प्राथमिक और जरुरी कार्यों को छोड़कर चुनावी जंग जीतने में लगे हैं । न हमारे पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई विशेष रणनीति है और न कोई रोडमेप है । आज हम सिर्फ कोविड का बहाना बताकर विकास कार्यों से बच नहीं सकते। ऐंसी महामारियाँ आती और जाती रहेंगी उनसे निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन, उचित रणनीति और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए । मानव जीवन को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए की अस्पताल में ईलाज के लिए बेड और शमशान घाट में दफनाने के लिए स्थान न मिले(कुमार: सुबह सबेरे) ।

हमें कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को सिर्फ जीडीपी के विकास के आंकड़ों से नही देखना चाहिए बल्कि देश के लोगों की सुख-समृद्धि, ख़ुशी और गुणवत्तापूर्ण जीवन के नजरिये से भी देखा जाना चाहिए वही हमारा वास्तविक विकास कहलायेगा । जीडीपी की विकास दर का अर्थ देश की कुल आय में वृद्धि से होता है न की सबकी आय में वृद्धि से मतलब मुठ्ठी भर लोगों को भोजन मिलने से पूरी देश की जनता का पेट नहीं भर जाता । हमारी सांख्यिकी की सबसे बड़ी कमी यही है । आज देश के कुछ गिने चुने अमीरों के पास देश की 90 प्रतिशत सम्पत्ति है जो हमारी औसत प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा तो देती है लेकिन आम आदमी की वास्तविक आय वैसे ही बनी रहती है । उनके जीवन पर कोई परिवर्तन नहीं आता । हमको जीडीपी के साथ-साथ उसके वितरण का भी

विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए तभी हम एक कुशल, समृद्ध और खुशहाल देश का निर्माण कर सकते हैं(कुमार:नवप्रदेश) ।

राष्ट्र निर्माण में मजदूरों का योगदान:

यदि मजदूरों को दुनिया का निर्माता कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योकि जितनी भी चमचमाती इमारतें, आलिशान बंगले, सड़कें, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, किले और ताजमहल दिखाई देते हैं ये सब मजदूरों की ही देन है जिनका श्रेय उनको कभी नहीं जाता फिर उनके स्वामित्व की तो दूर की बात है। इन सबके बावजूद भी मजदूर वर्ग खाली के खाली हाथ होता है, न तो उसकी कोई सुनता है और न समझता है बस जीवन भर यहाँ-वहाँ ठोकरें खाकर जैसे-तैसे जीवन-यापन करता है। उनकी भावनाओं और समस्याओं को कभी नीति निर्माण कर्ताओं ने न ठीक से समझा है और न अनुभव किया है इसीलिए उनके हित के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है सिर्फ छोटी-छोटी सरकारी योजनायें उनके निश्चित रोजगार, स्थायी आयऔर कौशल विकास का हल नहीं है (कुमार:देशबंधु)।

आज देश के जितने भी विकसित प्रदेश हैं जो अपने विकास पर गर्व करते हैं या तो वे वहाँ की सरकार को या राजनीतिक दल को श्रेय देते हैं या फिर वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को लेकिन वे हमेशा वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को भूल जाते हैं जो देश की विकास की नींव से लेकर विकास की चमचमाती इमारतका निर्माण करते हैं। आज हम विकास की उस ऊँचाई तक नहीं पहुंचे हैं और शायद न कभी पहुँच पायेंगे की हमारे सभी कार्य बिना मजदूरों के हो सकें। हमें घर के छोटे-छोटे कार्यों और साफ-सफाई से लेकर बड़े-बड़े उद्योगों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, खदानों, होटलों, सड़कों इत्यादि में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है और पूंजीपतियों और उच्च आय वर्ग के लोगों का तो मजदूरों के बिना कोई काम भी नहीं होता और वही लोग उनका शोषण और अत्याचार भी करते हैं। यदि एक दिन सभी

मजदूर अपना कार्य करना बंद कर दें तो सारा देश तहस-नहस हो जायेगा फिर भी हमारी मजदूरों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है यह स्पष्ट दिखाई देती है और कोरोनाकाल में और भी स्पष्ट हो गयी है।

मजदूरों का पलायन:

आज दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है की हम कल्पना भी नहीं कर सकते । इन्हें गाँव, मुहल्लों, छोटे-छोटे कस्बों से लेकर बड़े-बड़े शहरों की होटलों में, ईंट के उद्योगों में, सड़क और बाँध निर्माण में, बड़े-बड़े किसानों के खेतों और छोटी से लेकर बड़ी-बड़ी बहु-मंजिला इमारतों इत्यादि में काम करते देखा जा सकता है और इनकी तस्वीर तब और भी स्पष्ट होती है जब वे काम की तलाश में हजारों की संख्या में ट्रेन के द्वितीय श्रेणी के डब्बे में क्षमता से कई गुना अधिक बिना बैठे, बिना सोये, रात-दिन सैंकड़ों किलोमीटर लटकते हुए देश के विभिन्न शहरों में काम की तलाश में जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई ओडिशा से हैदराबाद और सूरत जाता है, तो कोई छत्तीसगढ़ से हैदराबाद, कोई बिहार से हैदराबाद और पंजाब जाता है, तो कोई मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र, पुणे, कर्नाटक और बैंगलोर जाता है । यह प्रक्रिया बारह महीने चलती रहती है चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश का समय हो (कुमार:देशबंधु)।

बढ़ती मंहगाई का मजदूरों पर असर:

ये मजदूर सामान्यतः कम पढ़े लिखे, अकुशल, और भूमिहीन होते हैं या फिर इनके पास बहुत ही कम भूमि होती है जिन्हें हम सीमान्त (ढाई एकड़ से कम भूमि वाले) किसान भी कहते हैं । इनकी आर्थिक स्थति इतनी कमजोर होती है की वे किसी भी आर्थिक और गैर आर्थिक समस्या से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या किसी भी प्राकृतिक और आप्राकृतिक आपदाओं की मार सबसे पहले इन मजदूरों पर ही पड़ती है: चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, कोई

दुर्घटना हो या फिर कोई कोई बीमारी या महामारी हो जिसका जीता जागता उदहारण कोविड-19 पेंडेमिक है जिसमें मजदूर वर्ग सबसे अधिक आहत हुआ है । बार-बार लॉकडाउन लगने और निरंतर मँहगाई बढ़ने से मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है जिसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । खाद्य पदार्थों और सब्जियों के बढ़ती कीमतों ने उनका जीवन-यापन दूभर कर दिया है । एक साल के अन्दर खाद्य तेल की कीमत दुगुनी हो चुकी है सेनीटाईजर और मास्क खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं । एक और मजदूरों के पास न कोई स्थायी रोजगार है और न स्थायी आय और दूसरी तरफ सरकार लोगों को कोविड से बचाने के लिए बार-बार लॉकडाउन का सहारा ले रही है तो अब मजदूर वर्ग ऐंसी स्थिति में करे तो क्या?

सच्चाई तो यह है की एक मजदूर के पीछे सिर्फ वह एक अकेला व्यक्ति नही होता बल्कि उसके पीछे उसके बीबी-बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं जिनकी अपनी-अपनी आवश्यकताएं और जरूरतें होती हैं जैसे भोजन-कपड़े, शिक्षा-स्वास्थ्य और शादी-ब्याह इत्यादि । इन जरूरतों को पूरा करना इतनी मँहगाई और अनिश्चित आय में वही मजदूर और बेरोजगार व्यक्ति समझ सकता है जो इस समस्या से जूझ रहा है (कुमार:देशबंधु)। उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति और संगठन के अभाव में न वे अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं और न किसी को कुछ कह सकते हैं और यदि हक़ के लिए लड़ते भी हैं तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है । उनको लेकर हमारा शासन और प्रशासन भी उतना संवेदनशील नहीं है जितना की होना चाहिए और शायद ये हम सभी जानते हैं। उनका शोषण कई रूपों में होता है और उनके हक़ और अधिकारों को भी कई रूपों में प्रभावशील लोगों द्वारा मारा जाता है । उनके विकास के लिए दी गई निधि और उनके लिए चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं से मिलने वाले लाभ का बँटवारा कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच इस प्रकार होता है की वास्तविक लाभ गरीबों को बहुत कम मिल पाता है । इस प्रकार की नीति और नियत से मजदूर वर्ग को उठने नहीं दिया जाता है । आज अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ी

है या मुठ्ठी भर लोगों के पास जो देश की कुल संपत्ति का 90 प्रतिशत हिस्सा है वह काफी हद तक भ्रष्टाचार का ही परिणाम है और वह सम्पत्ति गरीब वर्ग के लिए कोई काम की भी नहीं है ।

मजदूर वर्ग का उदय:

मजदूर वर्ग हमारे समाज का ही अभिन्न अंग है जो जातिवाद, पूंजीवाद और गलत आर्थिक नीतियों और कानूनों के परिणाम स्वरुप ही इस वर्ग का उदय हुआ है एवं धीरे-धीरे स्थायी रोजगार और निश्चित आय के अभाव में इस वर्ग का आकार और व्यापक होते जा रहा है । यदि इस समस्या को दूर करने हेतु समय पर उचित और ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वर्षों में मजदूर वर्ग एक ऐंसा वर्ग के रूप में उभरेगा जो देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बन जायेगा जो कई प्रकार की सामाजिक, असामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म देगा। आज देश की लगभग 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है जो या तो कृषि मजदूरी पर निर्भर है या फिर आजीविका के लिए यहाँ-वहाँ पलायन करती है और देश में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक हैं वे भी कुछ वर्षों में भूमि के निरंतर विखंडन से भूमिहीन होकर दैनिक मजदूर वर्ग की श्रेणी में आ जायेंगे और हमारी कुल जनसंख्या का आधी से अधिक आबादी मजदूर वर्ग की हो जायेगी। क्योंकि एक तरफ हम निजीकरण को भी इतना बढ़ावा दे रहे हैं की सार्वजानिक क्षेत्र में कुछ वर्षों के बाद नौकरियां ही नहीं बचेंगी। और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है की ग्रामीण क्षेत्र के युवा निजी क्षेत्र के अच्छे पदों में कार्य करने लायक ही नहीं होते विशेषकर मजदूर वर्ग के लोग क्योंकि वे सामान्य शिक्षा तो जैसे-तैसे ग्रहण कर लेते हैं लेकिन तकनीकी और आधुनिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जो आज के उद्योगिक और तकनीकि जगत की आवश्यकता है (कुमार: 2017) ।

मजदूर वर्ग का शोषण:

विशेषकर मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है की वह स्वंय झोपड़ी में रहकर दूसरों के लिए महल बनाता है, रात-दिन काम कर दूसरों का जीवन आरामदायक और खुशहाल बनाता है, खुद गन्दी बस्ती में रहकर दूसरों की गलियों को साफ करता है, खुद अन्न पैदा करता है और उसी के लिए वह यहाँ-वहाँ भटकता है और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, ताज-महल और हवाई-अड्डों का निर्माण करता है और दुर्भाग्यवश उन्ही से वह वंचित रह जाता है। इसका कारण यह है की वर्षों से उसका शोषण समाज के प्रभावशील जातियों, सेठ-साहूकारों, पूंजीपतियों से लेकर बड़े-बड़े शासकीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई रूपों में किया जाता रहा है, उनके हक़ और अधिकारों को छीना जाता रहा है, उनके विकास के लिए दिए गए बजट और चलाई गई योजनाओं के सम्पूर्ण लाभ से वंचित रखा जाता है जिसकी वजह से वह मजदूर वर्ग की श्रेणी से बाहर निकल ही नहीं पाता । आज देश के हजारों आदिवासी बाहुल्य गाँव हैं जहाँ न पर्याप्त बिजली है, न पानी है, न स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं और न ही उचित शिक्षा की व्यवस्था है । यदि ऐंसी स्थिति हमेशा बनी रही तो आने वाले समय में इनका भविष्य क्या होगा यह एक विचारणीय विषय है ।

आज विशेषकर आदिवासी बाहुल्य प्रदेशों के मजदूर वर्ग के लोग दैनिक मजदूरी और आजीविका की तलाश में परिवार सहित एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं और कई प्रकार की जोखिम भरी फैक्ट्रियों, कंपनियों, ईंट के उद्योगों और बहु-मंजिला इमारतों में कार्य करते हैं जो कभी-कभी कई प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं और पलायन की यह स्थिति विशेषकर बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, और मध्यप्रदेश में रहने वाले मजदूर वर्ग में खासकर देखने को मिलती है । क्योंकि औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से पिछड़ेपन की वजह से इन प्रदेशों में मजदूरी की दर बहुत ही कम है और स्थायी रोजगार भी नहीं है इसीलिए इन प्रदेशों के लोग काम की तलाश में यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं (कुमार:

नवप्रदेश) और यह स्थिति कोरोनाकाल की पहली और दूसरी लहर में काफी स्पष्ट हुई है, लाखों मजदूर रात-दिन सैंकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने-अपने घर पहुंचे हैं जिनकी पीड़ा और भावनाओं को हम आंकड़ों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते ।

जातिगत व्यवस्था का मजदूर वर्ग पर प्रभाव:

जातिगत सोच का असर पूरे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सिस्टम पर पड़ता है और उसका परिणाम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निम्न जाति से लेकर उच्च जाति वर्ग तक को भुगतना पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक जाति का दुष्परिणाम निम्न जाति के लोगों पर पड़ा है और यह प्रभाव ऐतिहासिक रूप से देखा जा जाता है । आज सबसे अधिक गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अत्याचार, शारीरिक एवं मानसिक शोषण के शिकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ही है । क्योंकि ये समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े है । इस वर्ग के लोग मजदूर हैं, छोटे किसान है एवं छोटे कर्मचारी है इसलिए इनका शोषण करना प्रभावशाली वर्गों एवं जातियों द्वारा आसान होता है । इनके विकास के लिए कई गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं एवं सरकारी योजनायें भी चलाई जा रही हैं लेकिन इसका सही फायदा इनको नही मिल पा रहा है? ये लोग अपना प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में नही कर पा रहे हैं । इसीलिए ये लोग आजादी की मांग करते हैं और दी भी जानी चाहिए । आजादी का अर्थ संकुचित रूप में या सिर्फ अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए बल्कि व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि आजादी एक व्यापक अवधारणा है । यदि हम आजादी की बात इन कमजोर, पिछड़े एवं शोषित वर्गों के लिए करें तो वे आज भी सेठ/साहूकारों, व्यापारियों, प्रभावशील जातियों/समूहों एवं निकम्मी सरकारों के गुलाम हैं और इस गुलामी को वातानुकूलित रूम या आरामदायक कमरों में बैठकर, सरकारी रिपोर्ट को पढ़कर समझना इतना आसन नहीं है बल्कि इसके लिए उन क्षेत्रों में जाकर रहना होगा और अनुभव करना होगा जो क्षेत्र शहरी

वातावरण से दूर हैं, जिन क्षेत्रों के लोग फसल बोने से पहले सस्ती कीमत में स्थानीय व्यापारियों को बेच देते हैं या सौदा कर ऋण ले लेते हैं और फसल आने पर अपनी फसल को उन्ही व्यापारियों को देते हैं । व्यापारियों से ऋण लेने के लिए हाथ-पैर जोड़ते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत देना पड़ता है क्योकि बिना रिश्वत लिए कोई अधिकारी एवं कर्मचारी काम नहीं करता, खुद पर हो रहे शोषण एवं अत्याचारों को चुपचाप सहन करते रहते हैं । कर्ज में दबे रहने के कारण सेठ/साहूकारों एवं व्यापारियों की गालियाँ सुनते रहते हैं । तो ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं जो आजादी के पहले भी व्याप्त थीं और आज भी व्याप्त हैं भले ही इनके रूप और मायने बदल गए हों (कुमार: उग्रप्रभा) ।

बढ़ता निजीकरण का मजदूर वर्ग पर प्रभाव:

जैसा की सर्वविदित है की हमारे देश में क्षेत्रीय और स्थानीय, आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के साथ-साथ कई प्रकार की विविधताएँ भी हैं । देश की कुल जनसँख्या का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अभी भी गांव में निवास करता है जो मुख्यतः कृषि, पशुपालन एवं दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। हमारे देश में आय की असमानता अत्यधिक है और इसका मुख्य कारण है सामाजिक असमानता और इन दोनों असमानताओं का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कुपोषण और विकास के अन्य सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों पर देखने को मिलता है । क्या इतनी विविधताओं और विषमताओं को सार्वजनिक संपत्तियों या सार्वजनिक संस्थाओं को निजी स्वामित्व में देकर हम देश के गरीब, पिछड़े, वंचित, बेरोजगार, छोटे कर्मचारी या निम्न वर्गीय या निम्न आय वाले मजदूर, विधवा, वृद्ध एवं गरीब छात्र-छात्राओं के साथ न्याय कर पायेंगे यह एक चिंतन का विषय है । क्या आपने अभी तक के इतिहास में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सार्वजनिक व्यय की तरह जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,

एवं सड़क पर खर्च करते देखा है? क्या निजी संस्थाएँ या उपक्रम सरकार की तरह सार्वजानिक हितों को ध्यान में रखती हैं? इन सभी प्रश्नों पर विचार करने की जरुरत है।

सच तो यह है निजीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है और पूंजीपतियों का उद्देश्य होता है उत्पादन के साधनों एवं मजदूरों का शोषण कर अधिक से अधिक लाभ कमाना, सामान्यतः उनका सार्वजनिक हितों से कोई मतलब नहीं होता। आज हमारा देश निजीकरण की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है जिससे देश के सम्पूर्ण एवं समावेशी विकास में बहुत बड़ा संकट पैदा होगा । निजीकरण से हमारे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हो सकती है, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो सकता है जिससे देश की सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) की दर में वृद्धि होगी लेकिन क्या उसका निम्न वर्गों के बीच सही वितरण हो पायेगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है । निजीकरण से गरीबों और अमीरों के बीच की खाई और अधिक बढ़ेगी जो दो वर्ग को जन्म देगी एक शोषित और दूसरा शोषक वर्ग इससे कल्याणकारी राज्य की भूमिका ख़त्म हो जायेगी: आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, छात्रवृत्ति, शोधवृत्ति, विधवा पेंशन, शैक्षिक अनुदान, कृषि अनुदान इत्यादि सब धीरे-धीरे ख़त्म हो जायेंगे और निम्न आय वर्ग के लोगों का शोषण इतना होगा की वे समाज की मुख्यधारा से अपने आप दूर हो जायेंगे ।

यदि हम वास्तव में आर्थिक विकास एवं वृद्धि में संतुलन स्थापित करना चाहते हैं और समावेशी विकास चाहते हैं तो हमें सरकारी संस्थानों का विस्तार करना चाहिए एवं उनमें स्थायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर उनकी कार्यक्षमतओं का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। और जो सार्वजनिक उपक्रम या संस्थाएँ ठीक से काम नहीं कर रहीं हैं उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनका समय-समय पर उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि वे सक्रिय रूप से कार्य कर सकें और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें । वर्तमान में सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों

की संख्या बहुत कम है और वर्कलोड बहुत अधिक है इसलिए अक्सर सरकारी कार्य समय पर नही हो पाते हैं । बेशक कुछ संस्थायें या उनमें कार्यरत लोग लापरवाही करते हों या वे संस्थाएँ घाटे में चलती हों लेकिन इसका मतलब ये नहीं की उन्हें सीधा निजी क्षेत्र के स्वामित्व में कर दिया जाए । जिन भी सरकारी संस्थाओं में कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पास ज्यादा कार्य नहीं हैं उन्हें उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अतिरिक्त कार्य देकर उनकी कार्यक्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए (कुमार: स्वदेश) ।

निजीकरण "समावेशी" विकास का हल नहीं:

निजीकरण आर्थिक एवं "समावेशी" विकास का हल नहीं है यह मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखने एवं उनका शोषण करने का एक तरीका है जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को तो बढ़ायेगा ही साथ ही अनेक प्रकार के आर्थिक और गैर-आर्थिक संकट और विषमताएँ पैदा करेगा। हमारे सामने निजीकरण के ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हमको सीखना चाहिए आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, संचार, सभी में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी है जिसके फायदे और नुकसान हम सभी जानते भी है । खासकर निजीकरण से वस्तुएँ एवं सेवाएँ इतनी मंहगी हो जाती हैं की निम्न वर्ग या तो उनसे वंचित रहता है या फिर बहुत ही सीमित रूप से से उनका उपभोग कर पाता है लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग हर वर्ग का व्यक्ति करता है और विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम वर्ग का तो सरकार को उच्च आय वर्ग के साथ-साथ निम्न आय वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे देश की जनसँख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है और शासकीय योजनाओं के ऊपर निर्भर रहता है चाहे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, आवास या बैंकिंग से सम्बंधित हों। निजीकरण से सिर्फ आर्थिक वृध्दि होगी और आर्थिक वृद्धि से हम देश की "औसत प्रतिव्यक्ति आय" बढ़ा तो सकते हैं लेकिन "वास्तविक" रूप से "प्रत्येक व्यक्ति" की आय

बढ़ाना ज्यादा जरुरी है और यह तभी संभव होगा जब देश की आय का कमजोर वर्गों के बीच समुचित वितरण होगा तभी देश के विकास की नीव मजबूत होगी और हम एक स्वस्थ्य, सुदृढ़ और आत्म निर्भर देश एवं प्रदेश की कल्पना कर पाएंगे और तभी हमारा “सबका साथ सबका विकास” और “विश्व गुरु” बनने का सपना पूरा होगा (कुमार: स्वदेश) ।

निष्कर्ष:

आज देश का हर वर्ग परेशान तो है ही उनमें से निम्न और मजदूर वर्ग की स्थति काफी दयनीय हो चुकी है । उनकी आय शून्य हो चुकी है, लेकिन उनकी जरूरतें ज्यों की त्यों हैं और ऊपर से निरंतर बढ़ती मँहगाई ने उनका जीवन-यापन दूभर कर दिया है । विकास के सभी संकेतक कमजोर हो चुके हैं जिनको यथा स्थति में लाने के लिए वर्षों लग सकते हैं । आज प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी है सिर्फ डिग्रियाँ बाँटने से छात्रों के जीवन में अपने आप सोच और समझ विकसित नहीं हो सकती । दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सीमित हो चुके हैं । लोग डिग्रियाँ लेकर रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति इस हद तक पहुँच चुकी है की लोग पीएच-डी जैसी डिग्रियाँ प्राप्त कर बेरोजगार बैठे हुए हैं । इन सभी समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है तभी हमारा “सबका साथ और सबका विकास” का सपना पूर्ण होगा ।

सुझाव:

हमारी सकल घरेलू विकास की दर निरंतर गिरने से विशेष रूप से संवेदनशील अर्थशास्त्रियों और जीडीपी के आंकड़ों को समझने वालों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र चाहे वह प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या फिर सेवा क्षेत्र हो, किसी न किसी रूप में जरुर प्रभावित हुआ है जिससे हमारे राजस्व में भी भारी कमी आयी

है । अब हमको ऐंसी स्थिति से निकलने के लिए हमें अनुभवी अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों से सलाह लेने की जरुरत है । क्योंकि आज हमें हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छे रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है तभी हम समावेशी विकास की एक आदर्श नींव रख सकते है । आज धैर्यपूर्वक और सही निर्णय लेने की जरुरत है क्योंकि एक छोटा सा निर्णय या तो देश को तबाह कर सकता है या फिर उन्नति की एक नई दिशा दे सकता है। कोरोनाकल में लिए गए निर्णय हमारे लिए स्पष्ट उदाहरण हैं ।

यदि हमको "सबका साथ सबका विकास" और "विश्व गुरु" बनने का सपना पूरा करना है तो हमें मजदूर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण तकनीकि और व्यावसायिक शिक्षा, स्वस्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाएँ प्रदान कर निश्चित रोजगार और आय की दिशा में कार्य करना होगा तभी हम एक स्वस्थ्य, शिक्षित, और सुदृढ़ प्रदेश और देश का निर्माण कर सकते हैं और हम मजदूरों को शोषण, बेरोजगारी, भुखमरी, अत्याचार, भ्रष्टाचार और कम मजदूरी से छुटकारा दिला सकते हैं तभी हमारी जीडीपी की विकास दर भी हमारी उम्मीदों से अधिक होगी और हमारा इस पर आधारित समावेशी विकास का सपना पूरा होगा ।

सन्दर्भ:

कुमार, जीतेंद्र (2021): 'कोविड अर्थव्यवस्था का आम जीवन पर असर' *सुबह सबेरे* (दैनिक समाचार पत्र)अंक 247, प्र। क्र। 5, 13 मई 2021 ।

कुमार, जीतेंद्र (2021): 'अर्थव्यवस्था का आम आदमी के जीवन पर असर'*नवप्रदेश* (दैनिक समाचार पत्र)अंक 10, प्र। क्र। 4,13 मई 2021 ।

कुमार, जीतेंद्र (2021): 'लॉकडाउन और मंहगाई की मारसे मजबूर हुआ मजदूर वर्ग' *देशबंधु*(दैनिक समाचार पत्र)अंक 14, प्र। क्र। 6, 20 अप्रैल 2021 ।

Kumar, Jeetendra (2017): *Labour and Accumulation in Rural Madhya Pradesh: A Case Study of Dikhatpura Village in Morena District*, PhD Thesis Submitted at School of Economics, University of Hyderabad

कुमार, जीतेंद्र (2021): 'राष्ट्र निर्माण में मजदूरों की भूमिका: उनका वर्तमान और भविष्य' *देशबंधु*(दैनिक समाचार पत्र)अंक 14, प्र। क्र। 6, 1 मई 2021।

कुमार, जीतेंद्र (2021): 'आजादी के बदलते स्वरूप एवं मायने ' *उद्यप्रभा* (साप्ताहिक समाचार पत्र)अंक 5, प्र। क्र। 2, 27जनवरी 2021।

कुमार, जीतेंद्र (2021): 'सार्वजनिक संस्थाओं एवं उपक्रमों का निजीकरण क्या समावेशी विकास का हल है' *स्वदेश* (दैनिक समाचार पत्र)अंक 168, प्र। क्र। 4, 16 अप्रैल 2021

6. भारत में कोरोना महामारी का ग्रामीण-शहरी प्रवासन पर प्रभाव : एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन

डॉ. देवेन्द्र प्रताप तिवारी डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय***

सारांश

भारत एक ग्रामीण बहुल देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या आज भी गाँवों से जुड़ी हुई हैं। न केवल जनसंख्या बल्कि देश का ज्यादातर क्षेत्रांश भी ग्रामीण ही है। इन्ही कुछ कारणों से भारत को गाँवों का देश माना जाता है। आज जब हम 21वीं सदी में दो दशक पार कर चुके हैं, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुकी हैं। भारतीय गाँव विकास के पैमाने पर कहाँ टिकते है -यह विचारणीय है। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अवसंरचना जैसे आधारभूत मुद्दे आज भी यहाँ की प्रमुख समस्या हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण लोगों एवं परिवारों का नगरीय प्रवासन नियति बन चुकी हैं। कोरोना महामारी के कारण जब वर्ष 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू हुआ, उस स्थिति में देश में सर्वाधिक प्रभावित यही प्रवासी हुए। ऐसे में नीति निर्माताओ एवं अध्येताओं के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो गए, क्या इन प्रवासी लोगों एवं परिवारों का सरकार या किसी एजेंसी के पास कोई रिकॉर्ड हैं ? लॉकडाउन के कारण कतिपय कारणों से जब वे अपने मूल की ओर लौट रहे है तो उनके पास विकल्प क्या है? क्या सम्बंधित राज्यों के पास कोई नीति या कार्य योजना है जिससे इनका पुनर्वासन हो सके? और सबसे विचारणीय प्रश्न है कि इस पुन: स्थानांतरण का प्रभाव क्या होगा? इस शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द - कोरोना, प्रवासन, लॉकडाउन, पुन: स्थानांतरण, प्रवासी श्रमिक।

---

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एल.के. कालेज, सीतामढ़ी, बिहार

**सहायक प्रोफेसर, समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र, बी.एच.यू., वाराणसी

भारत में ग्रामीण - शहरी प्रवासन की स्थिति

जब अर्थव्यवस्थाएं संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरती हैं, तो श्रम का खेती से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में एक अनिवार्य बदलाव होता है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान-की-मून के शब्दों में, "प्रवास सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मानवीय आकांक्षा की अभिव्यक्ति है।"[3]भारत एक ग्रामीण बहुल देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या आज भी गाँवों से जुड़ी हुई हैं। न केवल जनसंख्या बल्कि देश का ज्यादातर क्षेत्रांश भी ग्रामीण ही है। इन्ही कुछ कारणों से भारत को गाँवों का देश माना जाता है। आज जब हम 21वी सदी में दो दशक पार कर चुके हैं, देश की अर्थव्यस्था दुनिया की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। भारतीय गाँव विकास के पैमाने पर कहाँ टिकते है - यह विचारणीय है। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना जैसे आधारभूत मुद्दे आज भी यहाँ की प्रमुख समस्या हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण लोगों एवं परिवारों का नगरीय प्रवासन नियति बन चुकी हैं।

आकड़ों की बात करें तो देश में 1990 से 2011 के बीच दो दशक की अवधि में कुल प्रवासियों की संख्या में दोगुनी बढोत्तरी हुई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अभी कुल 45 करोड़ से ज्यादा प्रवासी हैं। जबकि 1991 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक तब प्रवासियों की संख्या 22 करोड़ थी। 1991 से 2011 के बीच प्रवासियों की संख्या में लगभग दोगुनी बढ़ोत्तरी हुई है।[4]इसके बावजूद भारत में अभी तक प्रवासी शब्द की कोई एक व्याख्या या परिभाषा नहीं है। भारतीय जनगणना रिपोर्ट में प्रवासी मजदूरों को ज्यादा गहराई से नहीं देखा जाता, खासतौर से अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रवास करने वालों का आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है, जिसे जनगणना में नहीं देखा गया। जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रवासी की परिभाषा को लेकर अलग राय रखती है।[5]इसलिए आंकड़ा संग्रहण एक बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आया है।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की 18 सदस्यीय वर्किंग कमेटी ने प्रवास (माइग्रेशन) पर अपनी सिफारिशी रिपोर्ट में ऐसी कई महत्वपूर्ण बाते कही हैं।[6]वर्किंग कमेटी

की रिपोर्ट में अहम चीजें हैं जो प्रवासन के बदलते चरित्र से पर्दा खोलती हैं। पहला कि दो जनगणना रिपोर्ट (2001-2011) के मध्य घटित होने वाला पलायन क्यों हो रहा है और गांव-शहर के बीच उसकी दिशा क्या है। दूसरी अहम चीज है कि महिला और पुरुष के लिए प्रवासन की क्या-क्या प्रमुख वजह है और इनका प्रतिशत कितना है ?

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जनगणना छोटी अवधि वाले प्रवास के प्रवाह को अपनी गणना में नहीं शामिल करता है। जबकि भविष्य में छोटी अवधि के लिए काम के सिलसिले में पलायन की धारणा और मजबूत है। ज्यादा शहरी केंद्रों के उभार और वहां तक पहुंच पलायन की नई प्रकृति भी बन सकती है। हो सकता है लोग बेहद कम समय के लिए किसी शहर में जाकर काम करें और फिर वापस आ जाएं। यह काम के सिलसिले में पलायन की नई प्रवृत्ति हो सकती है।

कोरोना महामारी का प्रसार एवं प्रभाव

भारत सहित दुनिया भर में कोरोना महामारी की विभीषिका और उससे उपजे संकट ने दुनिया की गति को एकदम से अवरुद्ध कर दिया है। आज विश्व के सभी देश चाहे उनके सकल घरेलू उत्पाद का स्तर कुछ भी रहा हो इस आपदा में औधे मुह गिर गये हैं। सभी की प्राथमिकता आज आर्थिक प्रगति के बजाय जीवन सुरक्षा तक सीमित होकर रह गयी है। खुद भारतीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि - "जान है तो जहान है",[7]इसका सीधा तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जन-जीवन सुरक्षा है। और तब जबकि इस महामारी का भविष्य क्या होगा? यह महामारी विश्व को कहा तक ले जाएगी? इस संकट की समाप्ति के फलस्वरूप राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संरचना में क्या क्या परिवर्तन हो जायेगे? मानव मस्तिष्क में उपज रहे इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नही हैं न ही कोई इस बात का उत्तर दे पा रहा है कि मानव विकास सूचकांक और स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से सिरमौर देशों में कोविड -19 जनित मौते रुक क्यों नही रही ?

भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में जनवरी-फरवरी 2020 में मिला जब चीन के वुहान शहर से लौटे 3 छात्र संक्रमित पाए गए थे।[8] भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 3 जुलाई 2021 तक इस वायरस से

भारत में 3,05,02,362 मामलों की पुष्टि की है जिसमें 4,01,050 लोगों की मृत्यु हुई है।[9] भारत में वर्तमान में एशिया में सबसे अधिक पुष्ट मामले हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 2.67 करोड़ मामले, दुनिया में (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद) दूसरे सबसे अधिक पुष्ट मौत के

मामले हैं और कोविड-19 मौतों 307231 के साथ, तीसरी सबसे बड़ी संख्या (संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद) हैं।[10]

भारत में कोविड-19 लॉकडाउन मार्च 2020 के बाद, अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित हजारों दिहाड़ी मजदूर बड़े शहरों को छोड़कर गये। उनके पास अपने गांवों में लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, हालांकि उनका भविष्य भी अंधकारमय है। परिवहन का कोई सार्वजनिक साधन नहीं होने के कारण, कई लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई से बिहार, झारखण्ड और प. बंगाल जैसे दूरदराज के स्थानों पर पैदल ही निकल पड़े।

कोरोना महामारी के कारण व्यक्ति, समाज, देश एवं विश्व स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।इस महामारी के फलस्वरूप स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक संकट, शिक्षा आदि कुछ ऐसे क्षेत्र है जिन पर इसका प्रभाव तुरंत पड़ता दिखा। वही कुछ ऐसे प्रश्न खड़े है जो दीर्घ अवधि तक प्रभावित होंगे, जैसे - आर्थिक और सामाजिक ढांचा, रिवर्स माइग्रेशन के फलस्वरूप ऐसे लोग जो कठिनतम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने घरों और गृह राज्यों को लौटे क्या वे पुनः प्रवास करने के इच्छुक होंगे? निश्चित ही इनमे से कुछ अवश्य इस पर विचार करेगें। ऐसे में सम्बंधित राज्यों की नीतियाँ क्या होगी? क्या वे ऐसे लोगो या परिवारों के पुनर्वासन हेतु सक्षम होगी। अगर राज्य सरकारे स्थानीय स्तर पर ठोस कार्ययोजना एवं कार्यनीतियाँ बनाकर लागू करें तो निश्चित ही इसके दीर्घकालिक सुपरिणाम प्राप्त होंगे।

नीतिगत सलाह (Policy Prescription)

- प्रवासन सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा है। भारत में, ग्रामीण से शहरी प्रवास मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी, कम कृषि उत्पादकता, लगातार फसल की विफलता, खराब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कारकों के कारण हुआ है।जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आबादी को रोजगार में रखने के लिए एक मॉडल विकसित करके ग्रामीण से शहरी

प्रवासन से निपटा नहीं जाता है, तब तक भारत का विकास बाधित हो सकता है।इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रो में क्लस्टर आधारित नीतियाँ विकसित करने के साथ कृषि आधारित रोजगार परक उद्यम स्थापित किये जाय।

- कोविड -19 संकट के कारण अपने गांवों में वापस जाने की कोशिश कर रहे लाखों प्रवासी कामगारों की हालिया चलती छवियों को स्पष्ट रूप से याद होगा। "पहले से कहीं अधिक, हमें अब एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मॉडल विकसित करना चाहिए जिसमें स्थानीय आबादी को स्थानीय रूप से नियोजित किया जा सके। इसका मतलब यह होगा कि हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं कैसे संरचित और समूहबद्ध हैं।"
- लॉकडाउन के कारण जब अन्य प्रान्तों एवं शहरों से बिहार में प्रवासी वापस लौट रहे थे, उस समय जिला स्तर पर लगभग 9.5 लाख प्रवासियों की स्किल मैपिंग की गई जिसके आधार पर 3.5 लाख लोगो को रोजगार प्रदान किया गया एवं उद्यम स्थापित करने की सुविधा दी गई।[11]ऐसे कई प्रवासी कामगार हैं जो अपने घर पर रहकर ही उद्यम खड़ा करने में सफल रहे। सरकार भी पूरे मनोयोग से उनकी मदद कर रही है। पश्चिम चंपारण का 'चनपटिया मॉडल' आजकल काफी चर्चा में है जिसके अनुरूप प्रदेश के सभी जिलों में योजना बनाई जा रही है। दरअसल यह कमाल पश्चिम चंपारण जिले के डीएम और 76 प्रवासी कामगारों ने किया है। यहां गुजरात व राजस्थान से काफी संख्या में हुनरमंद कामगार लौटे थे, जिनमें कोई साड़ी तो कोई रेडिमेड कपड़े बनाने वाली फैक्टरी में काम कर रहा था तो कोई एंब्रॉयडरी में निपुण था। स्थानीय प्रशासन ने सरकार के निर्देशानुसार स्किल मैपिंग के तहत इन प्रवासियों की उद्यमिता की पहचान की। जिला प्रशासन ने किराये पर 76 कामगारों को भारतीय खाद्य निगम के बेकार पड़े गोदाम में जगह मुहैया कराई। इन लोगों ने छोटी सी पूंजी से काम शुरू किया, सरकार ने भी मदद की।[12]
- कोविड -19 संकट ने हमें ग्रामीण विकास मॉडल पर पुनर्विचार करने का मौका दिया है।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर कृषि' के एक दृष्टिकोण को रेखांकित किया है जो किसानों को उद्यमियों में बदलने का आह्वान करता है।

- भारत पहले से ही दूध, दाल, केला, आम और पपीता के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में एक प्रमुख शुरुआत कर चुका है। साथ ही, अधिक खेती, अत्यधिक चराई, शहरीकरण, और रासायनिक अति प्रयोग के परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि को कम करने वाली चार अंतर्निहित चुनौतियां हैं; जलवायु परिवर्तन, पानी की उपलब्धता और उत्पादन पर तत्काल प्रभाव के परिणामस्वरूप अप्रत्याशितता; उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं की वर्तमान कमी; और संख्या, पैमाने और स्थानों के संदर्भ में मूल्य वर्धित प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी।

- छोटे पैमाने के किसानों और कृषि व्यवसाय के लिए क्लस्टर नीतियां महत्वपूर्ण हैं। यह उन्हें उच्च उत्पादकता, उच्च मूल्य वर्धित उत्पादन प्राप्त करने और रसद, भंडारण, अपव्यय और बिचौलियों के हस्तक्षेप की बैक-ब्रेकिंग लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। भारत 700 से अधिक जिलों से बना है और प्रत्येक जिला एक संभावित आत्मनिर्भर माइक्रोक्लस्टर है।इस दृष्टिकोण का उपयोग 30-40 लाख की आबादी वाले 15 से 20 समीपवर्ती गांवों के लक्षित समूहों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
- खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख इकाइयां हैं, जिनमें से 66 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।ये इकाइयां इस क्षेत्र के रोजगार में 74 प्रतिशत का योगदान करती हैं। विगत वर्ष एसोचैम और शिकागो की एकाउंटिंग फर्म ग्रांट थार्टन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है[13] कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से किसानों की आय में भारी सुधार के साथ-साथ रोजगार वृद्धि की उज्जवल संभावनाएं हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वर्ष 2024 तक भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 33 अरब डालर का नया निवेश आकर्षित करने और 90 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने की क्षमता है। इसी तरह पिछले दिनों नीति आयोग ने भी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का रोजगार तथा वृद्धि पर प्रभाव नामक परिचर्चा पत्र में कहा कि किसानों को फसल के अच्छे मूल्य के लिए सीधे कारखानों से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण सबसे उपयुक्त क्षेत्र है।

रिपोर्ट के अनुसार बीते चार दशक के दौरान देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 7 गुना वृद्धि हुई। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित हो सकते हैं ।

- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है, परन्तु कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी कम मूल्य वर्धित उत्पादों में संसाधित होता है। तुलना के रूप में, अमेरिका 65 प्रतिशत संसाधित करता है। फिलीपींस जैसे विकासशील देश, और ब्राजील अपनी उपज का 75 प्रतिशत तक प्रसंस्करण करता है।
- घर लौटने वाले प्रवासियों के पास नकद कमाने के बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं। उनकी जमीन के छोटे टुकड़े यदि उनके पास हैं, लेकिन वे उनका भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं और एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दैनिक मजदूरी और कारीगरी का काम संभव नहीं है। वास्तव में, बेरोजगारी में वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग में गिरावट आई है। कुछ गांवों को छोड़कर कोई छोटे उद्योग भी नहीं हैं और निकटतम शहर ही एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां उन्हें काम मिल सकता है। छोटे शहरों से भी वे अक्सर काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। हाल के वर्षों में अधिकांश प्रवास छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर हुआ है।
- हम गांवों में भी हल्के उद्योग लगा सकते हैं, खासकर खाद्य प्रसंस्करण में। भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका अधिकांश भाग बेकार चला जाता है। कुछ स्टार्टअप कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और जरूरत है। इस हेतु नई प्रतिभाओं को आकर्षित करना मुश्किल है। एक उचित स्टार्टअप इकोसिस्टम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांवों में बुनियादी ढांचा चरमराया और अपर्याप्त है।ऐसी स्थितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देती हैं। इस कारण घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक वहां कारखाने स्थापित करने के लिए बहुत आकर्षित नहीं होते हैं। बिजली, पानी की नियमित आपूर्ति, उचित सड़कें और कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूर-दराज के हिस्सों में भी पक्की सड़कें होनी चाहिए। अन्यथा, सुदूर एवं अंदरूनी इलाकों में हमेशा गरीबी रहेगी और लोग बड़ी संख्या में पलायन करेंगे।
- इस संदर्भ में, महात्मा गांधी की सलाह याद आती है, कि पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करें और इसे आत्मनिर्भर बनाएं। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पी.सी. महालनोबिस, (प्रसिद्ध अर्थशास्त्री)विकास के सोवियत

मॉडल के अनुरूप भारी उद्योगों के विकास और तेजी से औद्योगीकरण पर जोर दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा एक लंबी प्रक्रिया रही है।

- उन प्रवासियों को लाभकारी रोजगार देना जो शहरों में वापस नहीं जाना चाहते हैं जैसा कि विमुद्रीकरण के दौरान हुआ था, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अन्यथा, वे आजीविका कमाने के लिए निराशाजनक परिस्थितियों में रहने के लिए शहरों में लौट आएंगे। गांवों को तेजी से विकसित करना होगा, अन्यथा बेरोजगार श्रम बल से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि 2016 में हुआ था, जिससे श्रम बल की भागीदारी दर और नीचे चली जाएगी।

- संकट के इस दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का 1.7 ट्रिलियन रुपये का राहत पैकेज एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, बशर्ते कि लाभार्थियों को धन प्राप्त करने में बहुत परेशानी न हो क्योंकि कईयों के पास बैंक खाते नहीं हैं।

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) कोरोना महामारी में गांवो के लिए निश्चित रूप से संजीवनी सिध्द हुई हैं। जब समूचे देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो गयी थी और रिवर्स माइग्रेशन से गांवो में यह और ज्यादा वीभत्स हो गयी तब मनरेगा रोजगार प्रदान करने वाला एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आया।आकड़ों की बात करे तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस दौरान कुल 56981 लोगो को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया।[14]

यह लॉकडाउन संकट एक अप्रत्याशित आपदा रही है, लेकिन यह फिर से हो सकती है। शहरों में भीड़ कम करना और प्रवासी मजदूरों को गांवों में रहने या शहरों में जाने का विकल्प देना बेहतर है।

निष्कर्ष :

भारत में चार श्रमिकों में से एक प्रवासी है। प्रवासन केवल नकारात्मक नहीं है, बल्कि कुछ प्रवास फायदेमंद है। यह ग्रामीण-शहरी असंतुलन एवं अवसरों की असमानता को दर्शाता है। कोरोनावायरस महामारी ने समाज के मौजूदा तरीके से जुड़ने और उपभोग करने में मूलभूत दोषों को उजागर किया है। वास्तव में देखा जाय तो केंद्र एवं राज्यों दोनों सरकारों को स्थानीय स्वशासी संस्थाओ के साथ समन्वय करते हुए प्रवासी कामगारों के लिए एक ठोस

एवं दीर्घकालिक नीति तैयार करनी होगी। स्थानीय स्तर पर सरकारी मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए ऐसे कामगारों का एक व्यवस्थित डाटा बेस तैयार करना होगा जिसमे अन्य विवरणों के साथ उनके प्रवासन का स्थान, अवधि एवं उनके कौशल्य विशेष का उल्लेख होना चाहिए। यह डाटा बेस भविष्य में बेहतर नियोजन, नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायक होगा। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के दायरे का विस्तार करने की अत्यंत आवश्यकता है और इसमें अकुशल श्रम के साथ विभिन्न स्थानीय लोक-कौशल आधारित कार्य को भी स्थान दिया जाना चाहिए। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर में वृध्दि होगी बल्कि कौशल्य संवर्धन एवं उसका संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

****

7. कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों की चुनौतियां और समाधान

रणबीर सिंह बतान *

लेख का सार

कोरोना महामारी ने भारत सहित पूरी दुनिया को प्रभावित किया है । कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा । जब कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई तो भारत जैसे विशालकाय देश में भी प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ चुनौतियां निकल कर आयी हालांकि भारत ने 1950 से आजादी के बाद अब तक बहुत कुछ बदलते देखा है ।

श्रम मंत्रालय के अनुसार भारत में 42 करोड़ के लगभग श्रमिक है और दो करोड़ के लगभग विदेशों में गये है और करोना काल में ''वन्दे भारत मिशन'' के तहत 7 लाख प्रवासी श्रमिक वापिस आये है । कोरोना काल में 9.2 करोड़ नौकरियां गई । हर घण्टे 1.70 लाख लोग बेघर हुये और 75 प्रतिशत को अपनी नौकरी गवानी पड़ी ।

इस दौरान प्रवासी मजदूरों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें संख्या के आकलन की कमी के कारण भी व्यवस्था को समझने व बनाने में काफी समय लग गया । इस दौरान मजदूरों को घर जाने में यातायात की समस्या, रोजगार की समस्या, किराये के मकानों की समस्या आदि अनेक समस्याएँ मजदूरों को सहनी पड़ी ।

इसलिए भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने और 39 करोड़ युवाओं (15 से 35 साल) के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आदि क्षेत्र में भी जो चुनौतयां है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है ।

---

* प्रशिक्षक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, निलोखेड़ी और स्त्रोत व्यक्ति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

इसके अलावा इस लेख में यह भी अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार उच्चतम शिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं और प्रवासी मजदूरों सम्बन्धी चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है और इसमें युवा शक्ति, अर्थशक्ति, सैन्य शक्ति और अप्रवासी शक्ति का सही इस्तेमाल करके भविष्य की रणनीति केन्द्र और राज्य सरकारों के तालमेल बैठाकर मानव शक्ति व प्रबंधन शक्ति का उचित प्रयोग करते हुये भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते है । इस लेख में चर्चा की गई है ।

कोरोना, प्रवासी मजदूर की चुनौतियां व समाधान :

भारत दुनिया की सबसे आबादी वाला देश है । चीन के बाद भारत की जनसंख्या 138 करोड़ के लगभग है । संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिर्पोट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की आबादी की कुल वार्षिक वृद्धि दर 1.2 से बढ़कर 1.36 हुई है जो चीन की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में दोगुनी है । भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बंगलादेश की आबादी से भी ज्यादा है ।

भारत गांवों का देश है । भारत की आत्मा गांवों में बस्ती है । लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांव में ही रहती है । भारत कृषि प्रधान देश है और एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि पर ही निर्भर रहता है ।

26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया । भारत 1947 में ही आजाद हो गया था और इस दौरान बहुत कुछ बदलते देखा गया । भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 में स्वीकार किया गया । 1950 के बाद विश्व के लगभग 50 देशों ने अपना संविधान बनाया जिसमें भारत उनमें से पहले स्थान पर था और भारत का संविधान अन्य के लिए भी प्रेरणा बना लेकिन इस दौरान बहुत कुछ बदला है जहां विकास के क्रम में भारत ने बहुत ऊँची छलांग लगाई वहां कोरोना जैसा काल भी देखा जो आजादी के बाद जीवन के लिए लड़ने जैसा नई आजादी जैसा था । वह आजादी सुरक्षा, स्वास्थ्य आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए थी जो कोराना काल में खड़ी हो गई थी ।

भारत के विकास क्रम में भारत की जीडीपी 1950 में 2.24786 थी जो 2014-15 में 153,22,264 करोड़ हो गई ।

विकास क्रम **1952 में भारत तब**	**1914-15 में अब**
खाद्यान्न उत्पादन 508 लाखा टन से बढ़कर	914.59 हो गया ।
बिजली उत्पादन 5 अरब किलोवाट से	846 अरब किलोवाट हो गया ।
निर्यात 606 करोड़ रूपये से बढ़कर	14.65,171 हो गया
आर्यात 608 करोड़ रूपये से बढ़कर	21.34.283 हो गया
जनसंख्या 35.9 करोड़ से बढ़कर	121 करोड़ हो गई
जन्मदर (प्रति हजार) 39.9 से	20.22 हो गई
मृत्यु दर 27.4 से घटकर	7.4 रह गई
जीवन प्रत्याशा जन्म के समय 32.1	71.4 हो गई
साक्षरता दर नं. 18.3 से बढ़कर	74.0 हो गई
अनाज के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 399.7 से बढ़कर	468.90 हो गई
चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 5.0	19.5 हो गई
बिजली के प्रति व्यक्ति उपलब्धता किलोवाट में 5.0 से	150 हो गई
अस्पताल बैड प्रति हजार आबादी पर 3.2 से	50 हो गई

इतने समय में देश ने हार नहीं मानी । नियति से भारत ने समझौता नहीं किया और पुष्पित-पल्लिवत होते लोकतंत्र में शनै:-शनै: सब ठीक होने लगा । कहते है इतिहास खुद को दोहराता है । कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत फिर से विश्व के अगुवायी के लिए तैयार हो रहा है ।

लेकिन 2020 में अगर हम पीडे मुड़कर देखें तो मुश्किल भरे वो दिन याद आने लग जाते है जो कोराना काल के दौरान आम लोगों के साथ-साथ प्रवासी मजदूरों को जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा उससे सीख लिये बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि भारत की दुनिया में एक बड़ी आबादी है उस बड़ी आबादी में भी एक बड़ी आबादी प्रवासी मजदूरों की है और कोरोना काल में प्रवासी मजदूर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए है ।

भारत की ताकत ही समाज है पश्चिम देशों में बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी सरकार उठाती है । भारत में यह जिम्मेदारी परिवार उठाता है । भारत गॉवों में बसता है । हमारे देश में छः लाख 68 हजार गांव व शहर है । भारत की जीडीपी में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है । गांधी जी के विचार गांव पर ग्राम स्वराज पर मेरी कल्पना यह है कि एक ऐसा राजतंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए पड़ोसी पर भी निर्भर नही होगा । जहां तक सामुहिक विकास की बात होगी तो फैसले मिलकर सामूहिक तौर पर लिये जायेंगे ।

गांधी जी की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी उनको इस बात का इतना पूरा ज्ञान था कि कभी भी कुछ ऐसी आपदायें आ सकती है जिसके लिए तैयार रहना और आत्मनिर्भर बने रहना बहुत जरूरी है और महात्मा गांधी जी की बात कोरोना काल में पूरी तरह लागू हुई । दुनिया में कोरोना की बीमारी आई और सभी देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया । अब 2021 में हम देखते है कि पिछले अठारह महीने पहले कोरोना के कारण जब संपूर्ण भारत में लॉकडाऊन लगा तो सब कुछ बंद हो गया । आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ । सभी यातायात, परिवहन, रेल, हवाई जहाज बंद हो गये । ऐसा लगने लगा मानो जिन्दगी रूक सी गई जो व्यक्ति जहां पर था वहीं पर फंस गया और सबसे ज्यादा समस्या प्रवासी मजदूरों को आई ।

कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की दशा और दिशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला क्योंकि पहले यह उम्मीद कभी नहीं थी कि लॉकडाऊन लग जायेगा और लाखों प्रवासी मजदूर वापिस अपने गांव की तरफ लौटना शुरू कर देंगे और वह भी पैदल । पैदल लोगों का हजूम देखकर ऐसा लगने लगा कि आजादी की तरह दूसरी पदयात्रा तो नहीं है इसलिए कोरोना काल में प्रवारी मजदूरों पर भावी योजना बनाना बहुत जरूरी है ।

कोराना काल :

आज के दिनी दुनियॉ में कोरोना का आंकड़ा करोड़ों में है जबकि लाखों की मौत हो चुकी है। यह मानव जीवन पर सदी का सबसे बड़े संकट का काल रहा और समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई है और इस सब में बहुत बड़ा नुकसान अकुशल श्रमिकों को ही हुआ है और इस दौरान असमानता को बढ़ावा भी मिला है । अमीरों की सम्पत्ति में बेहतासा वृद्धि हुई है । महामारी के 9 महीने में देश के शीर्ष 100 अमीरों की कमाई 13 लाख करोड़ रूपये बढ़ी अ्रगर इसे देश के 13.8 करोड़ गरीबों में बांटा जाए तो हर व्यक्ति को करीब 94000 रूपये मिलेंगे ।

आक्सफैम की ''द इनइक्वलिटि वायरस'' नाम की रिर्पोट के अनुसार महामारी के दौरान 18 मार्च से 31 दिसम्बर तक आर्थिक सामाजिक असमानता भी बढ़ी है । रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दुनिया में गरीबों की संख्या 50 करोड़ बढ़ी है जबकि अरबपत्तियों की सम्पत्ति 284 लाख करोड़ रूपये बढ़ गई । रिपोर्ट में सुपररिच लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है । अगर देश में 954 अमीर परिवारों पर 4 प्रतिशत सम्पत्ति कर लगा दिया जाए तो देश की जीडीपी 1% प्रतिशत बढ़ सकती है ।

केवल 10 अमीरों की कमाई से प्रत्येक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन लगा सकते है । दुनिया में जितने 10 अमीरों की सम्पत्ति बढ़ी उतने में धरती के हर व्यक्ति को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगा सकते है । वही भारत के शीर्ष 11 अमीरों ने जितना पैसा कमाया उसमें मनरेगा स्कीम या स्वास्थ्य मंत्रालय का 10-10 साल का खर्च पूरा किया जा सकता है ।

भारतीय प्रवासी मजदूर और विदेशों में भारतीय प्रवासी देश में 22 मार्च की जनता कर्फ्यू के दिन शाम 5 बजे ही लॉकडाऊन शुरूआत हुई । कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाऊन से भारतीय अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र सबसे बड़ी त्रासदी से गुजरा और गुजर रहा है क्योंकि भारत में प्रवासी मजदूरों की एक बढ़ी संख्या है । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक है ।

वही सेन्टर फार मॉनिटेरिंग इंडियन इकोनोमी के अनुसार 12.2 करोड़ भारतीयों ने कोरोना काल अप्रैल 2020 के दौरान अपनी नौकरी और रोजगार खो दिये थे जबकि मई 2020 में यह आंकड़ा करीब 10.2 करोड़ रह गया था । उस दौरान श्रमिकों ने बहुत कुछ भोगा है और कोरोना महामारी के बने हालातों ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और हरियाणा के श्रमिकों के सामने भी उनके भविष्य के लिए संकट खड़ा कर दिया था । लोगों में आत्मविश्वास की कमी के साथ-साथ निराशा और अवसाद बढ़ता चला गया ।

विदेशों में भारतीय प्रवासी :

भारत विश्व का सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर भेजने वाला देश है । यहां से करीब पौने 2 करोड़, प्रवासी मजदूर, दूसरे देशों में गये है जिसमें से 90 लाख के करीब तो खाड़ी देशों में ही है कोरोना महामारी के दौरान और रोजगार के नये आयामों के न मिलने से प्रवासी मजदूरों की स्थिति खराब हो गई है और वो भारत में लौटे भी रहे है ।

इस प्रकार हम यह कहे कि कोरोना काल में 9.2 करोड़ नौकरियां गई और अप्रैल, 2020 में हर घण्टे 1.70 लाख बेरोजगार हुए और सबसे ज्यादा नुकसान अकुशल श्रमिकों को हुआ । देश के 12.2 करोड़ श्रमिकों में से 9.2 करोड़ यानि 75 प्रतिशत नौकरियां गंवानी पड़ी ।

कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का चुनौती भरा सफर:

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्रों से जुड़े रोजगारों का विशाल बहुमत उसे लाईफ लाईन प्रदान करता है । आर्थिक सर्वेक्षणों की मानें तो कुल कार्यबलों में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 80 प्रतिशत है और रोजगार करने वाली संख्या इसी क्षेत्र से आती है ।

देश की अर्थव्यवस्था में आधे से ज्यादा छोटे किसान भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, बीड़ी श्रमिक अन्य के खेत में काम करने वाला, पशु पालक, मछली पालक, मछुआरे, ईंट बनाने वाला, पत्थर श्रमिक बुनकर इमारत वाले मजदूर मिलों में काम करने वाले आदि श्रेणी में आते हैं उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ।

लॉकडाऊन के दौरान निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का सफर प्रवासी मजदूरों को उठाना पड़ा ।

प्रथम समस्या प्रतिदिन कमाने वालों का रोजगार हर क्षेत्र में बंद हो गया जिसके संकट खड़ा हो गया, कर्फ्यू जैसे हालात बन गये । भूख, पैसे की जरूरत, पुलिस की नाकेबंदी, देखने को मिली क्योकि कोरोना काल में समाज सेवा कार्य के दौरान ऐसा देखने को मिला ।

दूसरी समस्या, आवास की थी क्योंकि प्रवासी मजदूर किराये पर रहते है । अगले ही महीने से ज्यादातर लोगों ने किराया मांगना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने तो घरों के बर्तन तक भी फेक दिये और मजदूरों पर घर खाली करने का दबाव भी बनाया गया क्योंकि प्रवासी मजदूर को काम के लिए कम या ज्यादा बाहर तो जाना पड़ता था । मकान मालिको को यह डर सताने लग गया था कि कहीं मजदूर बाहर से कोरोना की बीमारी घर पर लेकर न आ जाये और यह समस्या तो कार्यशाला के दौरान कुछ विद्यार्थियों ने साझा की कि हमारे पारिवारिक सदस्य जो अस्पताल में स्टाफ के तौर पर कार्यरत रहे उनको मकान देने से मना कर दिया गया था ।

तीसरी समस्या इलाज की थी । गांव में तो आर.एम.पी. डॉक्टर के कारण कुछ ठीक रहा लेकिन शहरों में तो सब चीजें बंद हो गयी थी । प्राईवेट डॉक्टरों ने तो मरिजों को दाखिल करने से ही मना कर दिया । केवल पुराने लोगों को ही इलाज के लिए बुलाते थे । यह खुद अपने साथ भी हुआ मजदूरों की स्थिति क्या रही होगी ।

चौथा यातायात की समस्या:

कोरोना के समय में खाने, पीने, रहने, इलाज की समस्या आने के कारण गांवों की तरफ जाने का निर्णय भी मजदूरों के लिए आसान नहीं था क्योंकि सरकारी यातायात बंद था प्राईवेट गाडियॉ जाने को तैयार नहीं थी । अगर कोई जाता था तो कई गुणा महंगे किरायों पर जाता था और यहां तक हम सब ने देखा कि बड़े-बड़े पानी व तेल के टैंकर में बैठकर लोग अपने गांवों की तरफ जा रहे थे । लाखों लोग जहां थे वही फंसे रहे । वास्तव में यह काल मजदूरों के लिए काफी चुनौती भरा रहा और यहां तक की गांव में भी प्रवासी मजदूरों को सब्जी/सामान बेचने के लिए भी अंजान होने के कारण गांव में घुसने देने से मना कर दिया गया था ।

कोरोना काल के दौरान कुछ खामियां :

कोरोना काल के दौरान कुछ खामियां भी देखने को मिली । इससे ज्यादा अच्छा प्रबंधन हो सकता था और प्रवासी मजदूरों की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता था । निम्नलिखित कारण निकलकर सामने आये जिससे स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता था ।

प्रवासी मजदूर :

1. प्रवासी मजदूरों की स्थिति का आकलन न कर पाना भी एक कारण रहा जिसके कारण यह जानकारी नहीं हो पायी कि कितने प्रवासी मजदूर किस-किस शहर में फंसे है और उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ।

प्रशासनिक व्यवस्था :

2. प्रशासनिक व्यवस्था को भी तालमेल बिठाने में समय लगा । केवल एक बिन्दु पर जोर रहा कि लोग घरों में रहे । कुछ जगह पर प्रशासन हर रोज नियम बनाता रहा ।

राज्य सरकारें :

3. राज्य सरकारों में तालमेल में मुश्किल :- राज्य सरकारों में तालमेल में बहुत मुश्किल देखने को मिली ।

शिक्षण संस्थान :

4. शिक्षण संस्थानों की भूमिका : कोरोना काल में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका भी कम रही जबकि एनजीओ व समाजसेवी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही और धार्मिक संगठनों का भी योगदान रहा । लेकिन प्रबंधन का अभाव जरूर नजर आया ।

क्योंकि भारत में शिक्षण संस्थानों की भूमिका में कमी देखने को मिली । भारत में 4.50 लाख जो मात्र प्रबंधन के छात्र हर साल डिग्री लेकर निकलते है और इसके साथ-साथ भारत में एनएसएस और एनसीसी के छात्रों का योगदान तुरन्त लिया जा सकता था अर्थात् लिया जाना चाहिए था क्योंकि उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का उपयोग एक सार्थक भूमिका अदा कर सकता था ।

सरकारी संसाधनों का उपयोग :

5. कोरोना काल में सरकारी संसाधनों का उपयोग जिसमें सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते थे वे स्कूल, कालेज, महाविद्यालय के भवनों का प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत अच्छा उपयोग ही था क्योंकि प्रवासी मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था होना भी एक बड़ी बात थी । लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा सका और यहां तक की स्वयं मैंने जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही कोरोना आपदा वोल्न्टीयर टीम के लिए सहायता करने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क नहीं किया गया जबकि मैंने आपदा प्रबंधन में भी शिक्षा ग्रहण की हुई है ।

6. चुनौतियां व प्रवासी मजदूर :

भारत एक बढ़ी आबादी वाला देश है । उसके पास युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज तैयार है । उन सबके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है । भारत में 47.3 करोड़ भारतवासी आज लाभ पद रोजगार पाने को लालायित है । अगले 20 साल में यह 77 करोड़ के अधिक हो जाएगा ।

असंगठित श्रम की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् औद्योगिक विकास असंगठित उद्योगों में रोजगार से श्रमिकों की संख्या में अभूत पूर्व वृद्धि हुई है 1980 में उनकी अनुमानित लागत 2 करोड़ के लगभग थी और इनमें से आधे से अधिक (55%) अन्य कृषकों के खेतों में कृषक मजदूर है । 17% निर्माण कार्य (गैर उद्योगीय प्रतिष्ठानों एवं घरेलु उद्योग में स्वरोजगाररत, 13% सेवाओं (छोटे प्रतिस्थान द्वारा वैयक्तिक सेवाएं एवं घर से बाहर स्वरोजगार में 1.5% निर्माण में 2% यातायात एवं संचार में थे वर्तमान में 40 साल बाद स्थिति कितनी बदली होगी अर्थात् बदली है ।

विदेशी भारतीय प्रवासी :

विदेशों में भारतीय प्रवासी की बात करें तो अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों की आबादी बढ़ रही है । प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 2000 से 2019 के बीच एशियाई मूल की आबादी 81 प्रतिशत बढ़ी है । ये आंकड़े जनगणना विभाग के द्वारा जारी किए गए है । अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 18 लाख लोग है ।

साल 2000 में करीब 1.05 करोड़ एशियाई थे और 2019 में यह 1.89 करोड़ हो गये । साल 2060 में 3.58 करोड़ होने का अनुमान है ।

टेक्सास और जार्जिया में दो दशक में 150 प्रतिशत एशियाई मूल के लोग की संख्या बढ़ी इसलिए इस सब चुनौतियों को मद्येनजर रखना भी बहुत जरूरी है ।

चुनौतियां और समाधान :

कोरोना पर हमने कुछ हद तक कन्ट्रोल पाया है लेकिन कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है । इसलिए कोरोना से हमने यह सीखना चाहिए कि प्रकृति पर महामारी का दौर आता रहता है । बहुत सी बिमारीयां आयी एक बड़ा कुप्रभाव छोड़कर चली गई । इसलिए प्रबंधन पर और उससे भी ज्यादा आपदा प्रबंधन पर जोर देना होगा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की या अन्य प्रकार की समस्या आये तो ऐसा प्रबंधन हो जिससे जान माल का कम से कम नुकसान हो । इसके लिए संकट प्रबंधन श्रमता में सुधार की जरूरत है ।

एक सर्वेक्षण के अनुसार सलाहकार कंपनी पी.डब्ल्यू.सी. (PWC) इंडिया के अनुसार 90 प्रतिशत कोविड़-19 की महामारी की वजह से संकट से प्रबंधन की क्षमता को बेहतर करने की जरूरत महसूस हुई हे ।

पी.डब्ल्यू.सी. के वैश्विक संकट सर्वेक्षण 2021 इंडिया इन साईटस में लगभग 59 प्रतिशत भारतीय उद्यमियों ने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस महामारी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि भारत की 80 प्रतिशत से अधिक कंपनिया महामारी के बाद पहले ही प्रौद्योगिकी में निवेश कर चुकी है ।

भारत के 92 प्रतिशत संगठनों ने कहा कि वे महामारी के प्रभावों का आकलन करने के लेकर आश्वस्त है जबकि वैश्विक स्तर पर केवल 75 प्रतिशत ने यह बात कही है । भारतीय कंपनियों की प्रतिक्रियाएं काफी हद तक पी.डब्ल्यू.सी. के वैश्विक संकट सर्वेक्षण 2021 के समग्र परिणामों के अनुरूप थी ।

इसलिए इसका समाधान और भावी योजना बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह दशक भारत के नाम होगा क्योंकि भारत में वो सब कारण मौजूद है जिससे वह सारी दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा लेकिन यह चुनौतीपूर्ण है पर इसका समाधान भी यही से ही निकल सकता है और यह सब प्रवासी मजदूरों के बिना और उनकी सतत विकास के बिना नही हो सकता ।

(1) युवा शक्ति - भारत दुनिया में सबसे युवा आबादी वाला देश है और किसी भी

देश को शक्तिशाली बनाने में युवा शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है । युनाईटिड नेशनस पापूलेशन फंड के अनुसार इस समय भारत में 24 करोड़ युवा आबादी 15 से 25 साल की है और 2030 तक भी भारत युवा देश बना रहेगा । इस प्रकार भारत में सबसे ज्यादा असीम संभावनायें है पूरी दुनिया में 2 अरब व्हॉटसाप यूजर में से 40 करोड़ भारत में है ।

इसलिए प्रवासी मजदूरों की भागीदारी के बिना इस लक्ष्य को हासिल करके नहीं की जा सकती ।

(2) अर्थ शक्ति - आर्थिक शक्ति के तौर पर आज भारत 6 वें स्थान पर है । डयूस बैंक के अनुसार भारत में इस दशक में 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है और भारत 2030 तक 1.5 अरब में ज्यादा लोगों का बाजार बन चुका होगा जो भारत की ताकत है ।

अर्थ शक्ति के अर्थ (पृथ्वी) पर रहने वाले प्रवासी मजदूरों लिए योजना बनाये बिना यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा ।

(3) सैन्य शक्ति - ग्लोबर फायर पावर के अनुसार सैन्य शक्ति इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है । अमेरिका, रूस, चीन के बाद अगले 10 साल तक भारत इस स्थिति में रहेगा जबकि सैन्य खर्च के मामले भारत तीसरे स्थान पर है ।

इसलिए सैन्य शक्ति के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने में मजदूरों की ही भूमिका है ।

(4) अप्रवासी भारतीयों की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील व हर क्षेत्र में मौजूद है । संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.80 करोड़ भारतीय विभिन्न देशों में बसे है और 1 साल में 5 लाख करोड़ रूपये अपने देश भारत को भेजे है ।

इसलिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है । बिना इनकी भागीदारी के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा ।

इसके अलावा यह कुछ अन्य क्षेत्र भी है जो प्रवासी मजदूरों के बिना अधूरे है ।

(i) कृषि क्षेत्र मजदूरों की भागीदारी के बगैर अपूर्ण है ।

(ii) इन्फ्रास्टक्सर क्षेत्र की हम बात करें तो प्रवासी मजदूरों इस क्षेत्र की नींव है ।

(iii) फार्मस्युटिकल (स्वास्थ्य) हर 6वां व्यक्ति भारतीय होने के नाते स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन की भागीदारी अहम है ।

(iv) सोलार आत्मनिर्भरता के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी । कारखानों को चलाने के लिए मजदूरों की भागीदारी जरूरी है और इसके अलावा इलेक्ट्रानिक कार्यों के लिए प्रवासियों की भागीदारी आवश्यक है । इनका योगदान अहम है ।

भविष्य की रणनीति/कार्य योजना :

प्रकृति पर आपदायें आती रहती है और भविष्य में भी इस आशंका को कम नहीं किया जा सकता और मानव भी इससे अछूता नहीं रह सकता क्योंकि पहले भी कई प्रकार की महामारी आयी जिसने करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया । इनकी हम बात करें न्यून मोनिक, प्लेग, सार्स, ऐवियन फ्लू, स्वाईन फ्लू, इबोला, चेचक और एव.आई.वी. महामारी ने अपना कहर बरसाया है ।

चिकन गुनिया की बात करें तो 23 करोड़ से ज्यादा लोग चिकन गुनिया से पीड़ित हो चुके है । आई.सी.एम.आर. की सीरो सर्वे में यह बात निकल आयी है । गांवों के इलाकों में 11.5 प्रतिशत और शहरों के इलाकों में 40.2 प्रतिशत लोगों में यह बीमारी पायी गई और देश में 18.1 प्रतिशत लोगों में ऐंटी बाडी पाई गई । इसलिए एक सस्टेनेबल आपदा प्रबंधन की रणनीति बनानी होगी जिसमें प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ दूसरों को भी आपदा के समय नुकसान न होने पाये । इसलिए इन सब विषयों के मद्येनजर भविष्य की रणनीति इस प्रकार बननी चाहिए ।

(1) **केन्द्र और राज्यों में समन्वय और संवाद :**

28 राज्यों के 736 जिलों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों वाले भारत में अलग-अलग प्रकार की सरकारों के साथ-साथ भाषा संस्कृति, सभ्यता और अलग-अलग विचारों के लोग रहते है । ऐसे में यह दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि इस प्रकार की आपदाओं में बहुत से ऐसे मजदूर जो उड़ीया, तेलगू, कन्नड़ भाषा बोलते हो और दूसरे राज्यों में फंस जाते तो समस्या कितनी बड़ी हो सकती है । इसलिए स्वयं की भाषा ऐसी रखी जाए अर्थात् भविष्य में इस बात पर जोर दिया जाए की संवाद के रूप में केन्द्र और राज्यों में आपसी संवाद के साथ-साथ एक ऐसी भाषा को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए जो पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को आपदा के समय में भाषायी तौर पर दिक्कत का सामना न करना पड़े और इसके लिए राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को पूरे भारत में लागू करने के दिशा में प्रयास 100 प्रतिशत बढ़ना चाहिए और राज्यों व केन्द्र सरकार ने स्वयं कदम बढ़ाना चाहिए क्योंकि किसी भी संकट में खासतौर से सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के समय संवाद की रणनीति तभी असरदार होती है जब स्टीक जानकारी को हर जनता तक सही समय पर पहुंचाया जाये ।

(2) **मानव शक्ति का प्रयोग :**

मानव शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है अगर उसका सही उपयोग किया जाये तो बहुत सी चुनौतियों का समाधान हो सकता है क्योंकि जिस देश के पास मानव शक्ति है वह हर क्षेत्र में आगे जा सकता है । जरूरत पड़ने पर मानव शक्ति ही काम आती है और भारत में मानव शक्ति की कोई कमी नहीं है और भारत में युवा शक्ति पूरी दुनिया में भारत के पास ही सबसे ज्यादा 15 से 35 साल के 39 करोड़ केवल मात्र युवा वर्ग से ही है ।

(3) **शिक्षण संस्थानों की भूमिका :**

उच्चतर शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है और यह हमने कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान देखने मिला । इस दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, उच्चतर, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दूसरी

लहर के दौरान पूरे भारत में युद्ध स्तर पर ऑनलाईन कोविड़ के उपर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसका उद्येश्य यह था कि उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और स्टाफ, फैक्टरी सभी को मिलकर जो जहां पर भी हो कोविड़ को हराने का प्रयास करें । पांच प्रकार की टीम बनाकर आसपास हर बिन्दु पर बात करें ।

इस दौरान सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में ''साइको सोशल स्कील टू हेल्पर डयूरिंग पेन्डेमिक'' पर कार्यशाला के उपरान्त तुरन्त प्रभावसे पांच टीमे बनाकर एन.सी.सी व एन.एस.एस. के विद्यार्थियों को भी साथ लेकर सामुदायित सहभागिता का मॉडल अपनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत काम किया । इस दौरान हरियाणा, पंजाब व चण्डीगढ़ के महाविद्यालयों के साथ-साथ कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र, पंजाब विश्वविद्यालय चण्ड़ीगढ़ के अलावा चण्ड़ीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली में कार्यक्रम किये गये । इस दौरान कार्यशाला से जो आंकड़े निकल कर आये वह बहुत सहायक वर्तमान में सिद्ध हुए है । वह भविष्य में कई गुणा सहायक सिद्ध होंगे क्योंकि यह जानकारी प्राप्त हुई कितने प्रतिशत शिक्षित युवा आपदा के दौरान स्वयं सेवक के तौर पर सहायता के लिए तत्पर है ।

कार्यशाला के दौरान यह पूछा गया कि कोविड़ की वोलन्टीयर टीम का हिस्सा बनकर कार्य करना चाहोगे । इस दौरान प्रत्येक शिक्षण संस्थान में पांच टीमे बनाकर कार्य करने पर बल दिया गया था । जिसमें पांच टीमे निम्नलिखित रही ।

1. अस्पताल प्रबंधन टीम
2. गैर अस्पताल प्रबंधन टीम
3. परिवार सहायता टीम
4. मेडिकल अनिवार्य टीम
5. मनोसामाजिक सहायता टीम

अध्ययन के दौरान यह जानकारी मांगी गई थी कि कितने प्रतिशत शिक्षक और विद्यार्थी कोविड़ आपदा में सहायता टीम का हिस्सा बनना चाहते है तो जानकारी/आंकड़े इस प्रकार निकल कर आये ।

टीम का हिस्सा बनने के लिए	हॉ	बन सकते है	नही बनना चाहते
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र	57.8%	30.7%	10.5%
पंजाब विश्वविद्यालय चण्ड़ीगढ़	60%	35.4%	4.6%
चण्ड़ीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली	43%	37.3%	18.8%
अन्य संस्थान और महाविद्यालय	56.7%	36.7%	7%

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संबंध रखने वाले के तौर पर इस प्रकार के आंकड़े निकल कर आये और गांव व शहरी प्रतिभागियों की संख्या इस प्रकार रही ।

शिक्षण संस्थान	ग्रामीण	शहरी
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र	49.7%	49.5%
पंजाब विश्वविद्यालय चण्ड़ीगढ़	64.6%	35.4%
चण्ड़ीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली	33.6%	66.4%
अन्य संस्थान और महाविद्यालय	76.7%	23.03%

प्रतिभागियों द्वारा टीम में भाग लेकर कार्य करने वालों का आंकड़ा इस प्रकार रहा ।

शिक्षण संस्थाएं	अस्पताल प्रबंध टीम	गैर अस्पताल प्रबंध टीम	परिवार सहायता टीम	मेडिकल अनिवार्य टीम	मनोसामाजिक सहायता टीम
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	19.3%	16.8%	25.9%	14.6%	23.4%
पंजाब विश्वविद्यालय चण्ड़ीगढ़	23.1%	24.6%	10.8%	20%	20%
चण्ड़ीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली	18.5%	17.1%	27.4%	11.1%	18.2%
अन्य संस्थान और महाविद्यालय	23.3%	13.3%	23.3%	6.8%	33.3%

इस प्रकार आंकड़ों से पता चलता है कि युवा भारत के शिक्षण संस्थानों के ज्यादातर विद्यार्थी, प्राध्यापक, एन.सी.सी. और एन.एस.एस. के वॉलटियर सब इस प्रकार की सहायता और वर्तमान जैसी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार है बशर्ते शिक्षक और युवा शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सके । इस पर कार्य करने की जरूरत है ।

भविष्य की रणनीति :

1. तकनीकी शक्ति का उपयोग :

भारत की आबादी और भविष्य में इस प्रकार को चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है । तकनीक से ही हमें प्रवासी मजदूरों का पूरा डाटा तैयार करना पड़ेगा । सूचना तकनीक को और ज्यादा प्रभावी बनाना पड़ेगा और तकनीक के माध्यम से बहुत बड़ी जनसंख्या को जागरूक किया जा सकता है ।

2. प्रभावी आपदा टीम की गठन :

भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रभावी आपदा प्रबंधन की टीम का गठन होना बहुत जरूरी है । समय-समय पर शिक्षण व कार्यशाला का आयोजन जरूरी है और इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आगे आना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक आपदा प्रबंधन की जानकारी पहुंच सके । यह टीम प्रत्येक गांव में बननी चाहिए ।

3. पंचायतों की भूमिका :

भविष्य में इन चुनौतियों को निपटने के लिए पंचायतें सबसे बेहतर विकल्प हो सकती है क्योंकि गांवों से ही ज्यादाता व्यक्ति (प्रवासी मजदूर) कार्यों के लिए बाहर जाते है वहां से डाटा आसानी से एकत्रित हो सकता है और मजदूरों की संख्या, स्थान बहुत सी जानकारी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर साबित हो सकती है और हमने 5 साल पूर्व पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक हर गांव में ऐ आपदा प्रबंधन कमेटी बनाने के लिए उनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रेरित किया था । हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी द्वारा जब यह कार्यक्रम चलाया गया था ।

4. सरकार की योजनाएं :

भविष्य की चुनौतियों के निपटने के लिए सरकार की प्रवासी मजदूरों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं है । उन सब की जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को पता हो तो बहुत सी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और भविष्य को रणनीति को

सार्थक बनाने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाना होगा ।

1. राईट मिशन अपनाकर मिशन मोड़ में काम करना होगा ।
2. राईट विजन सबसे पहले तैयार करना होगा ।
3. राईट मैनेजमेन्ट प्रबंधन के युवाओं का इस्तेमाल करते हुए राईट मैनेजमेन्ट बनाना होगा ।
4. राईट रिर्सोस की पहचान करते हुए उनका समुचित उपयोग करना चाहिए ।
5. राईट स्ट्रैटजी बनाकर और लागू करके रिस्क को कम कर सकते है ।
6. राईट डिसीजन को राईट टाईम पर ही लागू करेंगे तो कार्य योजना पूर्णतया सफल होगी ।
7. राईट सलेक्शन सभी प्रकार की सेवाओं का सही चुनाव करते हुए प्रत्येक आपदा में इन सब साधनों का इस्तेमाल कर सकते है ।

तो इस प्रकार अगर किसी कार्य योजना को सही रणनीति बनाकर लागू की जाती है तो किसी भी कार्य के लिए राईट रिजेल्ट प्राप्त होने की भरपूर संभावना है ।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते है कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों ने बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा वही पर हमें यह भी समझ आया कि कहां-कहां पर प्रबंधन में कुछ कमी रह गई हालांकि इतने बड़े देश में कोरोना को फिर भी विकसित देशों के मुकाबले प्रबंधन ठीक रहा और इस काल के दौरान जहां एक तरफ हमें अपनी कमजोरियों का पता चला वही पर भविष्य में भी होने वाली महामारियों का प्रबंधन करने के लिए बेहतर रणनीति व आपदा प्रबंधन बनाने के लिए भी और सकारात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान होगा ।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उजागर कर राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाली हिन्दी, हमारे राष्ट्र की गौरवशाली परम्परा का प्रतीक है । कहीं अच्छा हो यदि ग्रामीण विकास में निरन्तर सेवारत विद्वान अपना चिन्तन, मनन और लेखन मूलत: हिन्दी में कर अपने कार्य और ज्ञान से करोड़ों भारतीय जनसाधारण को लाभान्वित करें।

www.nirdpr.org.in